कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान
SOCIAL SCIENCE
Textbook

10

© KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

दसवीं कक्षा
भाग - I

Hindi Medium
Part - I

Karnataka Text Book Society (R.)
6th Cross, Malleshwaram,
Bengaluru - 560 003.

ಮುನ್ನುಡಿ

2005ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು 2010 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆ-ಡಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 7 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು 5 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಾದ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ.

2005 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

- ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು
- ಕಂಠಪಾಠ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
- ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು
- ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
- ವಿಷಯಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರದೃಷ್ಟಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
- ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆ
- ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ (IntegratedApproach), ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (Constructive Approach) ಹಾಗೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ವಿಧಾನ (Spiral Approach) ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜನಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ವಿಭಾಗದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯನಾಯಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಎಫ್ 2005 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ಪೌರನೀತಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳಾದ ಇಸವಿಗಳು, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಇತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲಕರಿಗೆ, ಸಂಯೋಜಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು

ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.),
ಬೆಂಗಳೂರು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವೇದನೆ

ಎಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಒದಗಿ ಬರುವುದೂ ಈ ಮಹತ್ತರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಯಿಡುತ್ತಾ ಹತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಹೊರಗುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟು 2005ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃಷಿ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿಯೂ ತೆರಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಕ್ಕಣೆ, ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಭೂಪಟ, ಸೂಕ್ತ ಕೋಷ್ಠಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರತರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ, ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿತ್ತ ಮುಖ್ಯಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಡಾ. ಎಂ. ಶಶಿಧರ್

ಡಾ. ಪಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ.

ರಚನಾ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಎಂ. ಶಶಿಧರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಪಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ರಾಮ್‌ಪ್ರಸಾದ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್.ಎಸ್. ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಿ॥ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉದಯಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಎಸ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಎ.ಜಿ.ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುನವಳ್ಳಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾ॥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು, ಮಸ್ಕಲ್ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರೊ. ದೊರೈರಾಜ್ ಎಸ್.ಎನ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು.

ಪರಿಶೀಲಕರು

ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಪೂಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಡಾ. ಟಿ.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಶ್ರೀ ಚ.ನ. ಶಂಕರ್‌ರಾವ್, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ರಂಗನಾಥ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಕೇಶವ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ನೂರ್ ಅಫ್ಜ಼, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.),ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ. ರಂಗದಾಸಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.),ಬೆಂಗಳೂರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೂ, ಅರ್ಥಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ 2014–15 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಜ್ಞರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ನೈತಿಕಮೌಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಕಸನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು" – ಇದು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಆಶಯ.

ಆನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ 27 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 24.11.2014 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ವಿಷಯವಾರು ಮತ್ತು ತರಗತಿವಾರು ಮಾನದಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿತವಾದವು. ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತ ಈ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು 24.11.2014ರ ಆದೇಶದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ 19.09.2015 ರಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 2016–17 ರ ಬದಲು 2017–18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇದೇ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿದೋಷ, ಆಶಯದೋಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಿತಿಗಳಾಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆನಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಕಡೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ (NCERT) ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಮೂರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ನೀಡಿದ ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವುದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಹೊರತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗತ್ವ ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ: ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಷಯವಾರು ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ 27 ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಾಠಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಬೆಂಗಳೂರು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ

ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಜೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಡಾ. ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಪ್ರೊ. ಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಬಿ. ಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಶ್ರೀ **ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್,** ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ **ಈರಣ್ಣ. ಎಂ. ಅಂಬಿ,** ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಡಕೊಡು, ಧಾರವಾಡ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ **ಡಿ.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್,** ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ **ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್,** ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ತಳವಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ದಶರಥ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುವಾದಕರು

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಶ್ರೀ **ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್,** ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ **ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ,** ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ **ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ.ಎನ್,** ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಎಸ್. ಸೌಮ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

2014ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು 2017–18ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈ ತಲಪಿದವು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದವು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಠ್ಯಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಆಪಾದನೆ ಕೇಳಿಬಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವೆಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂಥ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇವೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ಪಠ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗ–ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ದ್ವೇಷ, ತಾತ್ಸಾರಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತಿರಬಾರದು. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನೂ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಉದ್ದೀಪಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಜನಪದಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಠ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ, ಸಭ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ (1) ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುವ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು (2) ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಕಾಲಪಟ್ಟಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು (3) ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಕೋಶವಾಗಿಸದೆ ಜ್ಞಾನಕೋಶಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು (4) ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ ಜಾಗ ಕೊಡಕೂಡದು (5) ಅರ್ಧಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ನಿರ್ಣಯ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರಗಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಂದಿಡಬೇಕು (6) ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು (7) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು (8) ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು – ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದೊಳಗಿನ ಹಲವು ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯ, ಭಾಷೆ, ಪಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರಭಾವವನ್ನು ತಾಳುವಂಥ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರತಿಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆದರ್ಶಸ್ಥಿತಿ. ಅದರತ್ತ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವೇ ಹೊರತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ವಿನಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಹೊರತು ಸಮಗ್ರ ಪುನಾರಚನೆಯಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ (2014ರಲ್ಲಿ) ರಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇಡಿಯ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ, ಅಂತೆಯೇ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಆಭಾರಿ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತ, ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಪುನಾರಚಿತ ಪಠ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಬೆಂಗಳೂರು

ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ

ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ **ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ,** ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ರಾಜರಾಮ್ ಹೆಗಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಡಾ. ಎನ್. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ವಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ. ರಂಗನಾಥ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ. ವಾಸುಕಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕೊಡಿಯಾಲಗುತ್ತು, ದ್ವಾರಕ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ ಪೋತದಾರ, ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, ದಿ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ. ರಾಧಾ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್‌ಟಿ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಲ್., ಜಿ.ಪಿ.ಟಿ., ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ–1.

ಅನುವಾದಕರು

ಡಾ. ವಿಜಿ. ಎಸ್., ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ.ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿ.ವಿ., ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. GHS, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ.ಸುಮಂಗಳ ಆರ್., J.S.S. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ವಿ., ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, GHS, ನವಿಲೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಕೆ.ಎಂ., ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ. ಎನ್, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೌಮ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುನ್ನುಡಿ

2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಐದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗದಂತೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗದಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ "2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ತಿದ್ದೋಲೆ" ಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

3. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ/ಕೈಬಿಡುವ/ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

4. ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಸಂಗತಿ, ಆಶಯ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಅಪಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

5. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನೆರವು ನೀಡಿವೆ.

ವಿಷಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು/ಪಾಠಗಳು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಐದೂ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರೆಯೆರೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಶೋಧಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಂದನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

ಎನ್. ಮಂಜುಶ್ರೀ . ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ),
ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ ಎಂ. ಜಿ. ಹೆಗಡೆ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ

ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ. ಹೆಗಡೆ, 'ಅಹಲ್ಯ', ಚಿತ್ರಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂಬಳ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಬಿ.ಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಡೀನ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ–ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಡಾ. ಎ.ಬಿ.ವಗ್ಗರ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ವಾರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಡವಾಣಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ. ಕಿರಣ್ .ಎಂ ಗಾಜನೂರು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ. (6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ.ಪಿ.ಎಸ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನಕರ್.ಪಿ.ಎಮ್. ಸ.ಶಿ., ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಿರಾ ತಾ., ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಹಿನಾ ಅಲ್ಲಾಪುರ, ಸ.ಶಿ., ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬರದಿ ಮಂಡಿಗೆರೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂ.ಗ್ರಾ. ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ತಬಸುಮ್ ಫಾತಿಮಾ, ಸ.ಶಿ.,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿ.ಎಸ್., ಸ.ಶಿ., ಜಿ.ಪಿ.ಟಿ., ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ–2, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು :

ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರರೆಡ್ಡಿ .ಹೆಚ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾದಲವೇಣಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ–4, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತ ಎಂ. ಎನ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೊಂಬೆಗೌಡ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ–3, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅನುವಾದಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ.ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿ.ವಿ., ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. GGHS, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣವಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ತೋಯಿದ್ ಅತ್ತಾರ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಮಾದೇಗೌಡ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಡಿ. ಉಷಾ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್. ಎಸ್. ಸೌಮ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अनुक्रमणिका

I4M5M8

अध्याय संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
1.	भारत में यूरोपियों का आगमन	1
2.	अंग्रेजी प्रशासन का विस्तार	14
3.	भारत में अंग्रेजी प्रशासन के परिणाम	20
4.	मैसूर के ओडेयर और कर्नाटक में अंग्रेजी प्रशासन का प्रतिरोध	36
5.	सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन	54
	राजनीतिक-शास्त्र	
6.	सार्वजनिक प्रशासन - एक परिचय	63
7.	भारत की चुनौतियाँ और उनका समाधान	74
	समाज-शास्त्र	
8.	सामाजिक स्तरीकरण	86
9.	परिश्रम और आर्थिक जीवन	90
	भूगोल-शास्त्र	
10.	भारत: भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक विशेषताएँ	96
11.	भारत की ऋतुएँ	105
12.	भारत की मिट्टियाँ	110
13.	भारत की वन संपदा	115
14.	भारत के जलसंसाधन	120
	अर्थ-शास्त्र	
15.	अर्थव्यवस्था और सरकार	129
	व्यवहार-अध्ययन	
16.	बैंक संबंधी व्यवहार	139

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इतिहास

अध्याय - 1

भारत में यूरोपियों का आगमन

R8V9F1

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं।

- भारत का यूरोपवासियों के साथ व्यापारिक संबंध और वाणिज्य संबंध।
- भारत में व्यापार के लिए यूरोपवासियों का आगमन ।
- यूरोपियों के राजनैतिक उत्थान में कार्नाटिक के युद्ध ।
- प्लासी की लडाई, बक्सर की लडाई, दोहरी सरकार की पद्धति ।
- अंग्रेजों की आक्रमणकारी नीति ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भारत में प्राचीन काल से यूरोपवासियों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंध स्थापित रहे। मुख्यतः भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च, जीरा, दाल चीनी, इलायची, अदरक आदि पदार्थों की यरोप में अत्यधिक माँग थी। मध्य काल में भी यूरोप और भारत व एशियाई देशों के साथ व्यापार प्रगति पर था। एशिया के माल को अरब व्यापारी पूर्वी रोमन (बैजांटियम) साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल नगर पहुँचाते थे। वहाँ से इटली के (रोम साम्रज्य का भाग) व्यापारी उस माल को खरीद कर यूरोप के देशों में बेचते थे। इस प्रकार कॉनस्टेंटिनोपल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल का विनिमय केंद्र बनने से यह नगर 'यूरोपीय व्यापार का प्रमुख द्वार' माना जाने लगा था। एशियाई देशों के व्यापार पर अरब व्यापारियों ने एकाधिकार स्थापित किया, वहीं यूरोपीय देशों के व्यापार पर इटली के व्यापारियों ने एकाधिकार स्थापित किया। इटली के व्यापारियों के लिए एशियाई वस्तुएँ लाभदायक थीं।

कॉन्स्टेंटिनोपल नगर पर अधिकार : एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार संबंधी कारोबार कॉन्स्टेंटिनोपल नगर द्वारा होता था। 1453 में आटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल नगर पर अपना अधिकार जमाया। इस प्रकार इस नगर के जरिए होने वाले सभी व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में चले गये। तुर्कों ने इस व्यापारिक मार्ग पर आने जाने के लिए अत्यधिक कर लगाया। इसके परिणाम स्वरूप इस मार्ग के व्यापारियों को कोई खास लाभ

नहीं मिलता था। इसी समय इटली के व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों के व्यापारियों ने नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए साहसी नाविकों को प्रोत्साहन देना शुरु किया। इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए नया आविष्कार हुआ। दिशा सूचित करने वाला कंपास, एस्ट्रोलैब (नक्षत्रोन्नति मापन) गोला बारुद जैसे पदार्थ सहायक सिद्ध हुए।

भारत के लिए नया जल मार्ग : 1498 ई. में पुर्तगाली नाविक वास्कोडगामा लिस्बन नगर से निकलकर समुद्री मार्ग से यात्रा करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के पास 'काप्पड' नामक जगह पर पहुँचा। इस प्रकार वास्कोडगामा ने भारत और यूरोप को जोडने वाले नए जलमार्ग की खोज की। वास्कोडगामा ने जो नया जलमार्ग खोजा था, इस मार्ग द्वारा अगले कई वर्षों तक भारत और यूरोप के बीच का व्यापार अस्तित्व में रहा। पुर्तगाली व्यापारी यूरोपीय देशों के पहले व्यापारी वर्ग थे जो भारत में आए थे।

आपको ज्ञात रहे :

1869 में लाल सागर और भूमध्य सागर से संपर्क करने के लिए भूमि खोदकर बडी नहर बनायी गयी ताकि बडे पानी के जहाज आसानी से आ-जा सकें। मिस्त्र (ईजिप्ट) के भूभाग में नहर बनायी गयी थी। यही नहर स्वेज नहर कहलाता है। जो बहुत प्रसिद्ध है। स्वेज नहर बनाने से पहले वास्कोडगामा द्वारा खोजे गये जलमार्ग से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। स्वेज नहर बनने से सभी देशों को लाभ हुआ क्योंकि वास्को-ड-गामा द्वारा ढूँढा गया मार्ग, पानी के जहाज द्वारा अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप के पास से होकर भारत पहुँचता था।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

यूरोप की व्यापारिक कंपनियाँ :

पुर्तगालियों के सफल प्रयत्नों से प्रेरित होकर यूरोप के डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियाँ भारत में आयी। इस विकास ने उपनिवेश राष्ट्र के रुप में विकासित भारत को ही नहीं, बल्कि यूरोपीय राष्ट्रों के इतिहास को भी निर्णायक रुप से बदला दिया ।

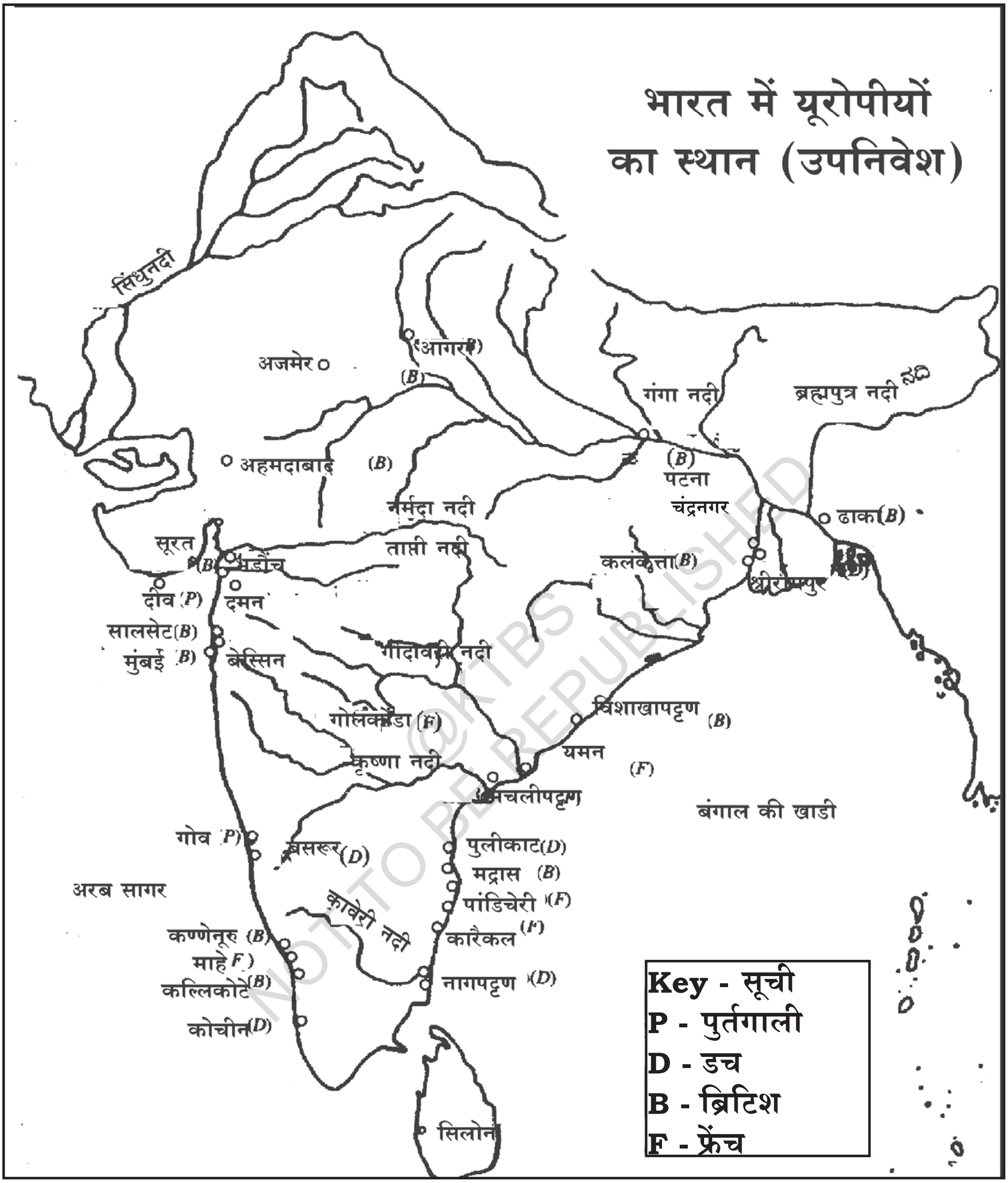

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

पुर्तगाली : जलमार्ग से होकर व्यापार के लिए भारत आया सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। भारत को छोड़कर सबसे अंत में जाने वाली कंपनी भी पुर्तगालियों की थी। वास्को-ड-गामा के बाद पुर्तगाल के सर्वप्रथम वायसराय बनकर फ्रांसिस्को-डी-आल्मेडा भारत आये। उन्होंने भारत में राज्य विस्तार न करके समुद्र पर एकाधिकार

स्थापित करने के लिए नौसेना को शक्तिशाली बनाने हेतु 'नीले जल की नीति' (Blue Water Policy) को कार्यान्वित किया। आल्मेडा के बाद अल्फांसो-डी-अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के सच्चे संस्थापक के रुप में प्रसिद्ध है। उन्होंने 1510 ई. में बिजापुर के सुल्तान से युद्ध कर गोवा को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों का केंद्र स्थान बनाया। पुर्तगालियों ने एक शताब्दी तक भारत में व्यापार क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित किया था। डच और अंग्रेजों के आगमन के बाद राजनैतिक दृष्टि से पुर्तगालियों की शक्ति कमजोर होती चली गई।

डच :

डच हालैंड या नीदरलैंड देश के थे। इन्होंने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तथा भारत और जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि प्रसिद्ध द्वीपों में प्रवेश किया। भारत में सूरत, भ्रोच, क्यांबे, कोचीन, नागपट्टण, मचलीपट्टण, चिन्सूर, आदि स्थानों पर अपने ठिकाने बनाए। इसके द्वारा उन्होंने पुर्तगालियों के एकस्वामित्व को समाप्त किया।

मार्तंड वर्मा - 1729 से 1758 तक वैनाड संस्थान पर शासन करने मार्तंड वर्मा ने अपने आसपास के संस्थाओं तथा बाह्य डचों से अपने संस्थान की रक्षा की। अपनी राजधानी पद्मनाभपुर से तिरुवनंतपुर को स्थानांतरित कर उन्होंने काली मिर्च के व्यापार में अपनी पकड बना रहे डचों को रोका। कायम कुलं कोची, पुरक्काड, तथा वडक्कुंकूर संस्थाओं के साथ मिलकर डच सेना ने तिरुवांकूर पर आक्रमण किया, तब मार्तंड वर्मा के दल / सेना ने डच दल को पराजित कर नेडुमंगड और कोट्टारकर के व्यापारिक केंद्रों को अपने वश में कर लिया।

1741 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कोट्टारकर संस्थान को समक्ष रख तिरुवांकुर पर आक्रमण किया । इस युद्ध में भी तिरुवांकूर की सेना विजयी हुई । और डच की काफी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा ।

मार्तंड वर्मा के प्रशासन में कोची विश्व का प्रमुख सांबार पदार्थों के केंद्र के रूप में जाना गया। तिरुवांकूर संस्थान अत्यंत धनिक संस्थान बना। अंततः 1753 को हुए समझौते के अनुसार डच सेना अपना संपूर्ण अधिकार तिरुवाकूर को सौंपकर शरणागत हुई। इस प्रकार मार्तंड वर्मा का शासन भारत के इतिहास में प्रमुख कालसीमा के रूप में पहचाना जाता है ।

भारत में अंग्रेजों को उत्थान और डचों द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया में वशीभूत द्वीपों में अधिक रुचि दिखाने के कारण भारत में डचों के अधिकार का पतन हो गया।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आप को ज्ञात रहे :
आगार व्यापारिक माल (वस्तुओं) के गोदाम बन गए। इस के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से ऊँची दीवारें बनायी गयी थीं।

अंग्रेज : इंग्लैण्ड की रानी एलिजाबेथ ने 1600 ई. के 31 दिसंबर में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए अनुज्ञापत्र दिया था। इस कंपनी ने औपचारिक रूप से 1613 ई. में व्यापार करना शुरू किया। मुगल सम्राट जहाँगीर ने सूरत में कारखाना अथवा बृहत गोदाम (Factory or Warehouses) शुरु करने के लिए अनुज्ञाप्ति दी। 1617 ई. में इंग्लैंड के राजा जेम्स (प्रथम) के राजदूत बनकर जहाँगीर के दरबार में सर थामस रो आए। सर थामस रो ने साम्राज्य के विविध क्षेत्रों में कारखानों को स्थापित करने का अधिकार पाया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद और भ्रोच में कारखाने खोले। अंग्रेजों ने 1639 ई. में चंद्रगिरि के राजा से भूमि पाकर, मद्रास में सेंट जॉर्ज नामक सुदृढ़ किले का निर्माण किया। आगे चलकर इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स (द्वितीय) ने बंबई को 1668 में कंपनी वार्षिक रूप से 10 पाउण्ड के दर पर किराये पर दी। 1690 के दशक में बंगाल के राज्यपाल से हुगली नदी के किनारे सुतनुती, कालिकट और गोविंदपुर नामक तीन गाँवों को खरीद कर, इस जगह पर फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। इसके आसपास के क्षेत्र में कलकत्ता नगर का विकास हुआ। 17वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नगरों को अपना प्रेसिडेंसी क्षेत्र बनाया। 18 वीं शताब्दी के शुरुवाती वर्षों में अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ प्रदेशों में अपना 'नागरिक और अपराध संहिता' (Civil and Criminal Procedure Codes) जारी किया।

फ्रांसीसि : फ्रांसिसी ईस्ट इण्डिया कंपनी 1664 में सरकारी स्वामित्व के तौर पर शुरु हुई। इस संस्था ने 1668 में प्रथम बृहत माल गोदाम को सूरत में आरंभ किया। बाद में मछलीपट्टण, चंद्रानगर, माहे, कारैकल, कासिम बज़ार, बालासूर, जैसे स्थानों को अपना केंद्र बनाया। फ्रांसिसियों ने 1674 में वालिकोंडापुरम् के मुस्लिम अधिकारी से एक गाँव पाया। धीरे-धीरे इसी गाँव को अपना बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाकर फ्रांसिसियों ने इसे ही अपनी राजधानी बनायी। आज यही गाँव, पुदुचेरी अथवा पांडिचेरी नाम से जाना जाता है। यह स्थान 1954 भारत से निष्कासित होने तक फ्रांसिसियों की राजधानी थी। 1746 में डूप्ले नामक महत्वाकांक्षी अधिकारी, गवर्नर बनकर पाँडिचेरी आये। इन्होंने दक्षिण भारत में, फ्रांसिसियों का अधिकार जमाने का सपना देखा था। यही सब कारक अंग्रेजों के साथ कार्नाटिक युद्ध का कारण बन गया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के बीच की प्रतिस्पर्धा :

पुर्तगाली डच कंपनियाँ 18 वीं शताब्दी के मध्यकाल तक अंग्रेजों और फ्रांसिसियों से प्रतिस्पर्धा ने कर पाने के कारण भारत के राजनैतिक क्षेत्र से पीछे हट गयीं। अंत में अंग्रेजों और फ्रांसिसियों ने राजनैतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए परस्पर शक्ति प्रदर्शन करना शुरू किया। इसी संदर्भ में हैदराबाद रियासत और कार्नाटिक (तमिलनाडु का पूर्वीभाग) प्रांत की राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाने का प्रयास फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने किया। इसके परिणाम स्वस्प ही तीन कार्नाटिक युद्ध हुए।

ज्ञात रहे : 1724 में हैदराबाद रियासत की स्थापना 'आसफ झा' ने की थी। इसके अधीन कार्नाटिक प्रांत पर राज करने वाला दोस्त अली नामक व्यक्ति आसफ झा के प्रति निष्ठावान नहीं था। 1740 में मराठों ने कर्नाटक को लूट कर 'दोस्त अली' को मार डाला। उसके दामाद चंद्रासाहब को सतारा में कैदी बनाकर रखा। तब आसफ झा ने अपने विश्वसनीय व्यक्ति अनवरुद्दीन को कर्नाटक नवाब के तौर पर नियुक्त किया।

पहला कर्नाटिक युद्ध (1746-48) :

डूप्ले के निवेदन के अनुसार लबोर्डिना नामक फ्रांसिसी सेना के प्रमुख ने मारिशस से आकर अंग्रेजों से मद्रास को अपने वश में लिया। अंग्रेज असहायक हो गए थे,तब वे कार्नाटिक के नवाब अनवरुद्दीन के पास अपनी प्रार्थना लेकर गए। मद्रास से फ्रांसिसी सेना को बाहर करने के लिए अनवरुद्दीन ने जो सेना भेजी थी, वह भी हार गई। आखिर में लाबोर्डिना डूप्ले को बिना बताये अंग्रेजों से धन प्राप्त कर मद्रास को अंग्रेजों के लिए छोड़, मारिशस चला गया। इस बात से डूप्ले को गुस्सा आया और उन्होंने मद्रास को पुनः अपने वश में लेने का प्रयत्न किया। लेकिन वे असफल रहे। अंत में यह युद्ध युरोप में फ्रांस और इंग्लैण्ड के बीच 'एक्स-ला-चापेल' नामक समझौते से समाप्त हो गया।

ज्ञात रहे : हैदराबाद रियासत के निज़ाम आसफ झा का 1748 में निधन हो गया। सिंहासन की प्राप्ति के लिए उनके पुत्र नासिर जंग और उनके पोते मुज़ाफर जंग के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई। वहाँ कार्नाटिक में (मराठों की कैद से छूटकर) चंदासाहेब और अनवरुद्दीन के बीच सिंहासन प्राप्ति के लिए लड़ाई-झगडा शुरु हो गया। तब फ्रांसिसियों ने हैदराबाद में मुज़ाफर जंग का; कार्नाटिक में चंदासाहेब का समर्थन किया। इसके विपरीत अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन किया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1749 में चंदासाहेब, मुज़ाफर जंग और फ्रांसीसि सेना जुड़कर अनवरुद्दीन को आम्बूर की लडाई में मार डाला। परिणाम स्वरूप चंदासाहेब कार्नाटिक का नवाब बन गया। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहमद अली अंग्रेजों की सहायता से तिरूचिनापल्ली में स्थायी रूप से रहने लगा। वहाँ हैदराबाद में मुज़ाफर जंग चंदासाहेब और फ्रान्सिसियों की सहायता से नासिर-जंग की हत्या करके निज़ाम बन गया। थोड़े दिन बाद उसकी भी हत्या कर दी गयी। उसकी जगह फ्रांसिसियों ने आसफ झा के दूसरे पुत्र सलाबत जंग को निज़ाम बनाया।

दूसरा कार्नाटिक युद्ध (1749-1754) :

बदली हुई परिस्थिति में फ्रांसिसियों ने आसफ झा के दुसरे पुत्र सलाबत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बनाया। फ्रांसिसियों ने उसकी रक्षा के लिए दरबार में अपनी सेना सहित 'बुस्सि' नामक अधिकारी को नियुक्त किया। दूसरी तरफ फ्रांसिसियों के समर्थन से चंदासाहेब कार्नाटिक के नवाब बन गए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी के अधिकारी जिनका नाम राबर्ट क्लाइव था। उन्होंने कार्नाटिक की राजधानी आर्काट पर आक्रमण करके फ्रांसिसियों और चंदासाहेब को बुरी तरह हराया। अंत में इस युद्ध में चंदासाहेब को बंदी बनाकर हत्या कर दी गयी। उसके स्थान पर अंग्रेजों ने अन्वरूद्दीन के बेटे मुहम्मद अली को नवाब के तौर पर नियुक्त किया। आखिर में कार्नाटिक की दूसरी लडाई 'पांडि-चेरी समझौता' (1754) के साथ समाप्त हो गयी। फ्रांसिसियों ने डूप्ले को अपने देश वापस बुलालिया इस युद्ध से फ्रांसीसियों को राजनैतिक विकलता और अंग्रेजों को प्रतिष्ठा मिली।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

तीसरा कार्नाटिक युद्ध (1756-1763) :

1760 ई. में फ्रांस देश के 'कौंट-डी-लैली' ने वांडिवाश किले को घेरने का प्रयत्न किया। वांडिवाश इस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी सेनाधिकारी सर आयरकूट न केवल फ्रांसिसियों को हराया बल्कि बुस्सि को कैद करने में सफल रहे। लैली किसी तरह अपनी जान बचाकर पांडिचेरी में ही कहीं छिपकर रहने लगा। आखिर में आयरकूट ने पांडिचेरी को चारों तरफ से घेर लिया। तब लैली ने 1761 ई में बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया।

कार्नाटिक युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसिसियों ने अपने प्रमुख केंद्रों को खो दिया। इसके बावजूद 1763 ई में 'पैरिस समझौते' के तहत फ्रांसिसियों को पुनः पांडिचेरी वापस

कर दिया गया। ऐसी प्रमुख घटनाओं के कारण दक्षिण भारत में फ्रांसिसियों का अस्तित्व न के बराबर रहा। इस प्रकार अंग्रेज अपने सभी यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों का दमनकर दक्षिण भारत को संपूर्ण रूप से जीतने के लिए प्रयत्नशील हो गए।

आपको ज्ञात रहे :

रॉबर्ट क्लाइव - भारत में अंग्रेजी प्रशासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में कारिंदे के पद पर सेवारत था। कार्नाटिक के युद्ध में विशेषकर आर्काट की चढ़ाई में महत्व पूर्ण भूमिका निभाकर अंग्रेजों की विजय का कारण बना। दक्षिण भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व में निर्णायक भूमिका निभाकर, बंगाल के विजय का कारण रहा। 1757 के प्लासी युद्ध में विजयी होकर बंगाल के नबाव पर अपनी पकड़ बनायी। इससे क्लाइव ने अपार संपत्ति कमायी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लाभान्वित किया। क्लाइव ने अपार संपत्ति इंग्लैण्ड भेजी और वह संसद का सदस्य नियुक्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के इंग्लैण्ड वापस आने के बाद भारत में ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ा । इंग्लैण्ड से क्लाइव पर आरोप होने पर भी अनिवार्यता वश सरकार ने अंग्रेजों के सम्मान हेतु और उनके हित के लिए उसे भारत वापस सेनापति के रूप में भेजा गया। बक्सर युद्ध में पुनः युद्ध जीत कर अंग्रेजों को सम्मान वापस दिलाकर क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उडिसा प्रांतों पर दिवानी अधिकार कंपनी को दिलवाया। इससे स्वयं को और ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी को संपत्ति प्राप्त करायी और 1767 में इंग्लैण्ड वापस चला गया।

डूप्ले - डूप्ले भारत में फ्रांसीसी आधिपत्य पर गवर्नर जनरल के रूप में 1742 में नियुक्त हुआ। भारत पर राजनैतिक आधिपत्य जमाने का स्वप्न देखने वाले डूप्ले ने, यहाँ के देशी राजाओं के साथ समझौता किया था। डूप्ले द्वारा तैयार देशी सेना से हैदर अली ने भी प्रशिक्षण लिया था। अंग्रेजों को डूप्ले अपनी अधिपत्य स्थापना में चुनौती बना। इस प्रकार कर्नाटक और दकन पर आधिपत्य जमाने में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों का संघर्ष देखा जा सकता है। डूप्ले ने 1746 में मद्रास युद्ध में बहुमुखी भूमिका निभायी और विजयी पायी। फ्रंसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष 1754 तक हुआ। तत्पश्चात फ्रांस की सरकार ने शांति की इच्छा से डूप्ले को वापस बुला लिया।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

भारत में अंग्रेजी प्रशासन :

दक्षिण भारत में अंग्रेज राजनीतिक दृष्टि से नियंत्रण रखने में सफल हुए। 18 वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध में अब उनकी नज़र बंगाल प्रांत, जो अत्यंत समृद्धशाली क्षेत्र था

उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे। कृषि, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में बंगाल राज्य समृद्ध था। ब्रिटिष ईस्ट इण्डिया कंपनी इस प्रांत से अत्यधिक लाभ कमाती थी। 1717 ई. में मुगल राजकुमार फारुख शियार ने कंपनी को बंगाल में मुक्त एवं स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए 'दस्तक' (परवाना) दिया था। इससे कंपनी को बहुत लाभ होता था। दस्तक कंपनी के कर्मचारी गण अपना खुद का व्यापार करके दुरुपयोग करने लगे। ऐसा करने से बंगाल सरकार को बहुत नुकसान होता था। इसलिए मुर्शिद अली खाँ से लेकर अलिवर्दी खाँ तक सभी नवाबों ने परवाने के दुरुपयोगों का विरोध करते थे। आगे यही विचार नवाब तथा कंपनी के बीच में संघर्ष का कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप ही - भारत के इतिहास को नया मोड़ देनेवाली अत्यंत महत्वपूर्ण दो लडाइयाँ हुई। उन के नाम हैं, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई।

ज्ञात रहे :

दस्तक का अर्थ : बिना किसी कर पद्धति के आधार पर वस्तुओं का आयात और निर्यात करना, माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए आवश्यक लिखित अधिकार पत्र।

प्लासी युद्ध (1757) :

बंगाल के नवाब अलीवर्दी खाँ का निधन 1756 में हुआ। इसके बाद इनका पोता सिराज उद-दौला राजगद्धी पर बैठा। सिराज-उद्दौला युवा नवाब था। इनके और अंग्रेजों के खिलाफ 1757 में इतिहास प्रसिद्ध प्लासी लडाई हुई।

कारण :

1) **दस्तक (परवाना) का दुरूपयोग :** कंपनी को व्यापार के लिए दिये गये 'दस्तक' को अंग्रेज कर्मचारी दुरूपयोग करते थे। इससे राज्य के खज़ाने को अत्यधिक नुकसान हुआ। इसी वज़ह से सिराज क्रोधित हुआ।

2) **बिना अनुमति के किले की मरम्मत :** अंग्रेज, फ्रांसिसियों के भय के कारण कलकत्ते के किले को सुदृढ़ बनाकर वहाँ तोपा रखते थे। बिना अनुमति किले की मरम्मत करवाने के कारण तोपों को हटाने के लिए सिराज-उद्दौला ने सूचित किया था। लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया, जिससे सिराज क्रोधित हुआ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3) **काले कमरे की त्रासदी:** सिराज ने फोर्ट विलियम किला जीतकर, आसानी से कुछ लोगों को कैद किया। आक्रमण में कैद हुए 146 अंग्रेजों को छोटे कमरे में बंद किया। इनमें से 123 लोग मर गये। इसलिए इसे काले कमरे की त्रासदी कहते है। यह समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी शक्तिशाली सेना लेकर बंगाल पहुँचा।

रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले नवाब के विरोधी जैसे माणिकचंद, नेमिचंद, जगत सेठ जैसे अमीरों को (बंगाल के लेन-देन की कारोबारी) अपनी तरफ आकर्षित किया। बाद में सिराज के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर युद्ध में तटस्थ रहने को कहा। इन बातों से रॉबर्ट क्लाइव ने धैर्यवान होकर 1757 जून 23 को सिराज-उद-दौला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। प्लासी नामक जगह पर हुए इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की योजना के अनुसार सब कुछ ठीक-ठाक चला। युद्धभूमि से नवाब सिराज-उद-दौला किसी तरह छिपते हुए भाग रहा था, किंतु किसी तरह नवाब को पकडकर उसका वध कर दिया गया।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

परिणाम :

1. इस युद्ध से भारतीयों में अनेकता, असंगठित लोभ भावना व्यापारी वर्ग में निहित, लोभ भावना प्रदर्शित हुई।
2. मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया।
3. कंपनी ने बंगाल प्रांत में व्यापार के लिए स्वेच्छापूर्वक काम करने का अधिकार पाया।
4. सिराज-उद-दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण का युद्ध उपचार के लिए मीरजाफर ने ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्रह करोड, सत्तर लाख रूपये दिये।

कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी थी कि मीर जाफर को कंपनी और उसके कर्मचारियों की कठपुतली बनकर रहना पड़ा और निरंतर शोषित होता रहा। ऐसी हालात में बंगाल सरकार का खज़ाना खाली हो गया परंतु फिर भी लालची कंपनी के अधिकारियों का दिल नहीं भरा। ऐसी परिस्थिति में कंपनी ने मीर जाफर को असमर्थ समझ कर उसे नवाब के स्थान से हटाया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद पर नियुक्त किया।

बक्सर की लड़ाई (1764) : मीर कासिम एक समर्थ प्रशासक था। इसने भी प्रारंभ में कंपनी के प्रति निष्ठा दिखायी थी। इसने कंपनी को दो लाख पौण्ड की धन राशि के साथ-साथ कुछ प्रदेशों को कंपनी को दिया। लेकिन शीघ्र ही मीर कासिम सचेत हो गए एवं स्वयं को स्वतंत्र राजा मानकर चलने लगे। दस्तक (कर प्रणाली) के दुरूपयोग पर मीर कासिम ने जाँच-पड़ताल कर, बंगाल में होने वाले व्यापार को कर मुक्त (Tax Free) घोषित किया। इस वजह से भारतीय व्यापारी वर्ग को काफी राहत मिली और वे सीधे तौर पर अंग्रेजों से व्यापार के मामले में स्पर्धा करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का व्यापार बहुत धीमा हो गया। अंग्रेज इस वजह से बंगाल के नवाब का विरोध करने लगे। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के स्थान से हटाकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया। अंग्रेजों की धोखेबाज़ी को समझकर मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरूद्ध सैन्य संगठन का काम करना शुरू किया। भारतीय व्यापारी वर्ग और कारीगर मीर कासिम के समर्थन में खड़े हो गए। आसपास होने वाली घटनाओं को समझते हुए मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम (द्वितीय) से मुलाकात की और अवध के नवाब शुजा-उद्दौला से समझौता किया। इसके परिणाम स्वरूप मीर-कासिम के नेतृत्व में तीनों संयुक्त सेनाओं ने एक होकर अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले 'हेक्टर मनरो' की सेना के खिलाफ 1764 ई. में बक्सर नामक जगह पर आमना-सामना किया। इस युद्ध में मीर कासिम हार कर कहीं दूर भाग गया। शाह आलम अंग्रेजों की शरण में आ गये। अंग्रेजों की शक्ति के सामने मीर कासिम की संगठन शक्ति संपूर्ण रूप से विफल हो गयी।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

बक्सर की लड़ाई के परिणाम :

1. शाह आलम ने ब्रिटिष ईस्ट इंण्डिया कंपनी को 'दीवानी' अधिकार सौंप दिया।
2. शाह आलम ने वार्षिक रूप से 26 लाख रूपये पाकर बंगाल से संबंधित अपने सारे अधिकारों को अंग्रेजों को दे दिया।
3. अवध के नवाब शुजा-उद्दौला ने कंपनी को युद्ध में हुई क्षति पूर्ति के लिए 50 लाख रूपये दिये।
4. मीर जाफर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बेटे को निश्चित वेतन देकर कंपनी ने बंगाल की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अपने वश में ले लिया।

आखिर में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार,

> **ज्ञात रहे : दिवानी अधिकार:** भूमि पर लगाये जाने वाला कर, वसूलने का अधिकार।

उडीसा और अवध पर संपूर्ण स्वामित्व अंग्रेजों का हो गया। और अवध भी उनके अधीन हो गया। दिवानी कर वसूलने, नागरिक और अपराध, न्याय निर्वहण व्यवस्था भारतीय अधिकारियों को प्रदान की गयी। कर वसूलने, राजस्व निर्वहण का प्रशासन अंग्रेजों ने अपने पास ही रखा । 1765 ई. में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 'दोहरी सरकार' की नीति जारी की। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों के पास 'दिवानी' प्राप्त करने का अधिकार था। अतः अंग्रेज भू-राजस्व भी वसूलते थे। नवाब प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को सँभालता था। इस प्रकार अंग्रेज अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए राजनैतिक दृष्टि से एकाधिकार चाहते थे और इसमें वे सफल भी हुए। अंग्रेजों ने इस प्रकार संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आपको ज्ञात रहे :

1600 में ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैण्ड में स्थापित हुई।

1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।

1617 में मुगल सम्राट जहाँगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिमी, समुद्री तट पर सूरत में तथा पूर्व में हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी।

1628 में पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की ।

1639 में अंग्रेजों से अपना प्रथम गोदाम (सामान रखने का कमरा) मद्रास में स्थापित किया।

1664 में फ्रांसीसि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस में स्थापित हुई।

कृपया ध्यान दें :

सा.श.पू. - सामान्य शक पूर्व

(सा.श.पू. न लिखा होने पर सामान्य शक समझें।)

अभ्यास :

I. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए :

1. 1453 में आटोमान तुर्कियों ने ________ नगर को अपने वश में कर लिया।
2. भारत और यूरोप के मध्य नवीन जलमार्ग को ________ ने खोजा।
3. 1741 ई. में डचों ने ________ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी।
4. भारत में स्थित फ्रांसीसियों की राजधानी ________ थी।
5. 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराज-उद्दौला के बीच हुआ युद्ध _____ था।
6. ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का 'दिवानी' अधिकार _____ ने दिया।
7. बंगाल में 'द्वि-सरकार' (दोहरी सरकार) नीति ________ ने जारी की।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा द्वारा दीजिए :

8. मध्य काल में भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध कैसे थे ?
9. भारत के लिए नवीन जलमार्ग खोजने का कारण क्या था? चर्चा कीजिए।
10. भारत में व्यापार हेतु आए यूरोपीयों की सूची बनाइए ?
11. मार्तंड वर्मा ने डचों को कैसे नियंत्रित किया ?
12. द्वितीय कार्नाटिक युद्ध का विवरण दीजिए ।
13. प्लासी युद्ध का कारण और परिणम बताइए।
14. बक्सर युद्ध के परिणाम क्या थे?

III. गतिविधि :

1. अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रेसिडेंसी नगरों के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए ।

* * * *

अध्याय - 2
अंग्रेजी प्रशासन का विस्तार

Z4R3N4

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों को जानते हैं :

- आंग्लो मराठा युद्ध
- आंग्लो सिक्ख युद्ध
- सहायक सेना पद्धति
- दत्तक-पुत्रों को अधिकार न होने की नीति
- अंग्रेजी अधिकारों का केंद्रीकरण

अंग्रेजों ने कर्नाटक के युद्धों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में यूरोप का कोई भी देश प्रतिद्वंदी न बने। प्लासी और बक्सर की लडाई द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत पर संपूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया था। 1765 के समय तक लगभग भारत के पूर्वीभाग में प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन भारत के पश्चिम और दक्षिण भागों में मैसूर और मराठा राज्य शक्तिशाली होने के कारण अंग्रेजों का प्रभुत्व बंबई तक पश्चिम भारत में सीमित रहा।

अंग्रेजों की अगली विस्तार नीति के अंतर्गत मराठा, पेशवा, मैसूर रियासत में शासन करने वाले हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों की क्षेत्र विस्तार नीति में रुकावट बने। इनके बाद उत्तर पश्चिम भारत में सिक्ख धर्म के लोग अंग्रेजों के प्रबल विरोधी हो गए। उन्नीसवीं शती के आंरभिक दशकों मे रणजीत सिंह सिखों के संगठन में सफल हुआ।

अंग्रेजो ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अठारहवीं शताब्दी के मध्यभाग से उन्नीसवी शताब्दी तक एक के बाद एक अनेक युद्ध किये। राज्य विस्तार करने की नीति के अंतर्गत 'सहायक सेना पद्धति' और 'दत्तक पुत्रों' को अधिकार नहीं है, इन को लागू कर चालाकी से भारत के कई राज्यों को अंग्रेजों ने हडप लिया। इस अवधि में अंग्रेजों द्वारा भारत के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर-पश्चिमी भाग में किये गये युद्धों का विवरण इस प्रकार है - तीन आंग्लो - मराठा युद्ध, चार आंग्लो-मैसूर युद्ध और दो आंग्लो सिक्ख युद्ध प्रमुख हैं। आंग्लो मैसूरु युद्धों को चौथे पाठ में चर्चित किया गया है। इस अध्याय में हम अंग्रेजों से संचालित मराठों और सिक्ख युद्ध की जानकारी प्राप्त करेंगे।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आंग्लो-मराठा युद्ध

प्रथम आंग्लो-मराठा युद्ध (1775-1782) मुगल बादशाह दूसरा शाह आलम जो बक्सर की लड़ाई में हार गया था और अंग्रेजों के आश्रय में था उसे मराठों ने पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय ने पहले अंग्रेजों को जो कोरा और अलाहबाद दिया था बाद में इन स्थानों को मराठों को दे दिया। इसी वज़ह से मराठों और अंग्रेजों के बीच में दुश्मनी की भावना बढ़ गयी। मराठों में सबसे शक्तिशाली पेशवा माधवराव थे, इसी समय उनकी मृत्यु हो गयी। मराठों को इसी वज़ह से बहुत नुकसान हुआ। पेशवा के स्थान पर उसके छोटे भाई नारायणराव ने सिंहासन सँभाला लेकिन बाद में उसके चाचा राघोबा (रघुनाथराव) ने उसका कत्ल कर दिया। इस प्रकार पेशवा के स्थान पर कलह का वातावरण था। नाना फड्नवीस के नेतृव में पेशवा के स्थान का आकांक्षी रघोबा के बदले में नारायण राय के बेटे माधवराव द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया। मराठा घराने से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण रघोबा ने अंग्रेजों से समर्थन के लिए निवेदन किया। अंग्रेजों ने इस अवसर से लाभ उठाने की बात सोची। अंग्रेजों और मराठा संघ के बीच 1775-1782 तक चली लंबी लडाई में मराठों को प्रारंभिक सफलता मिली थी। आखिर में मराठों के कब्जे से अहमदाबाद छूट गया। मराठा संघ ने युद्ध जारी न रखकर अंग्रेजों से सालबाय समझौता कर लिया। माधवराव द्वितीय को पेशवे के तौर पर नियुक्त किया गया।

लॉर्ड वेल्लेस्ली (1798-1805) और सहायक सेना पद्धति: लॉर्ड वेल्लेस्ली के गवर्नर जनरल बनकर आने के बाद भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ। इनके आगमन के अवसर पर शक्तिशाली मराठा और मैसूर राज्य दुर्बल हो गए थे। इस वज़ह से अंग्रेजों की विस्तार करने की नीति फायदेमंद रही। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वेल्लेस्ली ने तीन तरीकों का पालन किया। वे हैं - सहायक सेना पद्धति, नये राज्यों पर युद्ध करना और जो राज्य पहले से ही कंपनी के अधीन थे उन्हें सीधे तौर पर अपने नियंत्रण में रखना।

सहायक सेना पद्धति : 1798 में भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सहायक सेना पद्धति नामक नीति को लार्ड वेल्लेस्ली ने जारी किया। सहायक सेना पद्धति अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कंपनी और भारतीय राज्यों के बीच का एक सैनिक समझाता हैं।

सहायक सेना पद्धति की शर्तें :

1. भारतीय राजा को अंग्रेजों की एक सैनिक टुकडी को अपने राज्य में रखना चाहिए।
2. सेना के वेतन और अन्य खर्च को तत्संबंधी राज्य को ही भरना चाहिए। अन्यथा कुछ निर्दिष्ट प्रदेश जो राजस्व देते हैं उन्हें अंग्रेजों के लिए छोड़ देना चाहिए।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. राजा दरबार में अंग्रेज रेसिडेंट को नियुक्त करना चाहिए।

4. अंग्रेजों की अनुमति के बिना दरबार में किसी भी यूरोपीयों की नियुक्ति नहीं करनी है।

5. भारत के किसी भी राज्य के साथ युद्ध अथवा शांति संबंध स्थापित करना हो तो गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी चाहिए।

6. इसके बदले में कंपनी उस राज्य को आंतरिक एवं बाहय सुरक्षा प्रदान करेगी।

इस नीति के तहत अंग्रेजों का सेना प्रबंधन, आसान हो गया और भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में रखना संभव हो गया। भारतीय राज्यों का, आर्थिक दृष्टि से तीव्र शोषण किया गया। इस समझौते पर सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत ने हस्ताक्षर कर दिये थे। उसके बाद मैसूर, अवध, तंजौर, मराठा संस्थान, आर्काट, पूना, बिहार, ग्वालियर-आदि राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए दिये।

द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध (1803-1805) : मराठा घराने के नेताओं का परस्पर संघर्ष ही इस युद्ध का कारण था। एक तरफ होल्कर घराने के यशवंतराव थे, तो दूसरी तरफ सिंधिया घराने के दौलतराव और पेशवा बाजीराव (द्वितीय) थे। 1802 में होल्कर सेना ने सिंधिया और पेशवा की सेनाओं को पराजित किया था। पेशवा राजा ने अंग्रेजों से सहायता माँगी। लॉर्ड वेल्लेस्ली को मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। पेशवा राजा ने बेस्सिन समझौते पर हस्ताक्षर करके, सहायक सेना पद्धति को मान लिया। इस बात का विरोध करते हुए होल्कर, भोंसले, सिंधिया जैसे मराठा घराने वाले एक हो गए। 1803-1805 तक मराठा घराने की सेनाओं को वेल्लेस्ली ने अनेक युद्धों में हराया था। लेकिन उसकी युद्ध प्रिय नीतियों से कंपनी पर ऋण का बोझ बढ़ गया। इसलिए वेल्लेस्ली की अधिक निंदा होने लगी; इसलिए वह अपने पद का इस्तीफा देकर स्वदेश चला गया। इसी वज़ह से उस प्रदेश में तात्कालिक रूप से शांति व्यवस्था कायम हो गयी।

तीसरा आंग्लो-मराठा युद्ध : (1817-1818) : मराठा घरानों ने अपनी प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किया। पेशवा घराने के लोग भी अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहे। 1817 में पेशवे ने पूना में ब्रिटिश रेसिडेन्सी पर आक्रमण किया और उसे आग से जला दिया। नागपुर के अप्पा साहेब और मल्हार राव होल्कर भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और उनकी हार हुई। आखिर में पेशवा

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के खिलाफ 1818 में कोरेगावँ और अष्टि युद्ध में हारकर शरण में आ गए। अंग्रेजों ने पेशवा नामक पद को रद्द कर दिया और बाजीराव को निवृत्ति वेतन दिया। इसके बदले शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को छोटे राज्य सतारा की गद्धी पर बिठाया। इन्हें मराठों का संप्रादायिक नेता बनाकर, मराठों का प्रतिरोध का नियंत्रित किया।

अंग्रेजी अधिकारों का केंद्रीकरण (1818 - 1857) : अंग्रेजों ने 1818 से लेकर 1857 तक अखंड भारत को जीतने का काम पूरा किया। इस अवधि में अंग्रेजों ने पंजाब, सिंध, अवध जैसे प्रमुख राज्यों को जीता। अंग्रेजों ने अनेक छोटे एवं महत्वपूर्ण राज्यों पर अपना अधिकार जमाया।

आंग्लो-सिक्ख युद्ध : 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक दृष्टि से अराजकता फैल गयी। 1809 के बाद निरंतर रूप से 'मैत्री समझौते' का उल्लंघन करके, पंजाब को अपने कब्जे में लेने के लिए अंग्रेज षडयंत्र रचने लगे। 1845 दिसंबर में अग्रेजों और सिक्खों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। इन लोगों ने विदेशी लोगों से खतरा की बात को समझकर हिंदू, मुसलमान और सिक्ख धर्म के लोगों ने एकजुट होकर वीरता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लडी। लेकिन कुछ गद्धार नेताओं के कारण लडाई हार गये। 1846 में अपमानजनक 'लाहौर समझौते' पर हस्ताक्षर करना पड़ा। तब से अंग्रेजी रेसिडेन्ट अधिकारी पंजाब का वास्तविक प्रशासन अधिकारी बन गया। इस प्रकार पंजाब अंग्रेजों का आश्रय राज्य बन गया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1848 में पंजाब पर अंग्रेज की शासन व्यवस्था को थोपने के समय सिक्खों ने विरोध प्रकट किया। इस हडताल का नेतृत्व 'चट्टारसिंह अटारीवाला' ने लाहौर में किया। 'मूलराज' ने हडताल का नेतृत्व मुल्तान में किया। पंजाबियों की फिर एक बार हार हुई। अंत में लॉर्ड डलहौसी ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया।

लॉर्ड डलहौजी और दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं है नीति :

1848 में भारत में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आये। वे सभी भारतीय रियासतों को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए अंतिम प्रक्रिया में जुट गए। 'दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं है' यह नीति अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने का एक हिस्सा थी। इसके सूत्रधार लॉर्ड डलहौसी थे। इस नीति के अनुसार "कोई भी भारतीय राजा जिसका पुत्र न हो, और वह मर जाये और वह संबंधी या किसी दत्तक पुत्र को अपनाये तो उसे उत्तराधिकार के तौर पर कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगा" ऐसे राज्यों को अंग्रेजी

साम्राज्य में मिला लिया जायेगा। इस नीति के अंतर्गत जो राज्य शामिल थे उनके नाम इस प्रकार हैं - सतारा, जैटपुर, संभलपुर, उदयपुर, झाँसी और नागपुर इत्यादि। अंग्रेज गवर्नर जनरल, इन राज्य के राजाओं की संतान नहीं है, इस ज्ञान से इस नीति को राजनीतिक अस्त्र के रुप में लागू किया।

डलहौजी के निरंतर आक्रमण से भारतीय राजा लोग ही नही सहानुभूति युक्त जनसामान्य भी अंग्रेजों के विरुद्ध खडे हो गए। जन मानस में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना उमड रही थी। संपूर्ण भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश की भावना और जन मानस के मन में देशप्रेम की भावना जाग उठी। इसके परिणामस्वरूप ही 1857 में सिपाही दंगा विस्फोट हुआ।

ज्ञात रहे :

रणजीत सिंह : 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। वे सिक्खों के 12 मिसलों (संगठन) में से एक सुखर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह का पुत्र था। दस वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। वह एक छोटे प्रदेश के संगठन के मुखिया था। जब काबुल के बादशाह जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तब रणजीत सिंह ने उनकी सेवा की थी। उसकी सेवा से खुश होकर 'राजा' नामक पदवी देकर उन्हें लाहौर का राज्यपाल बनकर नियुक्त किया। रणजीत सिंह की उम्र 19 वर्ष थी। बाद में वे विस्मयकारी तरीके से शक्तिशाली बन गये। सिक्खों पर संपूर्ण रूप से परमाधिकार पाना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। सतलज नदी के पश्चिम भाग के सभी सिक्ख प्रमुखों को अपने नियंत्रण में लेकर पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। 1809 में अमृतसर में अंग्रेजों के साथ 'निरंतर मैत्री' समझौते पर हस्ताक्षर किये। यूरोपियन तरीके से सेना का संगठन किया और सेना को प्रशिक्षित किया। इनकी सेना में न केवल सिक्ख बल्कि गोरखा, बिहारी, पठान, और मुसलमान धर्म के सैनिक भी थे। लाहौर में तोपों को बनाने के ढाँचों का कारखाना खोला। तत्कालीन स्थिति में भारतीय राजाओं की तुलना में रणजीत सिंह की सेना पहले दर्जे की थी। रणजीत सिंह धर्मनिरपेक्षता की भावना, और खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। न केवल सिक्ख धर्म के गुरुओं का पोषण करते थे। सभी धर्म के लोग उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में ऊँचा स्थान पाते थे।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अंग्रेजों से दुश्मनी न लेकर अपने सिक्ख राज्य की रक्षा करने में वे कामयाब रहे थे। उसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा उत्तर-पश्चिम की दिशा से आक्रमण करने की संभावनाओं को रोकने के लिए रणजीत सिंह जैसी ऊँची दीवार (बफर स्टेट) की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके अंतिम समय तक स्वतंत्र रूप से शासन करते हुए 1839 में रणजीतसिंह की मृत्यु हो गई।

अभ्यास :

I. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानो को उचित शब्दों से भर्ति कीजिए :

1. प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध के अंत में मराठा और अंग्रेजों के मध्य __________ समझौता हुआ।
2. सहायक सेना पद्धति को __________ ने लागू किया।
3. पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन करने वाला गवर्नर जनरल ________ था ।
4. गोद लेने का अधिकार न होने की नीति को __________ ने लागू किया।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा द्वारा दीजिए :

5. प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण लिखिए ।
6. सहायक सेना पद्धति के नियम क्या थे? विवरण दीजिए ।
7. तृतीय-आंग्लो मराठा युद्ध का विवरण दीजिए ।
8. दत्तकपुत्र को अधिकार नहीं है यह नीति अंग्रेजों के अधिकार विस्तार के लिए- कैसे सहायक हुई ?
9. 'दत्तकपुत्र को अधिकार नहीं है' नीति के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य थे?

III. गतिविधि :

1. अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए अपनायी गयी रणनीति (कार्य नीति) का विश्लेषण करते हुए निबंध लिखिए ।

* * * *

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 3

भारत में अंग्रेजी प्रशासन के परिणाम

U6G6B4

इस अध्याय के द्वारा निम्नलिखित अंशों को जानते हैं :

- प्रशासन और न्याय व्यवस्था, नागरिक सेवाएँ, पुलिस व्यवस्था, सेना की व्यवस्था.
- भू-राजस्व पद्धतियाँ : कायम जमींदारी पद्धति, महलवारी पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति।
- आधुनिक शिक्षा - लॉर्ड मैकाले, वुड्सआयोग (1854)।
- ब्रिटिश शासन काल के अधिनियम - रेग्युलेटिंग अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभ में सिर्फ व्यापार कंपनी बन कर अपने व्यापार हितों को पूरा करने के लिए काम करती थी। सैकड़ों राजघरानों में बँटे हुए भारत की स्थिति को देखकर ब्रिटिशों ने उस स्थिति का अपने राजनीतिक लाभ के लिए सदुपयोग किया। परस्पर झगड़ते हुए राजाओं के बीच फूटडालकर शासन करने की नीति को अपना कर, उनको धीरे-धीरे अपने अधीन लेने की प्रक्रियाओं में 'समझौता' और 'युद्ध' के मार्गों को समर्थ रूप से उपयोग किया।।

विविध युक्तियों के उपयोग से, भारत को राजनीतिक दृष्टि से अपने अधीन में लेने के बाद, वे सोचने लगे कि भारत को किस प्रकार शाश्वत रूप से अपने अधीन रखा जा सकता है । उस समय भारत के एक देश होने का सामूहिक विचार था। परिकल्पना के अभाव में वह विविध राज्यों के प्रशासनों में बँटा हुआ था। कई राज्यों को विविध कारण से एकत्रित करके अंग्रेजों ने एक रूपात्मक राजनीतिक व्यवस्था और एक रूपात्मक प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहते थे। शिक्षा, न्याय व्यवस्था, भू-राजस्व, व्यापार, कृषि आदि क्षेत्रों में नयी प्रशासनात्मक व्यवस्था को संचालन करने के द्वारा उनसे निर्मित राज्यव्यवस्था को एक रूपता को लागू करने में सफल हुए। इस तरह के प्रशासन को रूपित करते समय वे अपने आर्थिक हितों को संरक्षित करना न भूलें। इस दिशा में कंपनी ने प्रशासन के क्षेत्र में विविध प्रयोगों को लागू किया।

प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था

नागरिक सेवाएं : लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा व्यवस्था को प्रशासन में जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही व्यापार के लिए नौकरों को नियुक्त करने की पद्धति को अपनायी थी। कंपनी ने इन नौकरों को निजी व्यापार करने के लिए आदेश दिया था। इस अवसर का उपयोग करके नौकर अनैतिक मार्ग से पैसा कमा कर भ्रष्ट हुए। इसको रोकने के लिए 1773 में इंग्लैंड सरकार ने रेगुलेटिंग अधिनियम को भारत में जारी की। इस अधिनियम के नाम ही सूचित करता है कि इसका उद्देश्य नियंत्रण में रखना।

1801ई. में नागरिक सेवाओं में नियुक्ति की आकांक्षा रखने वालों को शिक्षा देने के लिए लार्ड वेल्लेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक ने इसका समर्थन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1853 तक नागरिक सेवाओं की सभी नियुक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा हुई। 1853 के बाद नागरिक सेवाओं के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं द्वारा ही नियुक्त करने के लिए तय किया गया। इससे भारतीयों को अधिक लाभ नहीं हुआ। साथ ही अंग्रेज,भारतीयों की क्षमता को संदेह की दृष्टि से देखते थे। कार्नवालिस ने कहा था - "हिंदुस्तान में रहनेवाले हर एक मूल निवासी भ्रष्ट है।" इससे अंग्रेज भारतीयों को सिर्फ निम्न दर्जे की नौकरियाँ दे रहे थे।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

न्याय व्यवस्था : मुगलों से अंग्रेजों को धीरे - धीरे अधिकारों के हस्तांतरण से संक्रमण काल में नई न्याय व्यवस्था भारत में जन्म लेने लगी। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद मुगल बादशाह शाह-आलम ने दिवानी राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दिया था। बंगाल प्रांत में द्वि-सरकार पद्धती जारी हुई। इसे द्वि-सरकार कहते हैं। इसके अनुसार राजस्व की वसूली, नागरिक और अपराध न्याय प्रबंधन व्यवस्था को भारतीय अधिकारियों को दिया गया था। वसूल हुए भू-राजस्व के प्रबंधन प्रशासन को अंग्रेजों ने अपने पास ही रख लिया। इस दृष्टि से नयी न्याय व्यवस्था को जारी करने के द्वारा ब्रिटिश मुगलों को अधिकार से निष्कासित करके वे स्वयं सार्वभौम बन बैठे थे।

1772 में गवर्नर जनरल के रूप में अधिकार ग्रहण करके वार्न हेस्टिंग्स द्वारा जारी नई योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। वे इस प्रकार हैं - 'दीवानी अदालत' नामक नागरिक न्यायालय और 'फौज़दारी अदालत', नामक अपराध न्यायालय, यहाँ नागरिकों के लिए न्याय दान के संदर्भ में हिंदुओं के लिए

हिंदू शास्त्रों के ग्रंथ के आधारपर और मुस्लिमों के लिए शरीयत कानून के अनुसार न्याय दान दिया जाता है। अपराध की घटनाओं में सबको इस्लाम कानून के अनुसार विचार विमर्श किया जाता था। धीरे-धीरे ब्रिटिश कानूनों को जारी करने के द्वारा अपराध नियम कानूनों में बदलाव किया गया। नागरिक न्यायालय यूरोपियन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्रियाशील थे। अपराध न्यायालयों को 'काज़ी' के अधीन होने पर भी यूरोपियन के नियंत्रण में काम करना पड़ता था।

पुलिस व्यवस्था : आंतरिक शांति, सुव्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की थीं। लार्ड कार्नवालिस सबसे पहले सुव्यवस्थित पुलिस विभागों को अस्तित्व में लाया। इसने सूपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एस.पी) नामक नये पद की रचना की। 1793 में प्रत्येक जिला को थाने के रूप में विभाजित करके, प्रत्येक थाने को कोतवाल के अधीन में, गाँव को चौकीदार के अधीन में रखा गया । कोतवालों पर ग्राम के स्तर में होने वाले चोरी, अपराध, डकैतियों के नियंत्रण का दायित्व था।

1770 के दशक में भयंकर अकाल से कानून की सुव्यवस्था में समस्या बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप समस्त पुलिस व्यवस्था को ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने वश में कर लिया । 1781 में ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट को नियुक्त करने की पद्धति शुरू हुई। पुलिस अधिकारियों को मैजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रखा गया। पुलिस व्यवस्था में निरंतर रूप से परिवर्तन होता रहा हैं। 1861 में 'पुलिस अधिनियम' को जारी किया गया। यही अधिनियम ने कानून और सुव्यवस्था प्रशासन के लिए प्रमुख बुनियाद थी। पर अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने में भारतीयों के लिए कोई अवसर नहीं था।1902 में पुलिस कमीशन अधिनियम के अनुसार शैक्षिक योग्यताएँ प्राप्त करनेवालो को उच्च पद पर नियुक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इतने होने पर भी भारतीयों के प्रति उनका भेदभाव कम नहीं हुआ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सेना की व्यवस्था : अंग्रेजों के काल की प्रशासन व्यवस्था में सेना एक प्रमुख आधार स्तंभ थीं। भारतीयों को सेना में नियुक्त करने के साथ, उनकी सहायता से अंग्रेज भारत को अपने अधीन में लिया । सेना की शक्ति का उपयोग करके भारत के आंतरिक अपने विरोधी शक्तियों को और विदेशी शक्तियों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। सब अधिकारी ब्रिटिश थें। भारतीयों के लिए उपलब्ध अत्युन्नत पद सिर्फ 'सूबेदार' का स्थान था। अधिकतर भारतीय सैनिक मज़दूर सैनिक थें। 1857 के बाद 'पील' के नेतृत्व में एक समिति रचना हुई, समिति के कुछ सिफारिशों को अंग्रेज सरकार ने अपनायी, इन सिफारिशों के अनुसार सेना व्यवस्था का नया गठन हुआ।

भू राजस्व नियम :

ब्रिटिश बंगाल प्रांत को अपना केंद्र स्थान बनाया था । ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी वार्षिक चार लाख देना पड़ता था। इस पृष्ठभूमि पर कंपनी को अपने आर्थिक हितों को सुदृढ़ बनाना था। इस कारण से कई नयी राजस्व नीतियाँ अस्तित्व में आई।

स्थायी जमींदार पद्धति :

वार्षिक निश्चित राजस्व धन को प्राप्त करने लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल और बिहार प्रांत में नई राजस्व पद्धति को जारी में लाया। इसको स्थाई जमींदारी पद्धति कहते हैं इस पद्धति के अनुसार जमींदार भू मालिक बन बैठे। इस नई योजना के प्रकार जमींदार प्रत्येक वर्ष निश्चित दिन के पहले ही उसके द्वारा स्वीकार किया गया, राजस्व के धन को सरकार को देना था। भू मालिकों को इस पद्धति से अधिक लाभ हुआ।

क्योंकि सरकार को देने वाले धनराशि से ज्यादा वसूल किये गये धन को वह अपने ही पास रख लेता था। अकाल (अनावृष्टि) अथाव अत्याधिक वर्षा (अतिवृष्टि) के कारण से राजस्व को वसूल करने में असमर्थ होने पर, सरकार को देने वाले धनराशि को जमा न करने पर, सरकार उसकी भूमि के मालिकाना को उससे छीन लेती थी। इस पद्धति से अंग्रेजों को तथा जमींदारों को लाभ होता था, पर किसानों को नहीं । अंग्रेजों ने अपनी सहायता के लिए नया सामाजिक वर्ग जमींदारों की सृष्टि की। किसानों, किसान मजदूरों, जमींदारों की भूमि में या जमीन में काम करने निरंतर अवसर प्राप्त न होने पर बहु आयामों में उनकी शोषण की जाती थीं। ये अतंत्र स्थिति में जीवन को काटते थें। यह पद्धति धीरे-धीरे से उडिशा, आंध्र और वाराणसी प्रांतों में विस्तार हुआ। चार्ल्स मेटकाफ के मतानुसार ब्रिटिश भू राजस्व नीति से "भारत के किसान कर्ज़ में पैदा होकर, कर्ज में ही जीकर, कर्ज़ में ही मरते है।"

महाल्वारी पद्धति : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई भागों में, पंजाब और दिल्ली के प्रांतों में महल्लों (तालुक) में सामूहिक समझौता करके सरकार के राजस्व को देने की पद्धति को जारी किया गया। इस पद्धति को आर. एम. बर्ड तथा जेम्स थामसन प्रयोग में लायें। महल का मतलब था तालुक। प्रांत से प्रांत तक इस पद्धति के अनुष्ठान में या प्रयोग में अंतर था। बड़ा और छोटे प्रमाण के जमींदार इस पद्धति के भाग थे। ब्रिटिष ईस्ट

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

इंडिया कंपनी सरकार के अधिकारियों ने जमीनों में होने वाले उपजों से अधिक धनराशि को वार्षिक भुगतान निश्चित करने, पर कई जमींदार अपने अस्तित्व को खो बैठे। उनके ही सहारे जीवित छोटे कृषिक, किसान रूपी मजदूर, निर्गतिक हो गए।

रैतवारी पद्धति : रैतवारी पद्धति को प्रथम प्रयोग बारामहल प्रांत में 1792 में 'एलेग्जेंडर रीड' ने जारी किया। इस पद्धति को थामस मन्रो मद्रास तथा मजदूर प्रांतों में 1801 के बाद जारी में लाया । इस काल में इस प्रांत के ज्यादातर भाग ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अधीन में होने से यह पद्धति अस्तित्व में आने का प्रमुख कारण था। इस पद्धति के अनुसार सरकार और किसान के बीच सीधा संपर्क बनाया गया। जिस ज़मीन पर खेती करता था, उस ज़मीन का मालिक कहकर सरकार मान्यता दी। वही प्रत्यक्ष रूप से अपने कृषि भूमि में उपजे उत्पादन के प्रतिशत 50% भाग को राजस्व के रूप में सरकार को देना था। भू राजस्व को 30 वर्ष अवधि तक निश्चित किया गया था, बाद में उसको विमर्श के अंतर्गत रख दिया गया था।

छोटे किसानों को अपने अधीन की भूमि पर अधिकार देनेपर भी भू राजस्व को इस पद्धति ने अधिक वार्षिक धनराशि निश्चित करने से किसान मुश्किल में पड़े थे। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी कठोर कदम उठाते थे। अच्छी फसल न होने पर भी किसान साहूकारों (Money Lendors) से कर्ज लेते थे। इस कर्ज को न चुकाने के कारण उनके छोटे जमीनों को बेचना पड़ता था। किसानों के हित के लिए रैतवारी पद्धति को जारी किया जाएगा, ऐसे ब्रिटिश सरकार के कहने पर भी, इस पद्धति से अधिक पैमाने पर किसान कर्ज़ के चक्र में डूबे हुए थे, यह एक विडम्बना थी।

अंग्रेजों की राजस्व नीति के परिणाम :

1. असली किसानों का शोषण करने नया जमींनदारी समुदाय का सृजन हुआ।
2. किसान जमींनदारों से शोषित होकर अनेक तरह की मुसीबतों में फँस गए। धीरे-धीरे वे बेसहारा हो गए।
3. भूमि बिकाऊ वस्तु हो गयी थी । इसे गिरवी रखकर पैसा कर्ज के रूप में लिया जा सकता था।
4. अनेक जमींनदार भू-राजस्व को भरने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखते थे।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5. कृषि क्षेत्र का वाणिज्यीकरण होकर, इंग्लैण्ड में औद्योगिकीकरण से वहाँ के कारखानों को कच्चा माल की आवश्यकता थी। उन्हीं कच्चा वस्तुओं की फसल को बोना पड़ता था।
6. पैसों का लेन-देन करने वाले साहूकार शक्तिशाली हो गए।

आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ

भारतीयों की संप्रदायक शिक्षा निरंतर रूप से व्यापक थीं। मध्यकाल के संदर्भ में मुस्लिम राज्य व्यवस्था स्थित होने के बाद शिक्षा प्रधान करने के पारंपरिक विधान के साथ-साथ कुछ परिवर्तन हुए। आगे इस क्रम में परिवर्तन 18 वीं शताब्दी के नए ब्रिटिश प्रशासन काल में भारत में यूरोपियन तथा आंग्लो-इंडियन प्रजातियों के बच्चों के लिए नये स्कूल प्रारंभ हुए, पर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में विस्तार ना होने के कारण से इससे स्थानीय बच्चों के लिए कोई लाभ नहीं हुआ। आधुनिक शिक्षण का प्रसार को प्रेरणा देने वाले प्रथम ब्रिटिश अधिकारी वार्नहेस्ट्रिंग्स ने 1781 में कोलकाता में, 'मदरसा' को प्रारंभ किया। 'जोनाथन डंकन' नामक और एक ब्रिटिश व्यक्ति 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज को प्रारंभ किया, पर ब्रिटिश शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार के लिए ज़ोर देनेवाले प्रथम व्यक्ति चार्ल्स ग्रांट था।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

19वी शताब्दी के प्रारंभ के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने जोर पकड़ा । 1828 में विलियम बेंटिंग ने गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होने के बाद ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का विस्तार के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। गवर्नर जनरल के कार्यकारी सभा में मेकालें को कानून सदस्य के रूप में बेंटिंक ने नियुक्त किया। सार्वजनिक शिक्षा से संबंधित नियुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में उसको नियुक्त किया गया। 1835 में इंग्लिश शिक्षण से संबंधित मेकाले के द्वारा दिये गये विवरण में आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बुनियाद थी। इसकी योजना के प्रमुख अंश ऐसे हैं, "रक्त, मांसपेशियों से भारतीय होने पर भी रुचि, अभिमत, नीति और बुद्धिमत्ता में इंग्लिश बनें," नये भारतीय शिक्षित वर्ग की सृष्टि हुई। भारत के शिक्षाक्रम में इंग्लिश भाषा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का प्रारंभ 1830 के दशक के बाद हुआ।

बाद के प्रमुख विकास में सर चार्ल्स वुड का (1854) के आयोग के शिफारस के आधार पर उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहौजी ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में नये विश्वविद्यालय को 1857 में स्थापना की। इसके बाद शिक्षा सार्वत्रिकरण होने लगा।

अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम

1. भारतीयों ने आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, वैज्ञानिक आलोचना के साथ राष्ट्रीयवादी के दृष्टिकोण को विकास के लिए संभव हुआ।
2. स्थानीय भाषा और साहित्य की रचना के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे शिक्षित वर्ग के आलोचना क्रम में एकता के स्वरूप को देख सकते हैं ।
3. समाचार पत्र के उद्‌गम के साथ विकास भी हुआ। विशेष प्रकार से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पत्रिकाओं में सरकार की नीतियों को विमर्श के द्वारा भारतीयों में ब्रिटिश प्रशासन के बारे में विमर्शात्मक मत के विकास संभव हुआ।
4. नया सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म हुआ।
5. जे.एस. मिल,रूसो, मांटेस्क्यू आदि की चिंतनाओं के द्वारा भारतीय शिक्षित वर्ग के आलोचना क्रम में नवीनता लायी।
6. विश्व भर के स्वतंत्र आंदोलन का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा।
7. भारतीय अपने समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को समझने में सफल हुए।

इस तरह भारत में जारी पाश्चात्य शिक्षा क्रम से सृष्टि हुई अभिरुचि तथा आलोचनाओं से भारत में नई-नई पीढ़ियों की सृष्टि हुई।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

संविधानात्मक विकास

भारत में ब्रिटिश प्रशासन विकास होते ही समस्या भी वैसे ही बढ़ती गयी। समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता थी। ये सुधार भारतीयों के माँगों के लिए अनुरूप होना था। तब अंग्रेज समय-समय पर भिन्न-भिन्न नियमों को अधिनियम के रूप में जारी करने के प्रयास करते रहें। इस प्रकार के अधिनियम भारत के संविधानात्मक विकास के लिए सहकारी थे। इनमें कुछ अधिनियमों को जानेंगे।

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन समय में जारी किये गये अधिनियम (1773 -1857)

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट :

1765 में जारी हुए दीवानी अधिकार के बाद कंपनी के अधिकारी वर्ग द्वारा अपने लालच के कारण अधिकार को अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता था।

भ्रष्टाचार अधिक हुआ। इंग्लैंड के शासन समिति के सदस्य एंड्मंड बर्क ने वार्षिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार पाने वाले राजस्व को 'अपराध कर' कहकर तीक्ष्णनिंदा किया। कंपनी के अधिकारियों के द्वारा भारत में होने वाले अनैतिक व्यवहार के बारे में जानते हुए भी कोई कार्रवाई न होने के कारण से उसने इस तरह कहा होगा। इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का प्रमाण इतना था, कि वे चाहे तो इंग्लैंड की राजनीति व्यवस्था को ही बदल सकते थे, इस तरह की आतंक इंग्लैंड के कई लोगों में छायी हुई थीं। इस पृष्ठभूमि पर रेग्युलेटिंग अधिनियम 1773 में जारी हुआ ।

अधिनियम के प्रमुख लक्षण :

1. इस अधिनियम जारी होने के पूर्व में ब्रिटिशों के अधीन भारतीयों के प्रांतों को तीन प्रेसिडेंसियों में विभाजित किया था। वे इस प्रकार है, बंगाल, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियाँ, ये प्रत्येक और स्वतंत्र रूप से कार्य निर्वाह करते थे। इस अधिनियम के प्रकार बंगाल प्रेसिडेंन्सी, अन्य दो प्रेसिडेंसियों पर अधिकार प्राप्त किया।
2. बंगाल के गवर्नर जनरल, तीनों प्रेसिडेंन्सी के गवर्नर जनरल बना।
3. गवर्नर जनरल को मुंबई, मद्रास, प्रेसिडेंसियों के सदस्यों को निदेश, नियंत्रण तथा निगरानी करने का अधिकार को इस अधिनियम के द्वारा मिला।
4. बंगाल सरकार और इंग्लैंड निदेशक मंडल के पूर्व अनुमति के बिना मुंबई तथा और मद्रास सरकार ने किसी पर युद्ध का घोषणा नहीं कर सकती थी और शांति समझौता भी कर नहीं सकती थी। पर आपत्कालीन अवसर पर ऐसे नियमों पर उनको छूट थी।
5. कोलकाता में इस अधिनियम के अनुसार 'सुप्रीम कोर्ट' को स्थापित किया गया। इस केंद्र न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन सामान्य न्यायाधीश कार्य निर्वाह करते थे।

इस तरह रेग्युलेटिंग अधिनियम अपने नाम के अनुसार कंपनी के साथ-साथ समस्त भारत में ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था को इंग्लैंड सरकार के अधीन में रखने का बहुत बड़ा निर्णय था।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

1784 पिट्स इंडिया अधिनियम

1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में कुछ अनिश्चितता थीं। इनको सुधारने के साथ-साथ इंग्लैंड सरकार के अधिकार को और कंपनी सरकार के अधिकार की सीमा को स्पष्ट करना ही इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था, इंग्लैंड की सरकार इस अधिनियम में नए नियमों को थोपने के द्वारा भारत में कंपनी सरकार को निर्णायक रूप से नियंत्रित किया।

एक और प्रमुख अंश था कि 'नियंत्रण मंडली' (Board of Control) में छः कमिश्नर के नई संस्था का जन्म हुई। यहाँ प्रमुख रूप से ध्यान रखने का विचार यह था कि पूर्व के निदेशक मंडली (Coart of Directors) के जगह पर नियंत्रण मंडली (Board of Control) का उदय हुआ।

इस मंडली को नागरिक सेना, राजस्व के विषयों में निदेशित करना, नियंत्रण करना और निगरानी रखने का अधिकार प्राप्त था। इंग्लैंड में निदेशक मंडली और नियंत्रण मंडली (Board of Control) दोनों अस्तित्व में थी।

"भारतीयों ने अपने संप्रभुता को अंग्रेजी सत्ता के नाम पर पायें है किंतु यह उनका अधिकार नहीं है।" जो इस अधिनियम में कहा गया उसी प्रकार भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को निर्णायक रूप से निरस्त किया। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीनस्थ प्रदेशों (The British Possessions) पर इंग्लैण्ड सरकार की ही अंतिम सार्वभौमिकता घोषित हुई।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

चार्टर अधिनियम

चार्टर अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुज्ञान पत्र का विस्तार करना है। 1793, 1813, 1833 और 1853 में चार्टर अधिनियम जारी में लाया गया था। हर 20 वर्ष में एक बार कंपनी के अनुज्ञा पत्र को नवीकरण करने के अवसर पर इंग्लैंड की सरकार के द्वारा अपनाई गई नई-नई नीतियों को यह अधिनियमों में सम्मिलित किया गया था। इन चार अधिनियमों में 1813 और 1833 के अधिनियम विविध ऐतिहासिक कारण से महत्व पूर्ण थें।

1813 का चार्टर अधिनियम :

1. इस अधिनियम ने ईस्ट इण्डिया को अगले 20 वर्ष तक भारत में रहने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के जारी में आने से पूर्व भारत में व्यापार करने का अधिकार को केवल कंपनी के अलावा, व्यापार करने के लिए इच्छा रखनेवाले हर एक को अवसर प्रदान के लिए संघर्ष चला। इस परिप्रेक्ष्य में स्वेच्छ से व्यापार करने वालों को भी अधिनियमों में मुक्त अवसर प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मुक्त रूप से व्यापार करने का नया युग प्रारम्भ हुआ।
2. अनुमति और अनुज्ञप्ति का नया युग शुरू हुआ।
3. इससे गवर्नर जनरल और सेना के महा प्रमुख (Commander in-chief) को निदेशक मंडली ने नियुक्त करने का अधिकार था।
4. गिरजाघरों को भारत में प्रवेश करने का अधिकृत अवसर प्रदान किया गया। भारतीयों में नया ज्ञान फैलाना, उनकी नैतिक और धार्मिक जीवन शैली को सुधारने की जिम्मेदारियों को मिशनरी संस्थाओं को सौंपने का निर्देश दिया गया। इस से भारत को अधिक संख्याओं में ईसाई मिशनरियाँ आने लगी । ईसाई धर्म का प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार अधिक हुआ। उपरोक्त कारणों से 1813 का चार्टर अधिनियम ऐतिहासिक बना।

1833 का चार्टर अधिनियम :

इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व भारत की संपूर्ण व्यवस्था को और भी अधिक सुधारना के उद्देश्य ने इस अधिनियम के प्रवर्तन की भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष की अनुज्ञप्ति दी गई। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं:

1. बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामकरण किया गया था।
2. भारत की सभी व्यापारिक वस्तुओं को निर्देशित करना, नियंत्रण करना और निगरानी रखने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला।
3. देशी संस्थानों के साथ युद्ध, शांति और राजीतिक संबंधों के सभी विषयों को बंगाल की केंद्र सरकार को ही निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त किया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. गवर्नर जनरल की कार्यकारी सभा में, शेष सदस्यों के साथ गवर्नर जनरल को किसी विषय पर सहमत न होने पर वह बहुमत निर्णय को अस्वीकृत करने का कारण लिखकर देना पड़ता था।
5. इस अधिनियम में धर्म, वर्ण-भेद, आनुवांशिकता के आधार पर किसी भी भेदभाव न करने का निर्देश दिया है।
6. गवर्नर जनरल को कार्यकारी सभा के लिए न्यायिक व्यवस्था के विशेषज्ञ सदस्य को नियुक्त किया गया था।
7. समस्त अंग्रेज़ व्यापारी-कंपनियों को भारत आने के लिए मुक्त अनुज्ञा पत्र दिया था।

यह अधिनियम 1830 के दशक के भारत की आंतरिक और इंग्लैंड में विविध राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है।

ब्रिटिश (अंग्रेज) सरकार के अधिनियम (1858-1947) :

ब्रिटिष इंडिया कंपनी के कुप्रशासन और भारत विरोधी अधिनियमों से 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। इससे BEI कंपनी का प्रशासन ब्रिटेन की रानी को हस्तांतरित हुआ। इस समय में जारी हुए महत्वपूर्ण अधिनियमों में भारत सरकार के 1858, 1861, 1892,1909,1919, ओर 1935 के अधिनियम शामिल थे। भारत कालांतर में रचित राजनीतिक विकास की पृष्ठभूमि में बताए गए प्रत्येक अधिनियम क ऐतिहासिक महत्व को समझना आवश्यक है।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

भारत सरकार का अधिनियम 1858 :

इस अधिनियम को 1857 के सैनिक और नागरिक क्रांति की पृष्ठभूमि में समझना चाहिए। जब अंग्रेजों के भारत ने अंग्रेज सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासन के अंतर्गत आया था। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की, जिसके अनुसार अपने प्रशासन काल में भारत के समस्त भागों का विकास किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रमुख अंश निम्न लिखित हैं।

1. ब्रिटिष ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता रद्द करके, भारत को ब्रिटन की रानी के प्रशासन में हस्तांतरित किया गया।
2. गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल कर 'वायसराय' नाम रखा गया। पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग नियुक्त हुए।

3. अंग्रेज सरकार ने 'सेक्रेट्री आफॅ स्टेट फॉर इंडिया' नामक पद की सृष्टि की। ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य होने के कारण से इनको भारत के प्रशासन को देखने की जिम्मेदारी थी।
4. इनकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यों के 'भारत मंडली' (काउंसिल ऑफ इंडिया) अस्तित्व में आयी।

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम :

यह अधिनियम 1857 की घटना के बाद जारी होने वाला प्रमुख अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को कानून की रचना प्रक्रियाओं में स्थान दिया गया। अंग्रेजों के बारे में भारतीयों का राय जानने के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसे अंग्रेजी में 'Policy of Assertion' कहा गया हैं।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश ये हैं :

1. वायसराय काउंसिल के लिए भारतीयों को अनाधिकारिक सदस्यों के रुप में नामकरण किया गया था।
2. आपात कालिन घटना के संदर्भ में सुग्रीवाज्ञा देने के आधिकार को गवर्नर जनरल को सौंपा गया।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम :

यह आधिनियम 1861 अधिनियम का अगला भाग था। 1892 का अधिनियम भारतीयों को शासन सभा के प्रतिनिधित्व को और विस्तार किया। कांग्रेस संघटन के द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के बारे में लिये गये विमर्शात्मक निर्णय की पृष्ठभूमि में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश हैं -

1. केंद्र और प्रांतीय प्रशासन सभाओं में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ायी गयी।
2. प्रशासन सभा (लेजिस्लेटिव काउंसिल) के अधिकार को बढाकर उनमें बजेट के बारे में चर्चा का अधिकार दिया गया।
3. छः दिनों से पहले ही सूचनाएँ देकर सार्वजनिक संबंधित विषयों के बारे में सरकार को प्रश्न करने का अधिकार दिया गया।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम :

इस अधिनियम को 'मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम' कहा गया। क्योंकि लार्ड मिंटो भारत के वायसराय थें। लार्ड मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (राज्य सचिव) के रूप में कार्यरत थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को तोड़कर, शासन करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग किया।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश हैं -

1. केंद्र प्रशासन सभा के सदस्यों की संख्याओ 16 से 60 तक बढ़ायी गयी।
2. प्रांतों में भी प्रशासन सभा के सदस्यों का स्थान बढ़ाया गया।
3. प्रथम बार निर्वाचन (चुनाव) के द्वारा प्रशासन सभा के लिए चयन का अवसर दिया गया।
4. मुसल्मानों के लिए प्रत्येक राजनितिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले प्रत्येक निर्वाचन मत केंद्र की व्यवस्था लागू हुई।

भारतीय सरकार के अधिनियम -1919

इस आधिनियम को मांटेगो-चेम्सफर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। प्रथम महायुद्ध (1914-1918) के समय में भारतीयों को युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भाग लेने के लिए प्रेरित करने की पृष्ठभूमि पर यह अधिनियम लागू किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (राज्य सचिव) मांटेगो ने ब्रिटेन के संसद में 20-08-1917 को एक घोषण की, जिसके आधार पर यह अधिनियम को बनाया गया । मांटेगो ने घोषित किया कि भारतीयों के उत्तरोत्तर में जिम्मेदारी युक्त सरकार को देना ही अंग्रेज सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। भारत के वायसराय चेम्सफर्ड ने राजनितिक सुधार के लिए आवाज़ उठाई। परिणाम स्वरूप 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम प्रयुक्त हुआ।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश ये हैं।

1. केंद्र में द्विसदन शासकांग (Bi-cameral) की रचना का अवसर दिया गया। उनमें शासकांग सभा (निम्न सदन) और राज्यों के परिषद (उच्च सदन) की रचना हुई।
2. प्रांतों में द्वि-सरकार पद्धति(Dyarchy) को अवसर दिया गया।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

3. भारत में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई।

4. स्वप्रशासन युक्त स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए आश्वस्त दिया गया था।

5. केंद्र के बजट से प्रांतों के बजट को अलग किया गया।

6. 'प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र' व्यवस्था मुसलमान, सिख, आंग्लों इंडियन और यूरोपियों के लिए विस्तृत की गई।

1935 का भारत सरकार अधिनियम :

यह अधिनियम भारतीय संविधान की रचना के लिए बुनियाद थी। इस अधिनियम की रचना में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार 1928 की विवरण (प्रतिवेदन) प्रमुख है। संविधान के अधिकतर अंश इस अधिनियम के आधार पर रचे गये थे। इस अधिनियम द्वारा भारत को संपूर्ण दायित्व युक्त सरकार की रचना का अवसर मिला। यह सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रांतों को लागू न होकर देशी संस्थानों को लागू होने वाले अंशो से निहित था।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश हैं -

1. ब्रिटिश प्रांतों, देशी संस्थानों और आश्रित राजाओं सहित अखिल भारत संगठन की रचना का अवसर दिया गया।

2. केंद्रों में द्वि-सरकार (Dyarchy) की स्थापना हुई।

3. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का अवसर दिया।

4. प्रांतों में द्वि-सरकार पद्धति को रद्द कर, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई।

5. भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना का अवसर दिया गया।

भारतीय संविधान के विकास के इतिहास को जानने पर विविध कालों में घटित राजनितिक विकास भी अधिनियम के रूप में स्पष्ट होने वाले विचारों को समझेंगे। अंग्रेजी उपनिवेश वाद भारत में प्रशासन के समय ही यह अधिनियम जारी हुआ। जिससे अंग्रेजों की इच्छाएँ इन अधिनियमों में युक्त होने से, भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की आकांक्षाओं के संघर्ष का परिणाम इस में देखा जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य विचार हैं।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. 'दीवानी अदालत' नामक नागरिक न्यायालय के स्थापक __________ हैं।
2. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पद के सृष्टिकर्ता हैं __________ ।
3. कायम जमींनदारी पद्धति को बंगाल और बिहार प्रांतों में __________ में लागू किया गया था।
4. अलेक्जेंडर रीड ने __________ राजस्व को जारी किया।
5. आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए __________ द्वारा दी गई रिपोर्ट नींव बनी ।
6. रेगुलेटिंग एक्ट __________ में जारी हुआ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

II. निम्न प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा करके उत्तर लिखिए :

7. ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से देश में अंग्रेजों द्वारा निर्मित न्याय व्यवस्था के बारे में विश्लेषण कीजिए ।
8. अंग्रेजों के काल में पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार किये गये ?
9. अंग्रेजी भू - राजस्व नीति से 'भारत के किसान कर्ज में जन्म लेकर, कर्ज में जीकर, कर्ज में मर जाते हैं' कैसे ? समझाइए ।
10. रैतवारी पद्धति में निहित प्रमुख बिंदु कौन-कौन से हैं ?
11. अंग्रेजों के राजस्व नीतियों से क्या परिणाम हुआ?
12. अंग्रेज शिक्षा के परिणामों की सूची बनाइए ।
13. रेगुलेटिंग अधिनियम के प्रावधान क्या हैं ?
14. 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख अंश क्या थे?

15. 1935 का भारत सरकार 'अधिनियम भारतीय संविधान की नीवं' है। इस कथन का समर्थन कीजिए ।

16. 1919 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?

III. गतिविधियां :

1. अंग्रेजों ने प्रशासन में सुधार द्वारा अपने लिए पूरक वातावरण का निर्माण किया। इस बारे में चर्चा प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए ।

2. शिक्षक की सहायता से इस पाठ में प्रस्तावित अधिनियम के अलावा अन्य ब्रिटिश इस जारी अधिनियमों के अंतर्गत जानकारी संग्रह कीजिए ।

* * * *

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

Y9Y9M4

अध्याय - 4
मैसूर के ओडेयर और कर्नाटक में अंग्रेजी प्रशासन का प्रतिरोध

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों समझते हैं।

- मैसूरु-ओडेयर ।
- हैदरअली और टीपू सुल्तान ।
- आंग्लो-मैसूर युद्ध ।
- प्रमुख ओडेयार ।
- दोंडियावाघ ।
- कित्तूर का विद्रोह - रानी चेन्नम्मा और संगोल्ली रायण्णा ।
- अमर सूल्या विद्रोह ।
- सुरपुर का विद्रोह ।
- हलगली शिकारियों का विद्रोह ।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

आजकल का कर्नाटक एकीकरण से पहले विभिन्न राजनीतिक अधिकर शाहियों में विभाजित था। अठारहवीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज, राजनीतिक एकस्वामित्व के लिए व्यापार और कृषि में लोगों को अपनी हितों के लिए शोषण करने लगे। इन अत्याचारों ने कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में अस्थिरता पैदा कर दी। देशी राजा लोगों को राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव होने लगा। इससे कर्नाटक के बहुत से भाग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। इस प्रकार शुरुआत में जमींनदारों, प्रांतीय राजा-ओ ने आपस में कोई एकता बनाए बिना, विघटित रूप में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास किया।

मैसूरु-ओडेयर (1399-1947)

विजयनगर साम्राज्य, पतन के बाद उभरकर उसकी परंपराओं को आगे बढ़ानेवाला, मिटते कर्नाटक की महिमा स्थापित करने वाला राज्य ही मैसूर है। मैसूर शहर के हदिनाडू नामक मंडल में श्रीरंगपट्टण मांडलिक का अधीन चामराज प्रशासन करता था। इसकी मृत्यु के बाद राजपुत्र न होने के कारण उसके दलवाई कारुगल्ली मारनायक राज्य का प्रशासन कर रहा था। मांडलिक राजकुमारी से विवाह के लिए दबाव डाला लेकिन किसी ने इसे मान्यता नहीं दी।

उसी समय द्वारिका, गुजरात से यदुराय अपने भाई कृष्णराय के साथ मैसूर आए। जिन्होंने स्वेच्छा से रानी की मदद की और मारनायक को मार डाला। अतः रानी ने खुशी से अपनी पुत्री की शादी यदुराय से की और उसे राज्य दिया। तब ओडेयर वंश की स्थापना हुई। यदुराय से चामराज ओडेयर तक 25 राजाओं ने इस वंश में प्रशासन किया। उनमें से कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में जानेंगे।

राजा ओडेयर (1578-1617) : एक छोटा-सा मंडल (प्रांत) मैसूर को बड़े राज्य में परिवर्रित करने का श्रेय इनको जाता है। ओडेयर ने श्रीरंगपट्टण को विजयनगर के राज-प्रतिनिधि से जीतकर उसे राजधानी बनाया। उसने आस-पास के कई क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया।

श्रीरंगपट्टण, मैसूर और मेलुकोटे के मंदिरों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की गई। राजमुडी नामक मुकुट चेलुवनारायण स्वामी को भेंट के रूप में समर्पित किया। मैसूर संस्थान में नवरात्रि (दशहरा) उत्सव की शुरुआत श्रीरंगपट्टण में की।

चिक्कदेवराज ओडेयर (1673-1704) : वे एक समर्थ सेनानी और प्रशासक थे। शिवाजी की सेना को मदुरै, इक्केरी और विजयपुर में हराया। उसने मागडी, मधुगिरि, कोरटगेरे और अन्य प्रांतों को वश में लिया। बेंगलूरु को मुगल सेनानी से खरीद लिया। उनको कर्नाटक कवि चक्रवर्ती, बेजोड़ वीर, तेंकनराज (दक्षिण का राजा), नवकोटि नारायण की उपाधियाँ प्राप्त थीं। उन्होंने प्रशासन में सहायता के लिए एक कैबिनेट कार्यालय (अठारह कचहरी) की स्थापना की। उनके समय में डाक व्यवस्था लागू हुई। उन्होंने कावेरी नदी पर बाँध बनाकर सिंचाई के लिए दो नहरों, चिक्कदेवराज (नहर) और दोड्डु देवाराजा (नहर) का निर्माण कर विशाल भू-भाग के लिए सिंचाई की व्यवस्था की। कई कवियों (तिरुमलार्य, संची होन्नम्मा आदि) और विद्वानों को आश्रय दिया।

कमिशनरों का प्रशासन - (1831 - 1881)

1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद तृतीय कृष्णराज ओडेयर ने अंग्रेजों की सहमति से मैसूर के महाराज के रूप में अधिकार स्वीकार किया। 1830 के संदर्भ में हुए नगर दंगे (शिवमोग्गा जिला) से मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने सीधे अपने प्रशासन के अंतर्गत कर लिया। 1831 से 1881 तक की कालसीमा को कमिशनरों का प्रशासन कहा जाता है। इसी समय तृतीय कृष्णराज ओडेयर ने मैसूर राज्य को पुनः पाने के लिए निरंतर प्रयास किया। अंत में इंग्लैंड की सरकार ने 1867 में मैसूर को ओडेयर परिवार को वापस सौंपने

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

का निर्णय लिया। इस निर्णय में एक शर्त जोड़ी गई थी। यह शर्त थी - पुनः राज्य को तृतीय ओडेयर के उत्तराधिकारी मात्र को वापस सौंपा जाएगा, इसके लिए तृतीय ओडेयर मान्य नहीं। इस समाचार के आने के अगले वर्ष तृतीय ओडेयर की मृत्यु हो गई । उनके उत्तराधिकारी 10 वें चामराजेंद्र ओडेयर 1881 में सिंहासनासीन होने की आयु प्राप्त होने पर उन्हें गद्दी पर बिठाया ।

1831-1881 के कमिशनरों की कालावधि में सात कमिशनरों ने राज्य का प्रशासन भार सँभाला । उनमें प्रमुख थे - लगभग सत्ताईस वर्ष तक शासन सँभालने वाला मार्क कब्बन और आठ वर्ष तक प्रशासन करने वाला एल.बी. बौरिंग । विशेषतः कब्बन के प्रशासन काल में अंग्रेजी शिक्षा, न्यायांग व्यवस्था सहित विविध क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया गया। इन दोनों के काल में हुए सुधार से मैसूर की राज्य व्यवस्था पर दीर्घकाल तक परिणाम पड़ा। अंतिम कमीशनर जेम्स गार्ड़न के समय में मैसूर के प्रशासन को 10वें चामराजेंद्र ओडेयर को 1881 में हस्तांतरण किया गया।

दसवाँ चामराजेंद्र ओडेयर (1881-1894): अंग्रेजी सरकार ने 1881 में अपने आश्वासन के अनुसार मैसूर सिंहासन को दसवें चामराजेंद्र ओडेयर को सौपा। आयुक्त प्रशासन समाप्त हुआ और रेसिडेंट नामक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति हुई। इनके साथ दीवान सी. रंगाचार्लू की नियुक्ति हुई। वे एक अच्छे प्रशासक और उदार व्यक्ति थे। उन्होंने मैसूर प्रजाप्रतिनिधि सभा की शुरुआत की। इन्होंने 1881 में कोलार में सोने की खान और 1882 में बैंगलूर-मैसूर रेल मार्ग शुरू किया।

1883 में रंगाचार्लू की मृत्यु के बाद, के. शेषाद्रि अय्यर दीवान बन गये। राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद वे देश की समस्याओं से अवगत थे। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। वे कई नए रेलवे मार्गों के निर्माण के कारणकर्ता थे। देश की प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतिभावान युवाओं का चयन करने के लिए मैसूर सिविल सर्विस परीक्षा शुरू की। शेषाद्रि अय्यर के प्रयास के परिणामस्वरूप 1894 में 'बाल विवाह' निषेध अधिनियम लागू हुआ (Infant Marriage Prevention Regulation, 1894)। शिमसा जलविद्युत योजना इनके काल में आरंभ हुई ।

दसवाँ चामराजेंद्र ओडेयर के काल में कृषि की सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए मैसूर में महारानी बालिका हाई स्कूल की स्थापना की। चामराजेंद्र ओडेयर ने मैसूर आए हुए विवेकानंद को आश्रय देकर, शिकागो सर्वधर्म

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सभा में भाग लेने के लिए उनकी मदद की। ये संस्कृत और कन्नड़ प्रेमी थे। अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है बस्सप्पशास्त्री। उन्होंने कई कृतियों की रचना की और "अभिनव कालिदास" कहलाए इन्होंने मैसूरु राज्यगान ''कायो श्रीगौरी'' की रचना की थी।

चौथे कृष्णराजा ओडेयर

चौथे कृष्णराजा ओडेयर (1894 -1940) : उनके वयस्क होने उनकी माता महारानी वानीविलास केंपु नंजम्मण्णी ने इनके युवा होने तक राजा की प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन किया। उन्हें प्रशासन में दीवान और सलाहकार समिति के सदस्य द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। इससे विकास कार्यों में तेजी आई । सोने की खान का सुधार, कॉलेज की स्थापना, मारी कनिवे जलाशय निर्माण, रेल मार्ग, अस्पताल की स्थापना तथा कावेरी जलप्रपात का उपयोग कर शिवनसमुद्र में जल विद्युत केंद्र की स्थापना के कार्य आरंभ हुए। इस ऊर्जा केंद्र से कोलार सोने की खान और फिर बेंगलुरु को बिजली की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गयी। भारत में बिजली प्राप्त करने वाले नगरों में बेंगलूरु प्रथम था।

1902 में, कृष्णराज ने कानूनन पदभार संभाला। वे सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पी. एन कृष्णमूर्ति, वी.पी. माधवराय, टी. आनंदराव, सर् एम. विश्वेश्वरय्या, कांतराज अरस, सर् अल्बियन बेनर्जी, सर्, मिर्जा इस्माइल-आदि प्रसिद्ध दिवानों की अनुपम सेवा पाई। मैसूर राज्य को देश की अग्रणी संस्थानों में एक बनाने के लिए चतुर्थ कृष्णराज की प्रगतिपूर्ण दूरदर्शिता तथा दीवानों की दक्ष प्रशासन कारण रहा ।

कृष्णराज ओडेयर को नागरिकों की शिक्षा के प्रचार-प्रसार में बहुत रुचि थी। प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण शुल्क रद्द कर दिया गया। लड़कियों की शिक्षा समृद्धि के लिए सहायता प्राप्त हुई। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विदेश जाने वालों के लिए छात्रवृत्ति पद्धति लागू की गई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1905 में टाटा के सहयोग से बैंगलोर में हुई थी। सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। बेलगोला के पास कावेरी नदी पर एक बाँध बनाया गया था। नया रेल मार्ग बनाया गया। कई बड़े और छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किए गए। इनमें से भद्रावती का लोहा और इस्पात कारखाना, सीमेंट कारखाना, कागज़ का कारखाना, मंड्या के चीनी-कारखाना, मैसूर-चंदन के तेल का कारखाना, बैंगलूर साबुन-कारखाना, बेलगोला का रासायनिक और कृत्रिम खाद का कारखाना आदि प्रमुख है। न्यायिक विधेयक बैठक बनाया गया था। यह संवैधानिक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम था।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कृष्णराज ओडेयर सरल, सात्विक स्वभाव के सक्षम प्रशासक और शिक्षा के पक्षधर थे। ललित कलाओं में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने संगीत विद्वानों को प्रोत्साहित किया। प्रसिद्ध विद्वान जैसे एम. हिरियण्णा, वीणेशेषण्णा, सांबय्या, बिडारम् कृष्णप्पा, मुत्तय्या भागवतर्, वासुदेवाचार्य, टी. चौडय्या - आदि इनसे प्रोत्साहित हुए। उनके प्रशासन से मैसूरु 'आदर्श राज्य' बन गया। महात्मा गांधीजी ने इनको 'राजर्षि' कहा है।

जयचामराजा ओडेयर (1940-1950) : कृष्णराजा ओडेयार के बाद सिंहासन पर बैठने वाले जयचमराजा ओडेयार सामान्य और विशेष कॉलेजों में शिक्षा पाकर विश्व पर्यटन द्वारा लोकानुभव प्राप्त युक्ति थे। मिर्जा इस्माइल, न्यापति माधवराव और आर्काट रामास्वामी मोदलियार जैसे दीवानों की सेवा प्राप्त हुई।

जयचामराज विद्वानों, संगीतकारों, वक्ताओं, साहित्य और कलाओं के संरक्षक थे। अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। इनके अलावा भक्ति गीतों की रचना भी की है। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद मैसूर राज्य के प्रमुख राज थे।

कर्नाटक में अंग्रेजी प्रशासन का प्रतिरोध

भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी को 'राजनीतिक समस्याओं की सदी' के रूप में चित्रित किया गया है। इसके कई कारण हैं। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु इसका मुख्य कारण बन गया। उसकी मृत्यु ने मुगलों की राजनीतिक सार्वभौमिकता को कमजोर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में मुगलों का राजनीतिक नियंत्रण समाप्त हो गया। कार्नाटिक प्रदेश में सत्ता के लिए झगड़े शुरू हो गये । इस पृष्ठभूमि में अंग्रेजों ने भारत पर अपना राजनैतिक प्रभुत्व दृढ किया। भारत राजनैतिक स्थिति परिवर्तन के अधीन हुआ। देशी राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई प्रकार के प्रतिरोध व्यक्त किये।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

हैदरअली और टीपू सुल्तान

1704 में हुई चिक्कदेव राजा की मृत्यु से मैसूर राज्य के राजनीतिक विकास पर दुष्परिणाम पड़ा। उनकी मृत्यु से प्रशासन के पतन के साथ-साथ उत्तराधिकार की समस्या भी प्रारंभ हुयी जिसने मैसूर की राजनीति को धुंधला कर दिया। ऐसी अराजकता की परिस्थितियों का सामना करते हुए हैदर अली ने मैसूर और कर्नाटक प्रांतों पर राजनैतिक प्रधानता

हैदर अली

प्राप्त की। हैदरअली ने शीघ्र ही हथियारों के उपयोग तथा प्रयोग में कीर्ति पायी। तीव्र गति से सैनिक कार्यवाहियों के द्वारा दलवाइयों की शक्ति कम करके द्वितीय कृष्णराजा ओडेयर को बंदी बनाकर, अधिकार अपने हाथ में ले लिया। मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और आर्काट के नवाब अपने राजनीतिक अस्तित्व और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष में लगे हुए थे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए इस संक्रमण के संदर्भ का उपयोग करना शुरू कर दिया।

आंग्लो -मैसूर युद्ध (1767-1799)

प्रथम आंग्लो -मैसूर युद्ध : 1767 में यह प्रारंभ हुआ और 1769 में समाप्त हुआ। दक्षिण भारत में हैदरअली के राजनीतिक वर्चस्व ने अंग्रेजों, हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के बीच राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। इससे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यशाही मनोवृति पर काँटे जैसे हैदरअली को दबाने के लिए कटिल राजनीति शुरू कर दी। मराठा आक्रमण से हैदर अली को राजनीतिक और आर्थिक नुकसान हुआ। उसने मराठों और निज़ाम को अपनी और खींचने की कोशिश की इस प्रयास में वह कुछ हद तक सफ़ल रहा।

हैदरअली के ख़िलाफ, अंग्रेजों ने मराठों और निज़ाम के साथ समझौता कर लिया। इस तरह त्रिपक्षीय गठबंधन हुआ। लेकिन हैदर अपनी तीक्ष्णबुद्धि से इस गठबंधन को तोड़ कर अंग्रेजों के ख़िलाफ़ मराठों और निज़ाम को बहकाने में सफल रहा।

इस बीच, आर्काट में राजनीतिक समस्याएँ पैदा हुईं। 1767 में, हैदरअली और निज़ाम ने ब्रिटिश-आश्रित स्वदेशी राज्य आर्काट को घेर लिया। इससे युद्ध शुरू हुआ। तिरुचनपल्ली, तिरुवण्णामलाई और अंबूर में युद्ध हुए। इस अवसर पर हैदर अली ने बिजली की तरह कार्यवाही की । ब्रिटिश सेना ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। हैदर को एक तत्कालिक पराजय का सामना करना पड़ा। मुंबई की ब्रिटिश सेना ने युद्ध में प्रवेश किया। हैदर ने युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा और अभियान जारी रखा। 1769 तक उनकी सेना मद्रास प्राँत में पहुँच गई थी, जिससे अंग्रेजों में खलबली मच गई। अनिवार्य रूप से, हैदर के साथ बातचीत करके अंग्रेजों ने 'मद्रास समझौता' कर लिया। प्रथम आंग्लो - मैसूर युद्ध 1769 को मद्रास समझौते के साथ समाप्त हुआ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780- 1784) : मद्रास समझौते ने तत्कालिक रूप से दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास को रोक दिया। लेकिन अंग्रेजों ने मद्रास समझौते की शर्तों को तोड़ने की कोशिश की। मराठों ने माधवराय के नेतृत्व में सेना को श्रीरंगापट्टण की ओर आगे बढ़ाने से हैदर ने अंग्रेजों की मदद माँगी । लेकिन अंग्रेज इसे खारिज करके मद्रास समझौते के ख़िलाफ़ रहे । माहे एक फ्रांसिसी उपनिवेश था और हैदर अली द्वारा नियंत्रित था। अंग्रेजों द्वारा माहे पर कब्जा करने के कारण द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ।

1780 में द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के प्रारंभ में हैदर विजयी रहा। कार्नाटिक के अनेक किलों (दुर्ग) को अपने वश में कर लिया। कांचीपुरम इसके वश में आ गया। वह कोरमंडल तट तक अपनी सेना लेकर बढ़ा। इससे मद्रास के अंग्रेज सेनाधिपतियों में डर पैदा हो गया। हैदर ने आर्कोट पर हमला कर उसे वश में कर लिया। सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तैयार हुई। इसी बीच हैदर ने वेल्लूरू तथा वांडीवाश को घेरने का डर दिखाया। हैदर की सेना का पीछा सर आरकूट ने पांडिचेरी तक किया। फ्रांसिसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर की सहायता करने से मना कर दिया। इससे हैदर ने युद्ध की गति में परिर्वतन किया। हैदर ने अंग्रेजों के वश में स्थित प्रदेशों पर हमला करके लूटकर अपार सम्पत्ति और शस्त्रास्त्र का संग्रह किया।

1781 में पोर्टोनोवे प्रदेश में घटित युद्ध में हैदर पराजित हुआ। इससे युद्ध की गति में परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों का आत्मविश्वास बढ़ा। तत्पश्चात् पुलिकाट और सोलिंगूर के युद्ध में आर्थिक हानि हुई। इसी समय अंग्रेज, सालबाई समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा हैदर की ओर से मराठों और निज़ाम को अपनी ओर खींचने में सफ़ल हुए। युद्ध के मध्य में 1782 में अस्वस्थता के कारण हैदरअली की मृत्यु हुई। उसके पुत्र टीपू ने युद्ध आगे बढाया।

टीपू, हैदर की मृत्यु के समय मालाबार प्रांत के युद्ध में व्यस्त था। टीपू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बिदनूरू और मंगलूरू को वश में करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने तिरुवांकूरु, कल्लीकोटे और मालाबार के अनेक राजाओं को टीपू के विरुद्ध बहकाने का प्रयास किया। इस प्रकार टीपू मंगलूरू और तटीय प्रदेशों को अपने वश में करने का सही समय मानकर मंगलूरू की ओर आगे बढ़ा और अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। अंत में 1784 के 'मंगलूरु समझौते' द्वारा द्वितीय आंग्लो-मैसूरु युद्ध समाप्त हुआ।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

टीपू सुल्तान :

टीपू सुल्तान

टीपू ने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य विस्तार में बाधा डालने वाला शत्रु समझ कर उनको भगाने का गंभीर प्रयत्न किया। अपनी कुटिल नीति (कूटनीति) से भारतीय राज्यों पर कब्जा कर रहे अंग्रेजों को उसने अपना परम शत्रु माना। उन्हें भारत से भगाना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। अपने 17 वर्ष के प्रशासन में लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करता रहा। वह अंग्रेजों की क्षमता, तकनीक, कुटिल चाल और चालाकी को भली- भाँति समझ गया था। अंग्रेजों को व्यापार में हानि होने पर वह उसके राजनीतिक स्वामित्व को कुंठित करेगा, इसे वह भली-भाँति जानता था। इसलिए उसने अंग्रेजों का विरोध करने वालों को संघटित कर उनकी सहायता पाने का प्रयास किया। उन्हें व्यापार में लाभ न प्राप्त हो, इसका ध्यान रखते हुए व्यापार पर उनके द्वारा स्थापित एक स्वामित्व को मिटाने का प्रयास किया। इन घटनाओं से अंग्रेजों में टीपू के विरुद्ध द्वेष भावना बढ़ गई।

आपको ज्ञात रहे :

18 वीं शताब्दी में अंग्रेजी प्रशासन के विस्तार को रोकने के प्रयास के कारण हैदरअली और टीपू सुल्तान भिन्न दिखते हैं। इन्हें ज्ञात था कि यूरोपीयों को सांप्रदायिक शस्त्रास्त्रों द्वारा हराया नहीं जा सकता है। फ्रांसिसियों की सहायता से हैदरअली ने सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। यूरोपीय सेना जैसे अनुशासन बद्ध, कवायद करने और बंदूक का उपयोग करने वाले दल मैसूरु की सेना में थे। हैदरअली और टीपू सुल्तान ने भारत में पहली बार रॉकेट का उपयोग युद्ध में किया। वे जानते थे कि सेना के आधुनिकीकरण के साथ-साथ, भरे हुए राज-भंडार द्वारा अंग्रेजों के आक्रमण को रोका जा सकता है। हैदर अली के सामने कार्नाटिक प्रदेश के नवाब दिवालिया हो गए थे। इससे हैदरअली और टीपू ने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक नीति-नियम बनाए। चंदन, तंबाकू तथा अन्य पदार्थों को राज्य के एकस्वामित्व के अधीन किया। फ्रेंच तकनीकविदों को आमंत्रित कर मैसूर में संप्रदायिक करकुशल वस्तुओं का स्तर बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर विकास करना इनकी योजना थी।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध : इस युद्ध का सीधा कारण तिरुवांकरू राजनीति से संबंधित है। उस राज्य के राजा ने पड़ोसी कोच्ची संस्थान में अंग्रेजों की सहायता से दुर्ग बनाया और डच से आयकोटा और कांगनूरु दुर्ग को वश में कर लिया। यह मंगलूरु समझौते का उल्लंघन था ।

अंग्रेजों ने जनरल मेडोस के नेतृत्व में कारवार, कोयमत्तूरु, दिंडिगल-आदि को वश कर लिया। इसके विरुद्ध टीपू ने बारामहल प्रान्त पहुँचकर सत्यमंगला को अपने वश में कर लिया। तिरुचनापल्ली को घेरकर उसे अपने वश में लेकर सैनिक कार्यवाही की। फिर भी यह फलदायक न रहा। इस समय लार्ड कार्नवालिस ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व स्वीकार किया। इससे युद्ध की गति बदल गई।

अंग्रेजी सेना कार्नवालिस के नेतृत्व में कोलार और होसकोटे को वश में लेकर, बेंगलूरू की ओर आगे बढ़ी। बेंगलूरु को वश में लेकर, किले को नष्ट कर दिया। बेंगलूरु को वश में लेकर कर्नावालिस ने टीपू को समाप्त करने के लिए निज़ाम और मराठों से सहायता माँगी। निज़ाम और मराठों की संगठित सेना के अंग्रेजों के साथ मिलने से युद्ध की गति बदल गई । मराठों ने सवणूरु, गजेंद्रगढ़, लक्ष्मेश्वर, हुब्बल्ली-आदि को वश में कर लिया।

1792 में संघटित सेना प्रत्येक किले को वश में लेकर श्रीरंगपट्टण की ओर बढ़ी। रात के समय किले को नष्ट कर दिया गया। इससे विचलित होकर टीपू ने अंग्रेजों के साथ समझौते करने का निश्चय किया। यह उसके लिए अनिवार्य भी था। 1792 में असमान शर्तों से युक्त 'श्रीरंगपट्टण समझौते' पर टीपू ने हस्ताक्षर करके युद्ध पर रोक लगा दी। इस समझौते से तृतीय आंग्लो-मैसूरु युद्ध का अंत हुआ।

टीपू को हराने के लिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टण समझौते में असमान शर्तें रखीं थी। वे शर्तें थीं-टीपू का अपने आधे राज्य को छोड़ देना, युद्ध में हुए नुकसान को तीन करोड़ रुपए की भरपाई करना, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के जमानत में अपने दोनों पुत्रों को गिरवी रखना और युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई करना। इससे श्रीरंगपट्टण से अंग्रेजों के नेतृत्व में संघटित सेना पीछे हटी।

चौथा आंग्लो-मैसूरु युद्ध : टीपू ने तृतीय आंग्लो मैसूरु युद्ध में वैयक्तिक रूप से हार स्वीकार कर इसे एक प्रमुख चुनौती माना। समझौते के अनुरूप अंग्रेजों के नेतृत्व में मित्र-गठबंधन के लिए दिये जाने वाले भू-प्रदेशों और धन को चुका कर टीपू ने जमानत के तौर पर गिरवी रखे अपने दोनों पुत्रों को वापस छुड़ा लिया। टीपू ने अंग्रेजों से दावा

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

किया कि-उनके अधीन मलयालम बोलने वाले भू-प्रदेश न्याय सम्मत रुपसे उसके हैं। परंतु अंग्रेजों ने इस तर्क की पुष्टि नहीं की।

लार्ड वेलेस्ली 1798 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ। टीपू के विरोधी राजनीतिक क्रियाकलाप इस अवधि में काफ़ी तेज़ हो गए। भारतीय राजाओं को टीपू द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयत्न, अपने शत्रु फ्रांसिसियों से टीपू का संबंध, तथा वेल्लेस्ली में टीपू के बारे में और भी द्वेष को बढ़ावा देने लगे। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसिसियों की सहायता पाने के लिए अपना राजदूत भेजा। यह अंग्रेजों के लिए असहनीय था। टीपू और फ्रांसिसियों के बीच का स्नेह आगे चलकर अंग्रेजों के आधिपत्य में बाधक होने की आशंका पनपने का कारण बना।

टीपू के बाद का मैसूरु

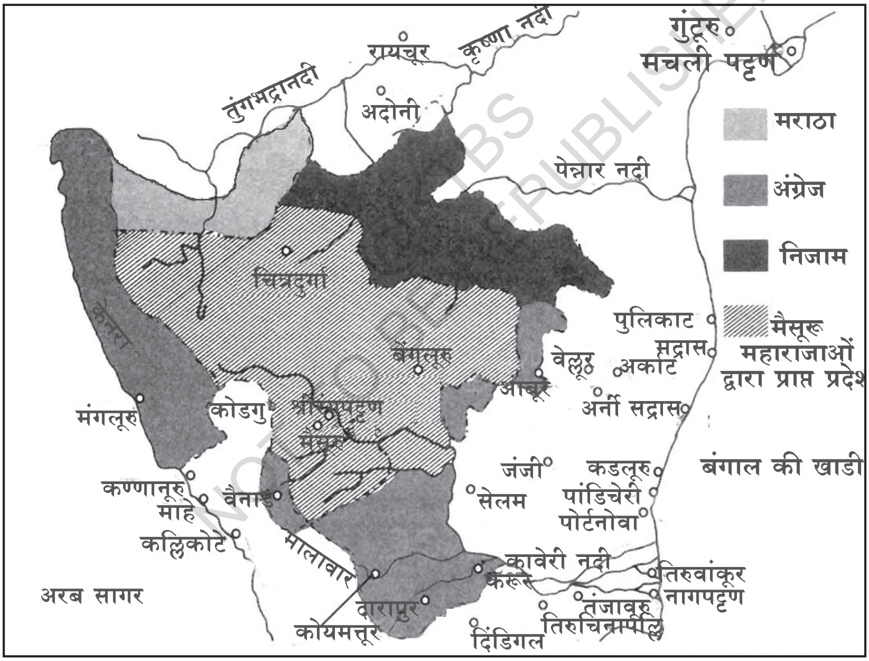

नयी शर्तोंवाले सहायक सेना पद्धति को टीपू पर जबरदस्ती लादा गया। किंतु टीपू ने अमानवीय सहायक सेना पद्धति और असमान शर्तोंवाले इस समझौते को अस्वीकार किया। इससे चौथे आंग्लो मैसूरु युद्ध का प्रारंभ हुआ।

1799 में युद्ध आरंभ हुआ। अभेद्य श्रीरंगपट्टण किले को अंग्रेजों ने भेद किया। दोनों सेनाएँ बड़ी वीरता से लड़ी। टीपू ने अपनी सेना को प्रोत्साहन देते हुई संघर्ष किया और

1799 में वीरगति पायी। इसकी मृत्यु अंग्रेजों के लिए सम्पूर्ण भारत को ही अपने वश में लेने के समान आनंद दायी थी। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इसके वश में स्थित भौगोलिक प्रदेशों को मराठों और निज़ाम के साथ बँटवारा कर लिया। एक छोटा भौगोलिक प्रदेश मैसूर के ओडेयर राजवंश के एक प्रतिनिधि को स्थानांतरित हुआ। यह प्रदेश बाद में मैसूरु संस्थान के नाम से जाना गया।

दोंडियावाघ (1800) :

आधुनिक कर्नाटक के इतिहास में टीपू के बाद, विशेषकर 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी शासन के ख़िलाफ़ दिखाई देने वाले विद्रोहों और दंगों में विशेष स्थान रखता है। ये सशस्त्र विद्रोह थे। इन सशस्त्र विद्रोहों में दोंडियावाघ के नेतृत्व का सशस्त्र संघर्ष प्रमुख था।

दोंडिया का जन्म चेन्नगिरी के मराठा परिवार में हुआ था। उसके शौर्य पराक्रम से लोग उसे वाघ कहने लगे। मराठी में वाघ का अर्थ है बाघ। यह 1789 के लगभग मैसूरु के हैदरअली की सेना में एक अश्वारोही सैनिक के रूप में दाखिल होकर बाद में सेनानायक बना। अपनी निजी सेना तैयार करके टीपू की सेना में सेवारत रहा। उसके साथ मनमुटाव के कारण कारागृह जाना पड़ा। चौथे-आंग्लो मैसूरु युद्ध के समय श्रीरंगपट्टण के पतन के बाद अंग्रेजों ने इसे कारागृह से मुक्त किया। तत्पश्चात इसने एक सेना को संघटित कर सैनिक कार्रवाई प्रारंभ की।

उसकी सेना बडी नहीं थी। उसने टीपू की सेना में स्थित अतृप्त सैनिकों, अधिकार वंचित (छीने गए) सेनापति गण-आदि को संघटित करके एक सेना का सृजन किया और विद्रोह का झंडा फहराया। शिवमोग्गा और बिदनूर के किलों को वश में कर लिया। चित्रदुर्ग के किले को वश में करने का प्रयास असफल रहा। गवर्नर जनरल लार्ड वेल्लेस्ली ने विद्रोह का दमन प्रारंभ किया।

दोंडिया के नियंत्रण में स्थित शिवमोग्गा, होन्नाली, हरिहर आदि पर आक्रमण हुआ। दोंडिया ने अपना स्थान खो दिया। अंग्रेजों ने शिवपुर को वश में लिया और तब दोंडिया निज़ाम के वश में स्थित गुत्ती स्थान की ओर पलायन किया। जब निज़ाम ने गुत्ती को घेरा तो दोंडिया को मराठा प्रदेश की ओर भागना पड़ा। मराठा सेना ने उसे हराकर उसके शस्त्रात्रों, ऊँट, तथा हाथियों को वश में कर लिया। इस के बावजूद दोंडिया ने अपना संघर्ष जारी रखा।

अनेक अतृप्त मांडलिकों ने दोंडिया को प्रोत्साहित किया। मालाबार के माहे में स्थित फ्रांसिसियों ने इसकी सहायता की। हरिहर, चित्रदुर्ग, शिकारीपुरा, सवणूरु, राणेबेन्नूरु, कित्तूरु तथा लोंडा जैसे विशाल भौगोलिक प्रदेशों में अंग्रेजी सेना ने उसका पीछा किया। शिरहट्टी को अपने वश में लेकर अंग्रेजी सेना ने दोंडिया की सेना के अनेक सैनिकों को मार डाला।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

दोंडिया वाघ का अंत : लार्ड वेल्लेस्ली ने उसका अंत करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने देशी संस्थानों के राजाओं से सहायता माँगी। शिकारीपुर के किले पर पुनः विजय प्राप्त कर दोंडिया की सेना को अंग्रेजी सेना ने तितर-बितर कर दिया। अंग्रेजों ने तुंगभद्रा और मलप्रभा नदियों के बीच के विशाल भू-प्रदेश में निर्भय होकर संचार करने वाले दोंडिया की सेना को हराने की कोशिश की। सभी दिशाओं से उसे अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। रायचूर से दोंडिया का पीछा किया गया। निज़ाम और मराठों की सेना के बीच फँसे दोंडिया के नेतृत्व में उसकी सेना पर अंग्रेजों ने यापलपेरवी नामक स्थान पर कार्यवाही कर कोनगल नामक स्थान में उसकी हत्या कर दी। अपने नेता की हत्या के बाद शेष सैनिक तितर-वितर हो गए। विद्रोहियों से अपार मात्रा में बंदूक की गोली, कारतूस और शस्त्रास्त्रों को अंग्रेजों ने अपने वश में कर लिया।

कित्तूर का विद्रोह - वीररानी चेन्नम्मा (1824) :

अंग्रेजों के प्रशासन के विरोधी हैदरअली, टीपू और मराठों के बलशाली प्रतिरोधकों को दबाने के बाद अपने अधिकार को केंद्रीकृत करने के लिए कुछ कानून लागू किये। डलहौजी के काल में 1848 से 'गोद लिए बच्चों का अधिकार न होना' का कानून लागू किया। उससे भी पहले ऐसी नीति को बिना किसी कानूनी नियम या मदद के लागू कर दिया । ऐसी नीति का शिकार होने वाला प्रथम कर्नाटक का राज्य कित्तूर संस्थान था। इस नीति के विरुद्ध संघटित सशस्त्र विद्रोह में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का संघर्ष प्रसिद्ध हुआ ।

चेन्नम्मा

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

बेलगाँव तथा धारवाड़ जिलों के बीच स्थित शहर कित्तूरु संस्थान के मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चेत्रम्मा कित्तूर के प्रशासनिक व्यवहार में अधिक रूचि लेने लगी। उसकी मृत्यु के बाद इसके बड़े पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किन्नूर का प्रशासन अपने हाथ में लिया। किंतु उसकी शारीरिक परिस्थितियों के कारण वास्तविक प्रशासन अधिकारी के रूप में चेन्नम्मा को जिम्मेदारी उठानी पड़ी। शिवलिंगरुद्रसर्ज ने मराठों से युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। इससे अंग्रेजों ने उस संस्थान को वंश परंपरागत रूप से देना पड़ा। उसके बदले वार्षिक कर लेना पड़ा। यह समझौता थॉमस मनरो के काल में हुआ।

शिवलिंगरुद्रसर्ज की मृत्यु के बाद शिवलिंगप्पा नामक बालक को गोद लेकर चेन्नम्मा ने प्रशासन कार्य संभाला। उस समय थैकरे धारवाड़ का कलेक्टर और राजनीतिक प्रतिनिधि

था। उसने मुंबई के गवर्नर को गोद लेने के बारे में रिपोर्ट देकर गोद लेने के अधिकार को वंचित कर कित्तूर के प्रशासन को अपने वश में करने का प्रयास किया। कित्तूर का खजाना, किला (दुर्ग) आदि को अपने वश में लिया। चेन्नम्मा ने थैकरे के इस प्रयास को विफल करने के लिए युद्ध की अनिवार्यता जाहिर की। अंग्रेजों ने अपनी सेना को सुसज्जित किया। कित्तूर की सेना ने अंग्रेजी सेना पर हमला किया। इस हमले में थैकरे बंदूक की गोली का शिकार हुआ। अनेक अंग्रेजी सैनिकों को कारागृह में डाला गया।

कित्तूर को अपने वश में लेने के दृढ निश्चय से अंग्रेजों ने और तैयारी के साथ कर्नल डीक के नेतृत्व में अपनी सेना लेकर पुनः कित्तूर पर हमला किया। सैनिकों ने वीरता पूर्ण युद्ध किया। अंग्रेजी सेना से बचकर भागी चेन्नम्मा को बंदी बनाया गया। कित्तूर अंग्रेजों के वश में आ गया। चेन्नम्मा तथा अन्य साथियों को बैलहोंगल दुर्ग के कारागृह में बंदी बनाया गया। चेन्नम्मा की मृत्यु हो गयी। आज भी वह राज्य के लिए आदर्श महिला है।

संगोल्ली रायण्णा (1829-30) :

कित्तूर चेन्नम्मा के साथ संगोल्ली रायण्णा का नाम अमर और आदर्श है। रायण्णा वीर योद्धा था। इसने कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना अपना कर्तव्य समझा। उसके खानदानवालों ने वंशपरंपरा से ही सैनिक के रूप में सेवा की थी। रायण्णा कित्तूर के युद्ध में चेन्नम्मा के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष रत रहा। युद्ध में बंदी हुआ, तत्पश्चात कारागार से मुक्त हुआ।

संगोल्ली रायण्णा

इसके बारे में मौखिक स्रोत उपलब्ध है । इसने सैनिकों को संघटित करते हुए स्वतंत्रता के प्रति गर्व पैदा कर लिया। भौगोलिक रूप से सीमित भागों में गुप्त सभा बुलाकर अपनी अगली योजनाएँ बनाईं। उसका तत्कालिक उद्देश्य था- अंग्रेजी प्रशासन के प्रमुख अंग थे तालुक-कार्यालय और कोषों को लूटना। पहले नंदगढ़ और खानापुर तत्पश्चात् संपगावी उसके कार्यकलाप के प्रमुख स्थल बने। उसकी सेना लगभग 500 थीं। अंग्रेजी सेना की सहायता करनेवाले गाँव के लोग उसके क्रोध का शिकार बने। अंग्रेज समझ रहे थे कि रायण्णा रानी चेन्नम्मा के उकसाने पर सैनिक कार्यवाई कर रहा है। इस प्रकार चेन्नम्मा को उन्होंने बैलहोंगल से कुसुगल्ली के कारागृह में स्थानांतरित किया।

रायण्णा को बंदी बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक षडयंत्र बनाया। कित्तूर चेन्नम्मा के विरोधी देसाई लोगों को उकसाया। अमूलदार कृष्णराय ने इस योजना में साथ दिया। इस

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

योजना के शिकार रायण्णा को अंग्रेजी सेना बंदी बनाकर धारवाड ले आयी। उसके बंदी होने के बाद उसके सैनिक भी शरणागत हो गये। 1831 में उसे मुख्य अपराधी घोषित कर नंदगढ़ में फाँसी दी गयी। उसके अनेक अनुयायियों को आजीवन कारावास सजा दी गयी। संगोल्ली रायण्णा के जीवन और देशप्रेम को प्रादेशिक लावणियों ने आज भी सजीव रखा है।

अमर सूल्या विद्रोह :

यह मूलतः कृषकों का विद्रोह था। इसकी पृष्ठभूमि 1835-37 में तटीय प्रदेश तथा कोडगु प्रांत में विद्रोह के समय से ही देखी जा सकती है। कोडगु का प्रशासक हालेरी राजवंश के चिक्कवीरराजेंद्र को अंग्रेजों ने 1834 में पदच्युत करके बेंगलूर से वेल्लूरु तत्पश्चात इसी मार्ग से काशी भेजा। उसकी पदच्चुति से कोडगु में राजनीतिक असंतुष्टि हुई। इसके विरुद्ध स्वामी अपरंपार, कल्याण स्वामी तथा पुट्टबसप्पा ने सशस्त्र विद्रोह का संघटन किया। इन तीनों ने स्वयं को पदच्युत राजावंश परम्परा का सदस्य कहा। स्वामी अपरंपार विद्रोह के नेता रहे। 1835 में अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बेंगलूरु भेज दिया। कल्याण स्वामी को 1837 में बंदी बनाया गया। उसे मैसूरु के कारागार में रखा गया।

पुट्टबसप्पा : सीमाप्रांत कोडगू के लोग, कल्याण स्वामी के निधन के बाद विद्रोह जारी रखा। केनरा प्रांत के सूल्या, बेल्लारे, पुत्तूरु आदि स्थान 'अमर सूल्या' विद्रोह के केंद्र स्थान रहे। सूल्या के एक किसान ने कोडगू के शनिवार संते के किसान पुट्टबसप्पा को कल्याणस्वामी के रूप में चुना। इसका स्वयं को स्वामी अपरंपार कहना अपने आप में रोचक ही नहीं, विद्रोह की तीव्रगति की पुष्टि करता है। इसने विद्रोह का नेतृत्व किया।

यह विद्रोह घाट-प्रदेशों में प्रारंभ हुआ । पुट्टबसप्पा ने विद्रोहियों को संघटित कर, लोगो को सांत्वना दी। विद्रोहियों की सरकार की स्थापना के बाद तंबाकू और नमक के कर को रद्द करने की घोषणा की गई। अमीर कृषकों, व्यवस्थापकों, जमींनदारों को आश्वासन दिया गया। बेल्लारी में स्थित सरकारी कार्यालय को वश में लेकर सरकारी अधिकारियों को बंदी बनाना ही विद्रोहियों का पहला कदम था। सूल्या और आसपास सामान्य जनता को तंग करनेवाले एक अमलदार की हत्या करने से पुट्टबसप्पा की जनप्रियता और भी बढ़ गयी। इससे विद्रोह को व्यापक प्रचार और प्रोत्साहन मिला।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

क्रांतिकारियों ने पुत्तूरू में अंग्रेजी सेना का सामना किया। इनका उद्देश्य था मंगलूरु को वश में लेना। इस कारण अंग्रेजों ने मंगलूरु को सुरक्षित करने के प्रयास में स्वयं को लगाया। पुत्तूरु से मंगलूरु की ओर बढ़कर उन्होंने पाणेमंगलूरु और बंटवाल में कार्यवाही प्रारंभ की। बंटवाल के जेल (कारागार) तथा खजाने लूटे गये।

इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने कण्णानूरु, तल्लिचेरी और मुंबई की सेना की अपेक्षा की। इसे जानकर पुट्टबसप्पा और उसके मित्र सूल्या की ओर भाग गए। अंग्रेजी सेना ने कोडगु के स्थानीय लोगों की सहायता से पुट्टबसप्पा और उसके सहचरों को पकड़ लिया। पकड़े गए पुट्बसप्पा, लक्ष्मप्पा, बंगरस, केदंबाडी, रामय्यगौडा तथा गुड्डेमने अप्पय्या को फाँसी दी गयी। विद्रोह विफल होने पर भी समकालीन रूप से प्रमुख रहा और उसे अंग्रेज विरोधी माना जा सकता है।

सुरपुर तथा कोप्पल का विद्रोह :

सुरपुर : सुरपुर वर्तमान यादगिरि जिले में है। मुगल सम्राट औरंगजेब के काल से ही यह प्रमुख था। निज़ाम और मराठों के पेशवा काल में यह एक सामान्त राज्य के रूप में उभरा। कालांतर में भौगोलिक प्रदेशों पर अधिकार कम हुआ। केवल सीमित भौगोलिक प्रदेश पर अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सका। वेंकटप्पा नायक के अवसर पर सुरपुर में अंग्रेज विरोधी विद्रोह की आग भड़उठी।

वेंकटप्पा नायक : अपने पिता कृष्णप्पानायक की मृत्यु के बाद यह सिंहासन पर आसीन हुआ। 1834 में जन्म लेकर छोटी आयु में प्रशासन निभाया। किंतु कृष्णप्पानायक के भाई पेद्दनायक तकरार करने पर सुरपुर के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हलचल मची। अंग्रेजों ने इसमें रुचि दिखाई। 1842 में अंग्रेजों ने मॅडोस टेलर को राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। उसने संस्थान पर अपना परोक्ष अधिकार स्थापित किया।

टेलर सुधारवादी भी था। इसने सुरपुर संस्थान का विकास किया। पेद्दनायक को संस्थान के दीवान पद पर नियुक्त किया। पूरे संस्थान की भू-समीक्षा करवाई। संस्थान की आय बढ़ने के कारण, इसके द्वारा अपनाई गई नीतियाँ थीं। वेंकटप्पा नायका को योग्य शिक्षा देनेवाली व्यवस्थाओं का अवसर प्रदान किया। 1853 में वेंकटप्पा नायक ने अधिकार प्राप्त किया।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

सुरपुर-विद्रोह : अंग्रेजी सरकार सुरपुर के विकास का सूक्ष्मता से अवलोकन कर रही थी। 1857 में प्रारंभिक संघर्ष के अवसर पर सुरपुर में नाना साहेब के प्रतिनिधिथों के होने की बात फैल गयी। इससे अंग्रेजों ने राजा कोशक की दृष्टि से देखा। राजावधि में प्रशासनिक प्रतिवेदन देने के लिए अंग्रेज सरकार ने कैंपबेल नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। इसने राजा के प्रशासन में होनेवाले दुर्व्यवहारों का प्रतिवेदन हैदराबाद के रेसिडेंट को सौंपा।

सामान्यतः वेंकटप्पा नायक को इतिहासकारों ने कर्नाटक के इतिहास में 1857 की क्रांति का नायक कहकर वर्णित किया है। 1858 में अंग्रेजी सेना ने सुरपुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध आगे बढ़ा। अंग्रेजों ने सुरपुर दुर्ग को अपने वश में लिया। वेंकटप्पा नायक के अंतिम दिनों के बारे में विवाद है।

कोप्पल के वीरप्पा : अंग्रेज विरोधी आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह तथा दंगों में कोप्पल का विद्रोह प्रमुख है। कोप्पल तथा निकट के भौगोलिक प्रदेशों में हैदराबाद-निज़ाम के प्रशासन के नियंत्रण में रहने पर भी शोषण जारी था। इससे कोप्पल के कुछ ज़मींनदार अनिवार्य रूप से विद्रोही हो गए। इस प्रकार विरोध करने वालों में वीरप्पा का नाम प्रमुख है।

वीरप्पा ज़मींनदार था। विद्रोह द्वारा कोप्पल तथा निकट के किले को अपने वश में कर लिया। वीरप्पा के इस रहस्य के उद्देश्य को समझकर अनेक कृषिक और जमीनदारों ने उसका साथ दिया। निज़ाम द्वारा अंग्रेजों ने वीरप्पा के नेतृत्व के विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना का नियोजन किया। कम सैनिकों की सेना सहित संघर्षनिरत वीरप्पा की मृत्यु हुई। तत्पश्चात अंग्रेजों ने कोप्पल के दुर्ग को अपने वश में लिया। इस विद्रोह का प्रभाव कम समय तक था । फिर भी उसका नेतृत्व करनेवाला नायक वीरप्पा एक समर्थ सशस्त्र संघर्षकर्ता ही था।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

हलगली के आखेटकों का विद्रोह :

बागलकोटे जिले के मुधोल तालूक में हलगली नामक एक छोटा गाँव है। पहले यह मुधोल संस्थान के शासन में था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेजों ने अपने प्रशासित प्रदेशों में शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध कानून लाया। यह हलगली पर भी था । हलगली के आखेटक पूर्वजों के काल से शिकार (आखेट) के उद्देश्य के लिए मुक्त रूप से उपयोग करनेवाले बंदूकों को अंग्रेजों को सौंपना नहीं चाहते थे। आखेटक अपने परंपरागत अधिकार को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क गये। इस संघर्ष में हलगली के

> **आपको ज्ञात रहे :**
>
> शस्त्रास्त्र निषेध अधिनियम सरकार की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय आयुध नहीं रख सकता ।

आस-पास रहनेवाले मंटूरु, बोदानी, आलगुंड़ी प्रदेश के आखेटक, हलगली के अखेटकों के साथ जुड़ गये। इनके विद्रोह को दबाने के लिए नवंबर में अंग्रेजों की सेना हलगली गाँव पहुँची। अंग्रेजों ने विद्रोही आखेटकों को बेरहमी से दबाया। विद्रोहियों को फाँसी देकर इस विद्रोह का अंत किया।

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. प्रथम आंग्लो-मैसूर युद्ध __________ और __________ के मध्य हुआ।
2. द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध __________ समझौते के साथ समाप्त हुआ।
3 राज ओडेयर ने __________ को राजधानी बनाया।
4. कित्तूरु रानी चेन्नम्मा ने __________ नामक बालक को गोद लिया था।
5. कित्तूरु चेन्नम्मा के संस्थान में रायण्णा का गाँव __________ था।
6. सुरपुर वर्तमान के __________ जिले में है।
7. वर्तमान बागलकोटे जिले के __________ आखेटकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरु कर दिया।
8. अमर सूल्या विद्रोह मूलतः __________ विद्रोह था।

II. निम्नलिखि प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा द्वारा दीजिए :

9. चिक्कदेवराज ओडेयर की उपलब्धियाँ कौन-कौन सी हैं?
10. हैदर अली किस प्रकार अधिकार में आया ?
11. द्वितीय आंग्लो मैसूरु युद्ध के परिणाम क्या थे?
12. श्रीरंगपट्टण समझौते की शर्तें क्या थीं?
13. चौथे कृष्णराजा ओडेयर की उपलब्धियाँ बताइए।
14. चौथे आंग्लो मैसूरु युद्ध ने अंग्रेजों को मैसूरु प्रांत में सुदृढ़ बनाया। विवरण दीजिए।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

15. दोंडियावाघ, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष क्रम का विश्लेषण कीजिए।
16. संगोळ्ळी रायण्णा के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष का क्रम विश्लेषण कीजिए।
17. स्वंतत्रता संग्राम में कोडगू प्रांत के पुट्टबसप्पा की भूमिका का विवरण दीजिए।
18. सुरपुर के विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

III. क्रिया कलाप :

1. संगोळ्ळी रायण्णा के बारे में किताब पढ़िए।
2. कित्तूर चेन्नम्मा संबंधी और अधिक जानकारी संग्रहीत कीजिए।

IV. परियोजना :

1. शैक्षिक प्रवास द्वारा आप सुरपुर के किले के ब्रिटिश युग के अतिथि गृह की विशेषता देख सकते हैं।
2. मैसूर राजमहल के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए।

* * * *

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 5

सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन

Y2H9W9

इस अध्याय में निम्नांकित अंशो को जानते हैं :

- ब्रह्म समाज की स्थापना और सुधार।
- युवा बंगाली आंदोलन
- आर्य समाज की स्थापना और सुधार।
- प्रार्थना समाज के सुधार।
- सत्यशोधक समाज का प्रतिपादन।
- अलीगढ आंदोलन ।
- रामकृष्ण मिशन के उपदेश।
- थियोसोफिफ़कल सोसाइटी
- नारायण गुरुः धर्मपरिपालन योगं
- पेरियार

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी को 'पुनरर्जागरण' और समाज सुधार काल के रूप में जाना जाता है । इस दौरान पश्चिमी सभ्यता का संपर्क भारतीयों तक पहुँचा। अंग्रेजी शिक्षा का अवसर मिला । साथ ही लोकतंत्र, राष्ट्रीयता आदि पाश्चात्य परिकल्पनाएँ भी प्रकाश में आयीं । भारतीयों में वैचारिक मनोभाव विकसित हुआ । भारतीय समाज का विश्लेषण तथा सुधार के प्रति आस्था बढी । अपनी आर्थिक तथा राजनैतिक अभिरुचि/दिलचस्पी की रक्षा के लिए अंग्रेजी प्रशासकों सहित सुधार आंदोलन को सहयोग दिया साथ ही समाज में स्थित हानिकारक पद्धतियों को कानून की मदद से निषेध करने का प्रयास किया गया । इस पृष्ठभूमि से राममोहनराय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंदा रानाडे, ज्योतिबा पुले, स्वामी विवेकानंद, एनीबसेंट, सैयद अहमद खान, नारायण गुरु, पेरियार आदि अन्य कई लोगों ने सामाजिक सुधार के लिए कड़ी मेहनत की।

आपको ज्ञात रहे :

पश्चिमी विद्वानों से प्रभावित अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों ने 19वीं शताब्दी को 'पुनरर्जागरण' काल कहा है।

ब्रह्म समाज:

राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से प्रमुख हैं। इनको 'भारतीय नवोदय का जनक' कहा जाता। ये संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, प्रेंच, ग्रीक, लैटिन-आदि भाषाओं के विद्वान थे। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सूफी, ईसाई और बौध्द धर्म की संस्कृति और सिध्दांतों का अध्ययन किया था। मूर्ति पूजा पर प्रश्न करते हुए, राय ने अपने सिध्दांतों के प्रतिपादन के लिए उपनिषदों को प्रमुख माना। इन्होंने प्रतिपादित किया की आधुनिक वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा भारत के नवीकरण के लिए आवश्यक है। इन्होंने महिला शोषण का विरोध किया। सती प्रथा, बाल विवाह के विरोध पर संघटनात्मक संघर्ष चलाया। अत: रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा उनकी निंदा की गई। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जारी सती प्रथा विरोधी कानून का समर्थन किया। इन्हेंने पत्रिकारिता उद्योग द्वारा लोगों में वैचारिकता का विकास करने का प्रयास किया। बंगाली भाषा में 'संवाद कौमुदी' नामक पत्रिका का प्रारंभ किया।

राममोहन राय

ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सबसे आगे था। ब्रह्मसमाज ने हिंदू धर्म में आचार-विचारों में सुधार करने का प्रयत्न किया। मूर्तिपूजा और बहुदेववाद का विरोध कर, एक देवता की आराधना को प्रोत्साहन दिया। जिसने यज्ञ-यागों की निंदा की और पुरोहितशाही का विरोध किया।

अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, भारतीय लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारों को समझने में सक्षम थे। जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में मदद मिली।

युवा बंगाली आंदोलन :

उत्तर भारत में आधुनिकता की हवा चली। 19वीं शताब्दी में कलकत्ता नवीन आलोचनाओं का केंद्र बिंदु था। सा.श. 1820 तथा 1830 के दशक में नये आंदोलन प्रारंभ हुए। इससे पूर्व ही हम ब्रह्म समाज को देख चुके हैं। इसी समय एक और आंदोलन 'युवा बंगाली आंदोलन' का प्रारंभ करने वाले हेनरी विवियन डिरेजियो (सा.श. 1809-1831) का नाम प्रमुख है। इनके पिता पुर्तगाली और माता भारतीय थीं। इसलिए डिरेजियो को एंग्लो-इंडियन कहा जाता है।

कलकत्ता के हिंदू कालेज में अध्यापक के रूप में इन्होंने सेवा की। इनकी अध्यापन शक्ति से प्रभावित कई विद्यार्थी निष्ठापूर्वक उनके अनुयायी बन गये। ये आपके पुनरुत्थान आंदोलन के आशय से प्रभावित रहे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों तथा सहयोगियों में वैज्ञानिक आलोचना क्रम भरने का प्रयास किया। नवीन शिक्षा क्रम लागू करने हेतु आवश्यक पाठ्यपुस्तक की रचना में आपने विशेष योगदान दिया। प्रश्न करने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक तथा प्रेरणादायक पाठों को रखा । इससे वे तत्कालीन संप्रदायवादियों के आक्रोश का पात्र बने। 'अकाडमिक एसोसिएशन' (सा.श. 1828) नामक वाद-विवाद मंच निर्माण द्वारा नवीन संवेदनाओं को जन्म दिया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

> **क्रियाकलाप :**
> बाल विवाह के निर्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए।

युवा बंगाली आंदोलन ने प्रकृति, मानवीयता, ईश्वर आदि विषयों पर चर्चा और संवाद किए। डिरेजियो ने कहा - अंधविश्वास से परिपूर्ण सामाजिक मूढाचार में डूबे समाज के लिए समाधान की स्थिति तब होगी जब सभी कुछ सबके द्वारा वैज्ञानिक रूप से देखने का दृष्टिकोण रखेंगे। इस प्रकार उन्होंने इस आंदोलन को प्रचुर ख्याति देने का प्रयास किया। आप महिलाओं के अधिकार के प्रतिपादक थे और जाति प्रेरित शोषण के विरोधी थे। यह विरोध एक नये आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। किंतु इसका प्रभाव कलकत्ता और बंगाल के कुछ प्रदेशों तक मात्र सीमित था।

आर्य समाज :

दयानंद सरस्वती

आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। उन्होंने देश भर में व्याख्यान देते हुए वेदों को सत्य और ज्ञान का स्रोत कहा। इस दृष्टि से उन्होंने **'वेदों की ओर लौटो'** तथ्य की घोषणा की। मूर्तिपूजा और जाति पद्धति का खंडन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति का संबंध जन्म से नहीं, योग्यता से है। अर्थहीन आचरण और पंडिताई के अधिकार का तिरस्कार किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी वस्तुओं पर ज़ोर दिया। 'सत्यार्थ प्रकाश' कृति में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 'शुध्दि आंदोलन' आर्य समाज की मुख्य गतिविधि थी। आगे आर्यसमाज ने कई जगहों पर पाठशाला, कॉलेजों की स्थापना की। दयानंद सरस्वती के स्वराज्य और स्वधर्म शिक्षण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगो को प्रेरित किया। महान देशभक्त दयानंद सरस्वती देश और भारतीय संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने लोगों में आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता पैदा करने की कोशिश की और भारतीयों के लिए भारत की घोषणा प्रदान की।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

> ### आपको ज्ञात रहे :
> **'शुद्िध आंदोलन'**
> हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और रूढ़िवादिता ने लोगों को अन्य धर्म की ओर धकेला। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज में एकता लाने की दिशा में वेदों का पुन: व्याख्यान कर, लिंग और जाति समानता को प्रतिपादित किया। हिंदू धर्म से बाहर जाने का अवसर तो था पर अंदर आने का अवसर नहीं था । इस दृष्टि से मतांतरित लोगों को फिर हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने मतांतरित लोगों को शुद्ध करके और उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के कार्य द्वारा हिंदू धर्म को मजबूत किया।

प्रार्थना समाज :

गतिविधियाँ : महिला शिक्षा के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं को शिक्षकों के द्वारा जानिए।

प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की। मानव सेवा ही परमात्मा की सेवा है, यह इनका आधार था। इस समाज ने शिक्षा के प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी। डेक्कन शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्न किया। इन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, अन्तर्जातीय विवाह, सहभोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके बाल-विवाह, जाति पद्धति, मूर्तिपूजा, पर्दा पद्धति का विरोध किया। सर्वधर्म सत्य के प्रतीक हैं, उनकेप्रति आदर दिखाने के लिए कहा। भारत में पुनरुत्थान के दौरान में अनाथालय, राष्ट्रीय विद्यालय और विधवाश्रम की स्थापना की गई।

एम.जी. रानाडे ने प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया। समाज में सुधार के बिना राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति करना असंभव बताया। वे हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। रानाडे राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय थे। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक हाईस्कूल खोला।

सत्य शोधक समाज :

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

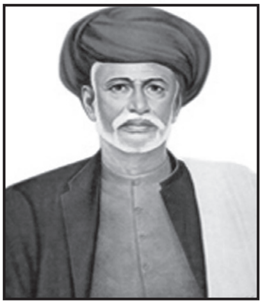
महात्म ज्योतिबा फुले

ज्योतिबा फुले सत्यशोधक सामाज के संस्थापक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य की पहली आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बिना विचारों की अभिव्यक्ति असंभव है। सत्य शोधक समाज ने पान (पीने) निषेध की माँग की। स्त्री-पुरुष की असमानता, मानवाधिकारों का तिरस्कार, लोगों का शोषण करना, अस्पृश्यता की प्रथाएँ आदि का तीव्र खंडन किया। सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन चलाया। बालिकायों की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली। शूद्रों की दासता और उसके कारणकर्ताओं को घोर निंदा की। समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। सत्य शोध सोसाइटी से प्रभावित होकर, शाहु महाराजा ने कई शाखाएँ खोलीं और कार्य गतिविधियों को अंजाम दिया। समाज ने किसानों के हित से संबंधित संघर्ष छेड़ा। फुले ने अपनी पुस्तक 'दासता' में शोषण का उल्लेख किया है। फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए सत्य-आधारित समाज के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास किया। इनके प्रयास से बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना की गई। समानता के उद्देश्य से इसकी नींव पर समाज निर्माण के आधुनिक कालसीमा में फुले दंपत्ति द्वारा किया गया प्रयत्न महत्वपूर्ण है। इनके आशय से प्रेरित जनों में बाबा साहेब अंबेडकर प्रमुख थे।

अलीगढ़ आंदोलन :

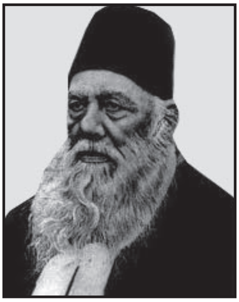

सर सय्यद अहमद खान

मुसलमानों ने अपने राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों को बदलकर पूर्व और पश्चिम के विचारों के संगम का समर्थन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था।इस आंदोलन के मुखिया सर सैयद अहमदखाँ थे। मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 'आंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज' की शुरुआत की। इसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा प्रदान करन। इस का उद्देश्य था। उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा से नवीकृत समाज संभव है। सर सैयद राष्ट्रीय कांग्रेस से दूर रहे और मुस्लिम समुदाय को एकत्रित किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया तथा बहुपत्नीत्व और विधवा विरोधी मुद्दों की निंदा की।

रामकृष्ण मिशन :

रामकृष्ण परमहंस

रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के कालीमंदिर के पुजारी थे। उनकी सोच भारतीय संस्कृति का आधार थी। उनके अनुसार सभी संप्रदाय समान थे। उनका विश्वास कोई देवता, संप्रदाय को मुख्य कहने की बनाय आध्यात्म का साक्षात्कार ही मुख्य है। वे मूर्तिपूजा पर विश्वास रखते थे। वे निःस्वार्थ दैवभक्त थे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे।

स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की विचाराधाराओं का प्रसार-प्रचार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य सर्वधर्म समन्वय के सिद्धांत को बढ़ावा देना और लागू करना था। रामकृष्ण मिशन की दुनिया भर में शाखाएँ हैं। इनमें प्राचीन, आधुनिक और पाश्चात्य दार्शनिकों का मिलन देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जीवनप्रेम में निहित महत्व को खोलकर भारतीयों को जगाने वाले क्रांतिकारी सन्यासी थे। व्यक्ति और व्यक्ति की उपस्थिति और क्षमता पर ज़ोर देना चाहते थे। उन्होंने जोर दिया कि मोक्ष के लिए प्रार्थना और योग के अलावा समाज सेवा ही महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण अश्रम शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से संस्कृति के विकास को बढ़ाता है। गांधीजी सहित कई राष्ट्रीय नेतागण विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थे। जाति व्यवस्था तथा उसके शोषण का रूप गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता आदि फूट से युक्त समाज को नया शोषण मुक्त स्वरूप देने

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

के लिए उन्होंने आजीवन अविरत प्रयास किया। समाज सुधार से संबंधित विवेकानंद का आशय है कि - पहले जनता को शिक्षित करना होगा और इससे वे स्वयं सुधार की अपेक्षा करेंगे। प्रशासन बनाने वाली संस्थाओं द्वारा सुधार संभव है और उनके द्वारा समाज-सुधार कानून लागू होने चाहिए। उन्होंने पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण छोड़ने की सलाह दी ।

स्वामी विवेकानंद

1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, स्वामी विवेकानंद ने यह दावा करते हुए कहा कि सर्वधर्म सहिष्णुता और सकल धर्म सत्य है। उन्होंने भारत की महानता को दुनिया के सामने घोषित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने यह समझाते हुए पेश किया कि कैसे हिन्दू धर्म ने दमनकारी धर्मों के अपवाद रुप में विश्वबंधुत्व का दावा किया। वे युवकों के लिए प्रेरक शक्ति थे।

थियोसोफिकल सोसायटी (ब्रह्म विद्या समाज) :

एनीबेसेंट

थियोसोफिकल सोसायटी के मूल संस्थापक मैडम ब्लावटिस्की और कर्नल एच.एस. अलकॉट थे। इस समाज की स्थापना बिना किसी भेदभाव के विश्व-भ्रातृत्व का निर्माण, तर्कसंगतता का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकृति -नियम तथा मनुष्य की गुप्त शक्तियों की खोज करने की मुख्य दृष्टि पर हुई थी।

आयरिश महिला एनीबेसेंट ने भारत में थियोसोफिकल सोसायटी की कार्य गतिविधियाँ प्रारंभ की और इसे पुनर्जीवित किया। अपने व्याख्यानों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों में सम्मान जगाया। उन्होंने समाज में समानता और विश्वबंधुत्व को बढ़ावा देने और समरसता हासिल करने का प्रयास किया। एनीबेसेंट ने स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक समर्थन किया। 'न्यू इंडिया' नाम की पत्रिका शुरू की। 1916 में होमरूल आंदोलन शुरू हुआ। वे 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा थी। उन्होंने भारतीय दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान दिया है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आपको ज्ञात रहे:

'होमरूल': ब्रिटेन के हाथ आए आयरिश और वहाँ के लोगों ने अपने शासन का अधिकार प्राप्त करने के लिए होमरूल अभियान चलाया। इससे प्रभावित होकर एनीबिसेंट ने भारत में होमरूल आंदोलन शुरू किया। 1916 में दो होमरूल लीग अस्तित्व में आई। इनमें एक तिलक के नेतृत्व में पूना को केंद्र बना लिया। महाराष्ट्र के उत्तरी कर्नाटक, मध्य प्रांत और बेरार क्षेत्रों में इसकी शाखाएँ थीं। एनीबसेंट के निर्देशन में दूसरा होम रूल लीग, मद्रास केंद्र बना। तिलक ने 'मराठा'और 'केसर' नामक समाचार पत्रिकाएँ चलायी। एनीबेसेंट ने 'न्यू इंडिया' और 'कामनव्हील' पत्रिकाओं द्वारा प्रचार किया।

श्री नारायण गुरु

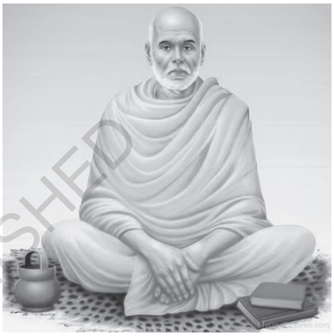
श्री नारायण गुरु

श्री नारायण गुरु ने 1903 में धर्म परिपालन योगम् आरंभ किया। इनका जन्म केरल के चेंबलांती/ चेंबलांडी में हुआ। इस संघटन का मुख्य उद्देश्य था - पिछड़े तथा शोषित समुदाय का सबलीकरण । नारायण गुरु (1854-1928) तथा उनके सम कालीन डा. पल्लु तथा कुमार आसन ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया ।

केरल समाज में भी जाति-भेद संबंधी समस्याएँ अत्यंत व्यापक स्तर पर थीं। अनेक पिछड़े तथा दलित वर्ग को सामाजिक निषेध/ बंधन थोपे गए थे। उस समय इन समुदाय/ वर्ग को, सभी के लिए स्थित तालाब, कुओं से जल लेने की मनाही थी। सड़कों पर चलने, चप्पल पहनने, मंदिरों में प्रवेश सबसे ये वंचित थे। महिलाओं के वस्त्र-विन्यास पर बंधन थोपा गया था। इतना ही नहीं, विद्यालयों में भी इन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। निम्न स्तर के मानवीय अधिकारों से वंचित इस वर्ग के लोग साँस रोक कर जी रहे ते। इन विषयों को लेकर श्री नारायण गुरू ने अपने धर्म परिपालन योगम् द्वारा सामाजिक प्रतिरोध आंदोलन प्रारंभ किया। मानव को सम्मानपूर्वक जीने के समाज का निर्माण ही इस संघटन का उद्देश्य था। नारायण गुरू का प्रमुख आशय था - मानव कुल की एक जाति, एक धर्म, और एक ही ईश्वर का होना (One Caste, One Religion and One God) इसके लिए एकमात्र मार्ग शिक्षा है, इस बात का प्रसार किया । निम्नवर्ग के लोगों के लिए प्रवेश की मनाही करने वाले मंदिरों के बदले अन्य मंदिर बनाए गए ।

नारायण गुरू और उनके अनुयायियों ने 1924 में वैकं सत्याग्रह नामक शिवमंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। इसमें गाँधीजी और आत्म सम्मान आंदोलन के प्रवर्तक परियार ने भी भाग लिया। गुरुवायूर मंदिर के प्रवेश का आंदोलन भी एक और महत्वपूर्ण घटना है ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

पेरियार :

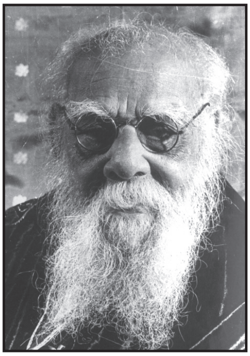
पेरियार

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ब्राह्मणेतर आंदोलन नामक नया आंदोलन दक्षिण भारत में आरंभ हुआ। बहुसंख्यक ब्राह्मणेतर लोगों ने सरकारी स्तर के प्राप्त स्थानों पर अपनी जनसंख्या के अनुकूल प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। कर्नाटक सहित विविध राज्यों में यह एक प्रमुख आंदोलन था। ब्राह्मणेतर वर्ग उन पर थोपे गये सामाजिक निषेधों का विरोध करने लगे। इसका प्रमुख कारण था - अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार । इसके साथ-साथ अंग्रेजों द्वारा 1870 के बाद लागू जनगणना रिपोर्ट ने सभी वर्गों को अपनी जनसंख्या का ज्ञान दिया। तमिलनाडु में 1961 में प्रारंभ हुए 'जस्टिस पक्ष' ने इस आंदोलन को आगे बढाया।

'जस्टिस पक्ष' द्वारा सामजिक आंदोलन ने नया रूप लिया। यह अत्यंत क्रांतिकारी कदम रहा। यह नया रुप ही इ. वी. रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ ''आत्मगौरव आंदोलन'' (Self Respect Movement) था। 1925 में कांग्रेस पक्ष से बाहर आकर रामास्वामी ने 1926 में सेल्फ रेस्पेक्ट लीग प्रारंभ किया। इन्हें लोग प्यार से पेरियार (बुजुर्ग) कह कर पुकारते थे।

इनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड़ में धनिक परिवार में हुआ था। वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में कांग्रेस के होने के कारण वे द्राविड आंदोलन नामक जनांगीय परिकल्पना केंद्रित आंदोलन की रचना करने लगे। तमिल भाषा को द्राविड़ों की भाषा कहा। जाति और लिंग तारतम्यता का विरोध कर समानता का आशय सामने रखा । 1924 में केरल के वैकं में अस्पृश्य जनों के लिए मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहे। 1939 में जस्टिस पक्ष के अध्यक्ष ने ''द्राविड कलगं'' नामक संघटन प्रारंभ किया। ''रिवोल्ड'' समाचार पत्र प्रारंभ किया।

आज भी तमिलनाडु के राजनैतिक क्षेत्र में परियार सैद्धांतिक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ के राजनैतिक पक्ष - ''द्राविड'' नाम को अपने पक्ष के नामों से रखते हैं। इसका प्रमाण सी. अयोथिदास पंडित, टी.एम. नायर आदि ने यह प्रथा प्रारंभ की। इस सैद्धांतिक रूप से निर्मित ब्राह्मणतेतर आंदोलन को पेरियार ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होकर, जाति-लिमग असमानता से बाहर आकर ''सर्वधर्म सहिष्णुता'' का समाज निर्मित करना ही उनके जीवन का ध्येय था।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. 19वीं शताब्दी को __________ काल कहा जाता है।
2. राजा राममोहन राय ने __________ पत्रिका का संपादन किया।
3. प्रार्थना समाज के स्थापक __________ थे।
4. आज़ादी हर व्यक्ति की पहली आवश्यकता है, इस बात पर __________ ज़ोर दिया.
5. स्वामी विवेकानंद के गुरू __________ थे।
6. युवा बंगाली आंदोलन का प्रारंभ करने वाले __________ थे ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

7. ब्रह्मसमाज के उपदेश कौन-कौन से हैं?
8. दयानंद सरस्वती के नारे 'वेदों की ओर लौटो' का विश्लेषण कीजिए।
9. सत्यशोधक समाज द्वारा प्रतिपादित सुधारों का विवरण दीजिए।
10. अलीगढ़ आंदोलन के उद्देश्यों का विवरण दीजिए।
11. रामकृष्ण मिशन के दृष्टिकोण का विवरण दीजिए।
12. एनीबेसेंट के सुधार कार्यों का विवरण दीजिए।
13. नारायण गुरू धर्मपरिपालन योगम् संघटन के योगदान के बारे में लिखिए ।
14. पेरियार आंदोलन के प्रमुख अंशों की सूची बनाइए ।
15. डिरेजियो के प्रतिपादित तत्व कौन-कौन से हैं?
16. समाज को स्वामी विवेकानंद की देन क्या-क्या है ?

III. गतिविधियाँ :

1. निकट स्थित रामकृष्ण आश्रम भेंटकर विवेकानंद के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी हासिल कीजिए।

IV. परियोजना :

1. ग्रंथालय जाकर समाज सुधारक पुस्तकें पढिए। शिक्षकों की सहायता से अंतर्जाल द्वारा सूचनाएँ संग्रह कीजिए।
2. समाज सुधार के लिए आज कार्यरत संस्थाओं के बारे में शिक्षकों से चर्चा कीजिए।

******

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

अध्याय 6

सार्वजनिक प्रशासन - एक परिचय

F2L7X5

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों से अवगत होंगे :

- सार्वजनिक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और महत्व
- नियुक्ति का अर्थ और प्रकार
- केंद्र लोकसेवा आयोग और राज्य लोकसेवा आयोग
- कर्नाटक लोकसेवा आयोग
- कानून और सुव्यवस्था

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सार्वजनिक प्रशासन - अर्थ और व्याख्या - आधुनिक समाज के संकीर्ण और तेजी से परिवर्तित होते जाने के कारण सार्वजनिक प्रशासन का प्रमुख स्थान है । सार्वजनिक प्रशासन से समाज को होनेवाले लाभ का ज्ञान तथा महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रशासनिक प्रयोग मानव समाज के बराबर ही प्राचीन है । किंतु सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन का विकास विशेषतः अमेरिका संयुक्त संस्थान में प्रारंभ हुआ । अमेरिका के भूतपूर्व अध्यक्ष वुड्रोविल्सन को सार्वजनिक प्रशासन का पितामह कहा जाता है । वर्तमान सार्वजनिक प्रशासन सभी राष्ट्रों में एक प्रमुख अध्ययन का विषय बन गया है ।

अर्थ और व्याख्या : हिंदी का प्रशासन शब्द अंग्रेजी के 'एड्मिनस्टेशन' नामक शब्द का अनुवाद है। 'एडमिनस्टेशन' शब्द लैटिन भाषा के एड् और मिनिस्ट्रेर नामक दो शब्दों का योग है। एडमिनिस्ट्रेर शब्द सेवा करना (To serve) देखभाल करना (To care) खयाल रखना (To look ofter) सार्वजनिक व्यवहार का संचालन (To manage the affains) नामक विविध अर्थों को सूचित करता है। अतः प्रशासन का अर्थ लोगों की सेवा करना, लोगों की परवाह करना और लोगों से संबंधित व्यवहारों के निर्वहण की प्रक्रिया है ।

'सार्वजनिक प्रशासन' प्रशासन नामक व्यापक क्षेत्र का एक निर्दिष्ट भाग है। सार्वजनिक नामक शब्द सरकारी (GOVERNMENT) नामक अर्थ देता है । 'सार्वजनिक प्रशासन' शब्द का प्रयोग 1812 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ह्यूमिल्टन ने किया। तत्पश्चात कई दार्शनिकों ने सार्वजनिक प्रशासन की व्याख्या अपने-अपने ढंग से की है ।

1. वुड्रोविल्सन के अनुसार - कानून का समग्र और क्रमबद्ध लागू होना ही 'सार्वजनिक प्रशासन' है ।

2. फिफनर के अनुसार - सार्वजनिक नीति को लागू करने वाले सामूहिक प्रयास का संयोजन ही 'सार्वजनिक प्रशासन' है ।

3. लूथरगुलिक के अनुसार - 'सार्वजनिक प्रशासन' सरकार के कार्यों का निर्वहण करने वाले कार्यांगों की शाखा से संबंधित है ।

4. एफ.एम.मार्क्स के अनुसार - व्यक्ति, वस्तु और विधान का व्यवस्थित संयोजन ही 'सार्वजनिक प्रशासन' है। संक्षेप में 'सार्वजनिक प्रशासन' का तात्पर्य - समग्र सरकारी व्यवस्था के समस्त कार्याचरण से संबंधित कार्य है। राज्य के प्रतिदिन के व्यवहार चलाने वाले सरकार का अंग ही 'सार्वजनिक प्रशासन' है ।

सार्वजनिक प्रशासन का महत्व - पुलिस राज्य से सुखी राज्य के रूप में परिवर्तित हो रहे राज्य के स्वरूप के अनुकूल 'सार्वजनिक प्रशासन' का महत्व बढ़ रहा है । मानव के सर्वांगीण विकास और मानव समाज का उत्थान और पतन 'सार्वजनिक प्रशासन' पर अवलंबित है ।

सभी व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक 'सार्वजनिक प्रशासन' व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यह राज्य व्यवस्था का हृदय है। 'सार्वजनिक प्रशासन' रहित राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए आधुनिक राज्यों को प्रशासनिक राज्यों के रूप में जाना जाता है ।

निम्नलिखित अंश 'सार्वजनिक प्रशासन' के महत्व को दर्शाते हैं -

1. 'सार्वजनिक प्रशासन' सरकार का आधार स्तंभ है - राज्य में शासकांग और न्यायांग रहित सरकार की कल्पना कर सकते हैं, किंतु प्रशासनिक अंग रहित सरकार या राज्य की कल्पना असंभव है। सार्वजनिक नीतियों को कार्यगत करने के लिए प्रशासनिक यंत्र सभी राष्ट्रों में अनिवार्य रूप से होता है। अतः पाल. एच. आपल्बी ने कहा है - 'प्रशासन रहित सरकार केवल बेकार की बकबक का संघ हो जाएगा।'

2. सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सेवारत है - 'सार्वजनिक प्रशासन' की व्यवस्था व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराता

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

है। शांति और सुव्यवस्था की रक्षा कर लोगों के जान-माल तथा जायदाद (संपत्ति) की रक्षा, न्याय दिलाने, शिक्षा दिलाने, उद्योग का अवसर प्रदान करने से संबंधित है। यह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, देश की रक्षा तथा आर्थिक समानता उपलब्ध कराने जैसी कई सेवाएँ प्रदान करता है ।

3. कानून तथा नीति का अनुष्ठान - 'सार्वजनिक प्रशासन' कानून तथा नीति को लागू कर समाज में लोगों के कार्य-कलापों को नियंत्रित करता है, कानून और सुव्यवस्था को बनाए रखता है । 'सार्वजनिक प्रशासन' के निष्ठापूर्वक तथा दक्षतापूर्ण कार्य निर्वाह न करने पर उत्तम नीति का लक्ष्य, केवल कागज पर घोषित रह जाएगा ।

4. सामाजिक सुरक्षा को दृढ बनाता है - समाज विविध सामाजिक तथा आर्थिक वर्गों में विभक्त है । समाज में गरीबी और दुर्बल वर्गों की 'कुशलता और अभिवृद्धि' भी राज्य और सरकार जैसे राज्य प्रशासनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। गरीब, महिलाएँ, बच्चे, आदिवासी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, अनाथ तथा वंचित लोग जैसे अनेक जनों के लिए सरकार की सामाजिक और आर्थिक सहायता अतिआवश्यक है। उनकी अभिवृद्धि के लिए सरकार द्वारा लागू नीतियाँ ही सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ हैं। उदाहरण के लिए - विधवाएँ, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों को दिया जाने वाला मासिक वेतन या सहायता, बेरोज़गारी की समस्या के निवारण हेतु लागू युवानिधि और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) आदि सामाजिक सुरक्षा नीति का अति उत्तम उदाहरण है। 'सार्वजनिक प्रशासन' ऐसी नीतियों को डंके की चोट पर लागू कर समाज के दु:खी बंधुओं को सामाजिक सुरक्षा देता है ।

5. शासकांग और कार्यांग की भी सहायता करता है - 'सार्वजनिक प्रशासन' शासकांग की रचना करने वाले शासन तथा कार्यांग की रचना करने वाले सार्वजनिक नीति योजना को बिना किसी रोक-टोक के कार्यगत करता है । उनके निरूपण के लिए भी 'सार्वजनिक प्रशासन' आवश्यक दत्तांश और सूचनाएँ उपलब्ध कराता है ।

इस प्रकार प्रशासनिक अंग सार्वजनिक नीति को लागू करने के साथ-साथ सार्वजनिक नीति निरूपण के कार्य में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। नियोजित शासन की रचना में प्रशासनिक और शासन को आवश्यक विवरण प्रदान कर सहायक होता है ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सार्वजनिक प्रशासन का व्याप्ति क्षेत्र - 'सार्वजनिक प्रशासन' के क्षेत्र के बारे में दार्शनिकों में मतभेद है। वुड्रोविल्सन, एल.डी.वाइट, आदि ने 'सार्वजनिक प्रशासन' का समग्र दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है । इनके अनुसार सरकार के तीनों अंग- शासकांग, न्यायांग तथा कार्यांग के सभी कार्य-कलाप 'सार्वजनिक प्रशासन' के अंतर्गत आते हैं ।

लूथरगुलिक, हरबर्ट ए. साइमन आदि ने 'सार्वजनिक प्रशासन' के संकुचित दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार सार्वजनिक प्रशासन का क्षेत्र केवल सरकार के अंग-कार्यांग के कार्य-कलाप तक मात्र सीमित है ।

पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण : (POSD Co-RB) - लूथरगुलिक ने 'सार्वजनिक प्रशासन' के क्षेत्र को पोस्ट कार्ब (POSD Co-RB) नामक अंग्रेजी शब्दों से व्यक्त किया है। अंगरेजी शब्द का प्रत्येक वर्ण 'सार्वजनिक प्रशासन' के प्रत्येक कार्य को सूचित करता है -

1. P - योजना (Planning) -सरकारी यंत्र बनाने वाली कार्यसूची निर्वाह करने वाले कार्य तथा उनको लागू करने वाले विधि-विधान संबंधी योजना को तैयार करना ।

2. O - संघटित करना - (Organising) - उद्देशित लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्षेत्र, निगम, विभाग, उपविभाग आदि प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना और निर्वाह करने वाले कार्यों को संघटित कर विविध क्षेत्रों को विभाजति करना ।

3. S - कर्मचारी वर्ग की आपूर्ति (STAFFING) - प्रशासनिक कार्यों के निर्वाह के लिए आवश्यक कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण और सेवा नियमों का निर्धारण करना ।

4. D - निर्देशन (Directing) - सरकार के विविध क्षेत्रों को समय-समय पर आदेश तथा निर्देश देना तथा नतीजे निकालना ।

5. Co - समन्वित करना (Co-ordinating) - सरकार के विविध क्षेत्रों में संघर्ष, भिन्न मत और अभिप्राय आदि का निवारण कर उनके कार्यों को समन्वित करना ।

6. R - रपट तैयार करना (Reporting) - उन्नत अधिकारी को उनके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के कार्य-कलापों के बारे में रपट देना और उनका दाखलीकरण, संशोत्रन और जाँच-पड़ताल द्वारा शासकांग को रिपोर्ट देना ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7. B - आय-व्यय निर्वाह (Budgeting) - धन-संपत्ति योजना, आय-व्यय, हिसाब परिशोधन आदि का निर्वाह करना ।

ये सभी कार्य सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र की सीमा को समझाते हैं ।

नियुक्ति - (Recruitment) - सार्वजनिक प्रशासन की ख्याति/ प्रगति के लिए दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को क्रमबद्ध तरीके से चयन करना इसके अधीन है। इसलिए **उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति** का चयन करने की प्रक्रिया ही नियुक्ति कहलाती है ।

उत्तम तथा दक्ष (योग्य) सार्वजनिक प्रशासन नियुक्ति या नियुक्ति के प्रकार पर अवलंबित है। योग्य, दक्ष तथा ईमानदार व्यक्तियों को प्रशासन में नियुक्त करने पर वे क्रियाशीलता, बुद्धिमता तथा सही ढंग से सार्वजनिक प्रशासन को प्रबंधित तथा उसका विकास करने का प्रयास करते हैं। नियुक्त कर्मचारी प्रशासन में अत्यंत प्रधान स्थान रखते हैं। ओ.ग्लेन स्टाल के अनुसार - 'नियुक्ति प्रशासन की रचना के अधीन होती है।'

नियुक्ति के प्रकार - 1. प्रत्यक्ष नियुक्ति 2. परोक्ष नियुक्ति

प्रत्यक्ष नियुक्ति - प्रत्यक्ष नियुक्ति को सीधा नियुक्ति भी कहा जाता है । **प्रत्यक्ष नियुक्ति जनप्रिय तथा** वैज्ञानिक तरीके से होती है। योग्य अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को स्पर्धात्मक परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा निश्चित प्रकार से चयन किया जाता है । यही सीधा नियुक्ति है। सीधे नियुक्ति द्वारा सेवा हेतु दाखिल होने वाले अभ्यर्थियों में कुछ सामान्य और कुछ विशेष योग्यताएँ होनी चाहिए । उदाहरण के लिए : नागिरक सेवाओं के लिए की जाने वाली नियुक्ति ।

परोक्ष नियुक्ति - परोक्ष नियुक्ति को अंतरिक नियुक्ति भी कहते हैं। सरकारी सेवारत लोगों को उनकी शिक्षा और सेवा में वरिष्ठता के आधार पर उन्नत स्तर के पद पर नियुक्त करना ही परोक्ष नियुक्ति है। यही पदोन्नति और बढ़ोत्तरी का तरीका है। ऐसी पद्धति को सामान्यतः सभी राष्ट्रों में लागू किया गया है। यह पद्धति भारत में भी लागू है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

केंद्र लोक सेवा आयोग (UPSC - Union Public Service Commission**) - केंद्र लोक सेवा आयोग संविधान के 315 वें अधिनियम के तहत स्थापित संविधानात्मक संस्था है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं।** इन्हें राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त करता है। सदस्यों की अधिकार अवधि नियुक्ति के दिन से छः वर्ष की अवधि तक अथवा उनके 65 की आयु सीमा तक, इनमें से जो पहले पूर्ण हो उसके अनुसार मान्यता देकर, राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष और सदस्यों को उनके दुराचरण या असमर्थता के आधार पर नौकरी से निकालने का अधिकार रखते हैं। यह आयोग शासकांग तथा कार्यांग के हस्तक्षेपरहित स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आयोग में सचिव होते हैं। केंद्र लोकसेवा आयोग का केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है ।

कार्य - संविधान के 320 वें अधिनियम के अनुसार आयोग के कार्य इस प्रकार हैं -

1. केंद्र सरकार के 'ए' तथा 'बी' समूह के पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा चलाना ।

2. प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार चलाना ।

3. विविध पदों के लिए बढ़ोत्तरी और तबादले के लिए पालन की जानेवाली क्रमों के बारे में सरकार को सलाह-मशवरा देना ।

4. केंद्र तथा राज्य सरकार के विविध पदों में कार्यरत अधिकारियों के अत्याचार आदि के लिए अनुशासन हेतु कठोर कदम उठाने से संबंधित सलाह सरकार को देना ।

5. राष्ट्राध्यक्ष की सूचना पर किसी भी विषय पर सरकार को सलाह देना ।

आयोग, राष्ट्र स्तर पर नागरिक सेवा, तकनीकी सेवा, चिकित्सा संबंधी सेवा और रक्षा सेवा से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाएँ तथा व्यक्तित्व परीक्षा/ साक्षात्कार चलाता है। इनमें नागरिक सेवा हेतु चलायी जानेवाली परीक्षा (सिविल सर्विसेस) महत्वपूर्ण है। आइ.ए.एस. (IAS) - भारतीय प्रशासन सेवा ।

(Indian Administrative Service) आइ.पी.एस.- (Indian Police Service)- भारतीय पुलिस सेवा । आइ.एफ.ओ.एस.- IFOS भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) आइ.एफ.एस.- IFS भारतीय विदेशांग सेवा- (Indian Foreign Service) आइ.आर.एस. - IRS भारतीय राजस्व सेवा, (Indian Revenue Service) आइ.ए.ए.एस

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

- (IAAS) भारतीय अभिलेखा (हिसाब-किताब) जाँच तथा लेखांकन सेवा (Indian Audit & Account Service) आदि नागरिक सेवाएँ प्रमुख हैं ।

इन उपरोक्त सेवाओं की नियुक्ति के लिए चलायी जाने वाली परीक्षाओं के तीन स्तर हैं -

1. प्रारंभिक परीक्षा 2. प्रमुख परीक्षा 3. संदर्शन (साक्षात्कार) या व्यक्तित्व परीक्षा।

राज्य लोक सेवा आयोग - (SPSC) - (State Public Service Commission)- - **संविधान के 315 वें अधिनियम के तहत केंद्र में केंद्र लोकसेवा आयोग के समान ही** राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग अस्तित्व में है। ये संविधानात्मक संस्थाएँ हैं । इसी प्रकार दो या दो से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग की रचना (JSPSC - Joint State Public Service Commission) का प्रावधान भी है। किंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग संविधानात्मक संस्थाएँ नहीं हैं। ये शासनबद्ध संस्थाएँ हैं ।

कर्नाटक लोक सेवा आयोग - KPSC (Karnataka Public Service Commission) **संविधान के 315 वें अधिनियम के तहत** कर्नाटक लोक सेवा आयोग दिनांक 18-5-1951 को स्थापित हुआ । इस आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं। इन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है। इनकी अधिकार अवधि नियुक्ति के दिन से छः वर्ष की अवधि तक अथवा उनके 62 की आयु सीमा तक, इनमें से जो पहले पूर्ण हो उसे मान्य कर सदस्यता की अवधि को समाप्त किया जाता है। इस आयोग का केंद्रीय कार्यालय बेंगलूरू में हैं। तथा मैसूर, बेलगावी, कलबुर्गी, शिवमोग्गा में इसके प्रादेशिक कार्यालय हैं ।

इस आयोग में प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों का निर्वाह, देख-रेख हेतु सचिव होते हैं । और परीक्षा कार्य के निर्वाह हेतु परीक्षा नियंत्रक होते हैं ।

कार्य : 1. यह राज्य सरकारी सेवा के लिए पत्राचाराधिकारियों की प्रतियोगी परीक्षा तथा व्यक्तित्व (साक्षात्कार) परीक्षा द्वारा एवं अपत्राचार कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियमानुसार नियुक्त करता है। उदाहरण के लिए उप विभागाधिकारी, आरक्षक उपाधीक्षक, तहसीलदार, प्रथम श्रेणी सहायक, वाणिज्य कर उपनिरीक्षक आदि पद ।

2. कुछ पदों पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व (साक्षात्कार) परीक्षा लेना।

3. सरकारी सेवकों के लिए वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षा का आयोजन करना।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. अनुशासन तथा स्वचालित बढ़ोत्तरी प्रकरणों में सरकार को सलाह-मशवरा देना।

5. केंद्र लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के विविध परीक्षा केंद्रों में चलाए जाने वाले विविध प्रतियोगी परीक्षाओं का समन्वय कार्य निर्वाह करना ।

कानून तथा सुव्यवस्था - राज्य की सुख शांति, एकता और अभिवृद्धि हेतु कानून सुव्यवस्था अति आवश्यक है। तेजी से विकसित हो रहे समाज के वर्तमान में कानून सुव्यवस्था का अत्यंत प्रमुख स्थान है। कानून और सुव्यवस्था ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सभी की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रशासन अनिवार्य है। संविधान के 7 वीं अनुसूचि के अनुसार - कानून और सुव्यवस्था को राज्य सूची में उल्लिखित किया गया है। इसलिए कानून सुव्यवस्था की रक्षा राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। केंद्र सरकार राज्यों को कानून सुव्यवस्था की रक्षा में निर्देशन देने का संविधानात्मक अधिकार रखती हैं।

केंद्र सरकार की भूमिका - कानून और सुव्यवस्था की रक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से संबंधित संविधान के कुछ नियमों में बताया जा चुका है। उदाहरण के लिए - संविधान के 355 वें अधिनियम के अनुसार बाह्य आक्रमण द्वारा राज्य की रक्षा करना, संविधान के 356 वें अधिनियम के अनुसार राज्य में संविधानात्मक प्रशासन के असफल होने पर राज्य-अनिवार्य परिस्थिति या राष्ट्राध्यक्ष के नेतृत्व को लागू करना ।

सार्वजनिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र, गृह मंत्रालय, सशस्त्र सैनिक दल रखता है। उनके द्वारा कानून और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी निभाता है। वे जिम्मेदारियाँ हैं -

1. केंद्रीय आरक्षित पुलिस दल - यह दल कानून सुव्यवस्था की रक्षा हेतु, दंगों को नियंत्रित करने हेतु, राज्य के पुलिस दल की सहायता करता है। और देश के किसी भी भाग के प्राकृतिक प्रकोप के समय सहायता (समाधान) कार्य करता है ।

2. सीमा सुरक्षा दल - (BSF) - यह भारत बांग्लादेश तथा पाकिस्तान देश के साथ जुडी सीमा की सुरक्षा करता है। साथ ही इस सीमा भाग में होनेवाले अपराधों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा दल की रचना की गई है ।

3. रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) - यह रेलवे अपराधों को रोकना, उनकी जाँच-पड़ताल करना, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे पटरी आदि से संबंधित संपत्ति की रक्षा करता है।

4. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) - यह भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बृहत् औद्योगिक उद्योगों के लिए विमान पतन, बंदरगाह, नोट मुद्रणालय तथा

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सिक्कों के मुद्रणालय जैसी संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करती है ।

केंद्र सरकार राष्ट्र में कानून तथा सुव्यवस्था के निर्वाह में, संयोजन कार्य तथा विशेष जिम्मेदारी निभाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार को प्राप्त अधिकार, जिम्मेदारी तज्ञ सेवा आदि कानून तथा सुव्यवस्था की रक्षा करने में राज्य सरकारों को सूचना और मार्गदर्शन संबंधी विभाग द्वारा निरंतर सेवा प्रदान करता है ।

राज्य की भूमिका - शांति और सुव्यवस्था की रक्षा राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए राज्य में कार्य निर्वाह वर्ग तथा सुझाव/सलाह वर्ग युक्त पुलिस प्रशासन होता है ।

राज्यों में पुलिस खाता - राज्य गृहमंत्री के अधीन होता है। राज्य गृहमंत्री पुलिस प्रशासन हेतु संबंधित जिम्मेदारी रखते हैं। गृह विभाग के कार्यदर्शी (सचिव) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), होते हैं, वे गृह विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ये गृह मंत्री को अपने कर्तव्य निर्वाह में सलाह और मदद प्रदान करते हैं। गृह विभाग पुलिस प्रशासन की पूछताछ और संयोजन का कार्य निभाता है ।

राज्य पुलिस प्रशासन व्यवस्था की रचना इस प्रकार है -

गृह सचिव

↓

गृह विभाग के प्रधान कार्यदर्शी

↓

पुलिस महानिर्देशक (DG & IGP)
(राज्य पुलिस विभाग के प्रमुख)

↓

डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (DGP)

↓

अडिशनल डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (ADGP)

↓

इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (IGP)

↓

डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (DIG)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(उपवलय कार्यालय के प्रमुख)
↓
सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस (SP) (जिला पुलिस वरिष्ठाधिकारी)
↓
अडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस (ASP)
(अपर जिला पुलिस वरिष्ठाधिकारी)
↓
डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस (Dy. SP)
(उपविभाग कार्यालय प्रमुख)
↓
इंस्पेक्टर आफ पुलिस (CPI)
(वृत्त कार्यालय प्रमुख)
↓
सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस (PSI)
(पुलिस थाना प्रमुख)
↓
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस (ASI)
↓
हेड कांस्टेबल (HC)
↓
पुलिस कांस्टेबल (PC)

पुलिस व्यवस्था कानून तथा सुव्यवस्था का निर्वहण और रक्षा के प्रमुख भूमिका निभाती है।

आपको ज्ञात रहे :

कोई भी अहितकारी घटना घटने पर समीप के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रथम सूचना रपट (FIR - First Information Report) दर्ज किया जाता है ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास

I. रिक्त वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. सार्वजनिक प्रशासन के पितामह __________ थे।
2. सार्वजनिक प्रशासन को सर्वप्रथम बार लागू करने वाले __________ थे।
3. केंद्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति _______ द्वारा की जाती है ।
4. संविधान का __________ अधिनियम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा द्वारा लिखिये :

5. सार्वजनिक प्रशासन वर्तमान में अनिवार्य है । चर्चा कीजिए ।
6. सार्वजनिक प्रशासन व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु तक आवश्यक सेवाओं को प्रदान करता है। इस कथन का समर्थन कीजिए ।
7. नियुक्ति के प्रकारों का विवरण दीजिए ।
8. कानून सुव्यवस्था के निर्वहण में राज्य की भूमिका क्या है ?

III. परियोजना :

1. केंद्र लोक सेवा आयोग किन-किन सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ चलाता है? उन सेवाओं की सूची बनाइए ।
2. राज्य पुलिस प्रशासन व्यवस्था में स्तर-श्रेणी को सही-सही लिखिए ।

IV. कार्यकलाप :

1. कानून और सुव्यवस्था में पुलिस विभाग की भूमिका के बारे में अपने निकट के पुलिस थाने में जाकर पुलिस अधिकारी से बात-चीत कर जानकारी हासिल कीजिए और एक रपट तैयार कीजिए ।
2. संचारी पुलिस द्वारा संचार नियम संबंधी जानकारी प्राप्त कर एक रपट तैयार कीजिए ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 7

भारत की चुनौतियाँ और उनका समाधान

B8N6Q6

इस अध्याय में हम निम्नलिखित सीखेंगे :

- सांप्रदायिकता
- क्षेत्रवाद
- निरक्षरता
- भ्रष्टाचार
- महिलाओं की स्थिति
- आर्थिक असमानता
- जनसंख्या वृद्धि
- गरीबी
- लाभप्रदता
- अवैध व्यापार
- लिंगत्व अल्पसंख्यक

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

हम सन् 1947 से विविध प्रकार की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से जूझते रहे हैं। उनका हल उचित योजनाएँ तथा उपर्युक्त प्रशासन द्वारा निकालना है। हमारी गणतंत्र व्यवस्था में केंद्र, राज्य तथा प्रादेशिक सरकारें हैं। इन समस्याओं के हल के लिए लोगों का सहयोग भी अनिवार्य है ।

हमारा देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनके बारे में समझकर उनका हल करने वाले उपायों को ढूँढना हमारा कर्तव्य है। इनमें से मानव निर्मित समस्याएँ अधिक है तथा राष्ट्रीय समस्याएँ हैं। इसलिए हमें उनका उचित मानवीय उपायों को पहचानना चाहिए। उत्तम प्रशासन, सामाजिक सुधार, दक्ष प्रशासन, शीघ्र पक्ष रहित न्याय की व्यवस्था तथा जनता के सहयोग से समस्याओं को रोकने का प्रयास आवश्यक है। ऐसी समस्याओं के बारे में समझेंगे ।

1. साम्प्रदायिकता (मतीयवाद) : साम्प्रदायिकता हमारे भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है। **धर्म के आधार पर समाज का विभाजन और उसमें ही पहचान कर आपसी विरोधी धारणओं को अपनाना ही मतीयवाद है।** यह सामाजिक विभजन, आपसी अविश्वास तथा भय का वातावरण निर्मित करता है। मतीयवाद समाज

में समूहवाद, आर्थिक असमानता तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में दिखाई देता है। भारत के लिए यह मतीयवाद राष्ट्रीय एकता तथा समग्रता के लिए बाधक खतरनाक शक्ति है। यह समाज की शांति को भंग करने के अलावा व्यक्ति की जान तथा संपत्ति नाश का भी कारण बनता है। यह भावना दो समूहों के बीच परस्पर दोषारोपण, शारीरिक हमला आदि अनावश्यक बाधाओं का कारण बनती है। यह धार्मिक समूहों के बीच द्वेष भावना को पैदा करती है, सामाजिक अशांति का कारण बनती हैं। यह धार्मिक समूहों के बीच द्वेष भावना को पैदा करती है, सामाजिक सशांति का कारण बनती है।

स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों के बँटवारे की नीति के शासन के कारण धार्मिक समूहों के हित को राष्ट्रीय हित से बढ़कर समझा । देश में सांप्रदायिकता के लिए उपयुक्त अपनी-अपनी भलाई की वृद्धि का प्रयत्न जाति-शक्तियाँ करती हैं। अपने-अपने धर्म का प्रचार-प्रसार, दूसरे धर्म को अन्य ढंग से देखने का संदर्भ भी आता है। अतः देश की एकता कुंठित हो जाती है। यह वैरत्व का कारण बनकर सामाजिक एकता को कलुषित करता हैं। देश की आंतरिक समस्या को दूर करने के लिए अधिक प्रयास करना है।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण के उपाय : सांप्रदायिकता नियंत्रण के उपाय:सभी क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष तत्व को दृढ बनानाहै । सर्वधर्म प्रेरक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयतावाद को विकसित करना है । सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखना है । एकरूप नागरिक संहिता लागू करना है । शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष तत्व लागू करना है । सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था लागू करना है । सदृढ राष्ट्रीय मनोभावना का विकास करना है । सार्वजनिकों में कौम सौहार्द्रता के प्रति जागृति पैदा करना है । राष्ट्रीयता के चिंतन पर अधिक बल देना है । इन उपरोक्त उपायों से समाज में कौमवाद पर नियंत्रण बनाकर सौहार्द्रता का वातावरण बनाया जा सकता है ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2.क्षेत्रवादः एक निर्दिष्ट जनसमुदाय अपने निवास स्थान के प्रति अपार प्रेम, और केवल उस भाग के प्रति गौरव की भावना का विकास करे तब वह क्षेत्रवाद कहलायेगा । भारत जैसे विशाल राष्ट्र में सहज ही कई प्रादेशिक विभिन्नताएँ हैं । एक निर्दिष्ट हद तक इस क्षेत्रवाद सहनीय हैं। अपने ही प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिए प्रयास के लिए यह भावना प्रेरक है । किंतु यह क्षेत्रवाद अधिक हो जाने पर वह राष्ट्र की एकता और समग्रतामें बाधकया हानिकारक हो सकता है । अंतरराज्य जल - विवाद तथा सीमा विवाद का कारण बन सकता है । इसलिए उन-उन प्रदेशों के जनसमुदाय को अपनी प्रादेशिक मनोभावना के साथ-साथ अन्य त्रदेशों को गौरव देने के साथ समग्र देश के विकास के लिए सोचना अनिवार्य है ।

क्षेत्रवाद को नियंत्रण के उपाय-अत्यंत क्षेत्रवादसे होनेवाली समस्याओं को समझकर भारत सरकार ने इसके नियंत्रण के कई उपाय किए हैं । वे हैं-संविधान के प्रस्ताव में दिए गए तत्व - 'हम भारत की प्रजा होने के नाते ....' जैसे स्पष्ट अंश भारत की राष्ट्रीयता को सीधे बिंबित करते हैं । एक प्रशासन वाला भारत हमारे संविधान राष्ट्र की एकता और समग्रता को प्रतिबिंबित करता है । संयुक्त राज्य पद्धति के अंश लागू करने से क्षेत्रीय विकास को काफी अवसर प्रदान करता है । हमारे संविधान के कर्ता अर्ध संयुक्त व्यवस्था को एकरूप देकर राज्य को स्वायत्तता देता है । केंद्र सरकार राज्यों की गतिविधियों को देश की समग्रता की दृष्टि से समन्वित करती है । भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास सचिवालय की स्थापना की गई है ।

उपक्षेत्रीयवाद - राज्य में विविध प्रदेशों के क्षेत्रवाद को उपक्षेत्रीयवाद कहा जा सकता है । इस उपक्षेत्रीयवाद के विकास के लिए प्रादेशिक असंतुलन ही प्रमुख कारण है । कर्नाटक में भी प्रादेशिक असंतुलन की समस्या देखी जा सकती है । हमारे राज्य में प्रादेशिक असंतुलन के निवारण हेतु विशेष महत्व दिया गया है । इसके लिए डा. डी.एम. नंजुंडप्पा समिति, मलेनाडु प्रदेश विकास समिति, कल्याण कर्नाटक विकास समिति, मैदानी प्रदेश की विकास समिति, और तटीय प्रदेश विकास, कर्नाटक सीमा प्रदेश अभिवृद्धि प्राधिकार की रचना की गई है । कल्याण कर्नाटक के सात जिलों में संविधान के 371 ग अधिनियम के अंतर्गत विशेष मान्यता देकर प्रदेशिक असंतुलन के निवारण का प्रयास किया जा रहा है ।

3. निरक्षरता : भारत में निरक्षरता एक प्रमुख समस्या है। देश में संपूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की जरूरत है। हमारी निरक्षरता का कारण है- गरीबी, प्रवसन, बाल श्रम, बाल विवाह, बड़े बच्चों का छोटे बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग और शिक्षा में रुचि की कमी । शिक्षा देश के विकास की कुंजी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी जिम्मेदारी और भूमिका का पता होना चाहिए। इसलिए निरक्षरता की समस्या को समाप्त करने की आवश्यकता है।

ज्ञात रहे :

प्रजातंत्र सभी व्यक्तियों में असमान कौशलों के समान विकास की अनुमति देता है 'डॉ. एस. राधाकृष्णन'

[विश्व संस्था की 2015 की सहस्राब्दी घोषणा- अभिवृद्धि के लक्ष्य में चौथे सुस्थिर अभिवृद्धि का लक्ष्य घनात्मक/ गुणात्मक शिक्षा के बारे में बताता है ।]

स्वतंत्रता के समय शिक्षितों का दर केवल 12 प्रतिशत था। यह एक 2001 में 66 प्रतिशत तक पहुंचा। 2011 में, साक्षरता प्रमाण 74.04% है। फिर भी, 25.96% लोग

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

निरक्षर हैं। यही कारण है कि सरकार ने निरक्षरता की समस्या को समाप्त करने के लिए कई सुनियोजित उपायों को अपनाया है।

गतिविधि :

स्वयं को ग्राम पंचायत अध्यक्ष मानकर, पंचायत की सीमा निरक्षरता के निर्मूलन के लिए योजना तैयार कर सहयोगियों के साथ चर्चा कीजिए।

निरक्षरता मिटाने के लिए उठाए गए कदम- भारत सरकार ने निरक्षरता मिटाने के लिए की योजनाएँ बनायी हैं । ये इस प्रकार हैं- 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM-National Literacy Mission) की स्थापना हुई । 2001में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम (SarvaShiksha-bhiyan)लागू किया गया । इसमें दिव्याँग बच्चों की शिक्षा, महिला शिक्षा तथा महिला जागृति को प्रमुखता दी गयी । संविधान के 21 - अधिनियम के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु सीमा वाले बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को उनका मूलभूत अधिकार कहा गया । 2009 में पूरे देश में शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE-The Right of Children to free and Compulsory Education -ct-2009) लागू किया गया । 2018 में समग्र शिक्षा कार्यक्रम लागू हुआ । नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (2022-2023 से 2026-2027) लागू हुआ । ये सभी कार्यक्रम साक्षरता के विकास में पूरक हैं ।

4. भ्रष्टाचार : भारत में सार्वजनिक जीवन पर भ्रष्टाचार एक बड़ा कलंक बन गया है। वास्तव में, यह सार्वभौमिक है और समाज के सभी स्तरों पर व्यापक है। **भ्रष्टाचार का अर्थ है रिश्वतखोरी या अवैधता के लिए उकसाना ।** जो उचित और वैध संचालन से विचलन का संकेत देता है। इसे एक स्वार्थी और गलत तरीके से सार्वजनिक जीवन की शक्ति और अधिकार के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सभी नियमों-कानूनों को हटाकर, स्वार्थ के लिए सत्ता का दुरुपयोग को भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। यह सार्वजनिक जीवन में महामारी के रूप में फैल रही है।

ज्ञात रहे :

1986 में कर्नाटक में लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ। जिसके अनुसार लोकायुक्त और उपलोकायुक्त प्रमुख हैं। सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार, अनावश्यक देरी और जनता के उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जा सकता है। अब इसकी जगह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ले ली है। AD कोशल कर्नाटक लोकायुक्त संख्या के प्रथम लोकायुक्त प्रमुख न्यायमूर्ति थे ।

भ्रष्टाचार के कारण - सामाजिक जीवन में बाधक भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है - जातिवाद, स्वजन पक्षपात, उत्तरदायित्व की कमी, कठिन कानून की कमी, मानव सहज

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

स्वार्थ, विपत्ति निवारण संबंधी हिसाब-किताब, पक्की जाँच का न होना, भ्रष्टाचार रोकने संबंधी संस्था की दक्षहीनता, राजनैतिक हस्तक्षेप आदि

भ्रष्टाचार के जाल में जुड़े अंश - कर की चोरी, तस्करी, चीजों का कृत्रिम अभाव, अधिकार का दुरुपयोग, वित्तीय धोखाधड़ी, बेईमानी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, व्यावसायिक धोखाधड़ी सभी भ्रष्टाचार के जाल में जुडे हैं।

गतिविधि :

भारत के नागरिक के रूप में भ्रष्टाचार जैसे कलंक को मिटाने के लिए अपने सुझावों पर शिक्षकों के साथ चर्चा करें।

भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम - भ्रष्टाचार के कई नकारात्मक परिणाम हैं, वे हैं - सर्वप्रथम, भ्रष्टाचार कानून से बाहर है, समाज विरोधी तथा अनैतिक है। उत्तम प्रशासन का शत्रु है । प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को चोट पहुँचाता है। सार्वजनिक सेवाक्षेत्रों, अधिकारशाही में होने वाले दोषों,धोखे को अवसर देता है । राजनैतिक भ्रष्टाचार व्यवस्थित अपराधों को बढ़ावा देता है । यह देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था को कम जोर बनाता है ।

चर्चा कीजिए :

'महिला के स्थान के आधार पर उस देश प्रणाली की जाँच सकते हैं।' -पंडित जवाहर लाल नेहरू।

भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम : मात्र आलोचना कर उसके साथ समझौता करने से भ्रष्टाचार का निर्मूलन संभव नहीं है। अतः व्यापक रूप से जड़े जमाए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गये कदम ये हैं - राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था की स्थापना की गयी है। राज्यों में लोकायुक्त संस्था अस्तित्व में आयी है। केंद्रीय जागृत आयोग (CVC - Central Vigilance Commmission) की स्थापना की गयी है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिनियम - 1988 लागू किया गया है। सरकारी कार्यालयों में सी.सी. केमरा लगाया गया है। फाइलों को शीघ्र निपटा ने के लिए आफिस व्यवस्था लागू है । सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act - Right To Information Act) लागू है । सकाल, जनस्पंदना, जनसेवक आदि योजनाएँ लागू की गयी है। सरकारी कार्यालयों में शिकायत पेटी रखी गई है।

भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए और क्या किया जा सकता है ? वैयक्तिक तथा सामाजिक रूप से मज़बूत नींव द्वारा मात्र व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार निर्मलन के लिए प्रबल राजनैतिक प्रशासनिक अभिरुचि और सार्वजनिक सहयोग आवश्यक है। दूसरे ढंग से कहा जाए तो योग्य राजनैतिक

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

नेतृत्व/नेता, उत्तरदायित्वयुक्त अधिकारी वर्ग, कानून और नागारिक प्रज्ञावन जनता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम परिणामकारी रूप से लगा हों। लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएँ मज़बूत होनी चाहिए। अत्यंत कठिन दंड विधान भ्रष्टाचार के निर्मूलन में सभी स्तरों पर आवश्यक प्रतीत होता है।

> **गतिविधि :**
>
> अपने स्थानीय संस्थाओं के महिला सदस्यों से महिलाओं के स्थान के बारे में चर्चा कीजिए ।

5. लिंग असमानता : ''पालना झुलाने वाले हाथ दुनिया पर शासन कर सकते हैं।'' इस उक्ति के अनुरूप सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि सराहनीय है। स्वतंत्रता के पूर्व में महिलाओं की उपलब्धियों को पहचान सकते हैं। कित्तूरुरानी चेन्नम्मा, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, अनिबेसेंट, कस्तूरबा गांधी आदि को इस श्रेणी में याद कर सकते हैं। आजकल महिलाएँ सामाजिक शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रवास उद्यम, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अन्वेषण, गगनयात्री, अंतरिक्ष, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, विदेशांग व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों में तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में अप्रतिम उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। फिर भी उनकी में स्थिति में और सुधार आवश्यक है तथा लिंग असमानता का निवारण होना है। सामाजिक पद्धतियाँ, गरीबी और अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति प्रगति पथ से पीछे है। यह पिछडापन देश के विकास में बाधक है।

भारत में लिंग असमानता मिटाने के लिए उठाए गये कदम : सरकार ने महिलाओं के स्थान में सुधार हेतु कई कार्यक्रम लागू किया हैं। महिलाओं की शिक्षा तथा अभिवृद्धि के लिए, महिला तथा बाल कल्याण हेतु सचिवालय केंद्र तथा राज्यों में विभाग आरंभ किया है। केंद्र तथा राज्य सरकारी उद्योगों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए आरक्षण दिए गए हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य महिला सखी वन स्टाप सेंटर भी आरंभ किए गये हैं । पारिवारिक हिंसा से महिलाओं की रक्षा का अधिनियम (2005) लागू किया गया। कार्य स्थल पर महिलाओं पर लैंगिक अत्याचार निषेध अधिनियम (2013) लागू हुआ। कर्नाटक की स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को पचास प्रतिशत स्थान का आरक्षण प्राप्त है। महिला सहायता वाणी 1091 की सुविधा प्रदान की गई है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम (संविधान के 106 वें परिष्कृत विवरण के अनुसार) को संसद में अंगीकृत किया गया है ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इंदिरा गांधी
प्रथम महिला प्रधानमंत्री

प्रतिभा सिंह पाटिल
प्रथम महिला राष्ट्रपति

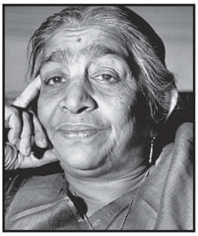

सरोजिनी नायडू,
प्रथम महिला राज्यपाल

सुचेता कृपलानी
प्रथम महिला मुख्यमंत्री

मीरा कुमार
लोकसभा की
प्रथम महिला सभाध्यक्षा

भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में और प्रतिभ सिंह पाटिल ने प्रथम महिला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्चन्यायालय की प्रथम महिला न्यायमूर्ति रही हैं । श्रीमती वी.एस. रमादेवी भारत के निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं । कई महिलाओं ने राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, विदेशी राजदूतों और अन्य शीर्ष पदों के रूप में अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाया है।

6. लिंग अल्पसंख्यक वर्ग : दैहिक, मानसिक, अपने जननांग के विरुद्ध भावना और व्यवहार रखने वाले समुदाय के लोग लिंग अल्पसंख्यक कहलाते हैं । लिंग संबंधी असमानता (तारतम्यता) में लैंगिक अल्पसंख्यकोंकी असमानता भी एक है । सामान्यतः जन्म के समय के लिंग से भिन्न शारीरिक और सामाजिक व्ययवहार करने वाले ही लैंगिक अल्पसंख्यक हैं। यह स्त्री और पुरुष दोनों के मानसिक-दैहिक लक्षण वाले लोगों का समुदाय है ।

वृत्ति प्रधान व्यवस्था में सामाजिक बंधनों से युक्त समाज में रहनेवाले ये लोग, सामान्य स्त्रियों की तरह अथवा पुरुषों की तरह निर्दिष्ट अनन्यता से जीना संभव नहीं हो पा रहा है। क्या ये स्त्रियों की तरह जिएँ ? या पुरुषों की तरह जिएँ? इस द्वंदता में रहते हैं । इन्हें अर्धनारीश्वर तथा तृतीय लिंगी नामक विविध विशेषणों से संबोधित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का वैयक्तिक और सामुदायिक गरिमा बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें लैंगिक अल्पसंख्यक कहकर संबोधित करना उचित है। यह मत - इस समुदाय के लिए आवाज़ उठाने वाली अक्कैपद्मशाली का है ।

लैंगिक अल्पसंख्यक विविध सामाजिक बहिष्कार, तारतम्यता, हीनता का सामना कर रहे हैं। यह तारतम्यता से कठोर है, भिन्न है, परिवार, शिक्षा, आस-पड़ोस, स्वास्थ्य, उद्योग आदि से लेकर सार्वजनिक लोगों तक, उन्हें भी मनुष्य रूप में स्वीकार करने की भावना का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

लैंगिक अल्पसंख्यकों के सबलीकरण हेतु उठाए गए कदम

लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति हो रही असमानता को मिटाने के लिए भारत में अनेकों कदम उठाए गए हैं। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय लैंगिक अल्पसंख्यकों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया । इस आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकारों ने कई उपक्रम अपनाए। ये इस प्रकार हैं -

भारत सरकार लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया। इसके अनुसार कोई भी लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपने परिवार से अलग नहीं कर सकता. साथ ही घर, समुदाय तथा गाँव से बाहर जाने के लिए दबाव डालना दंडनीय अपराध घोषित है। भारत सरकार सामाजिक न्याय तथा सबलीकरण सचिवालय ''स्मैल'' (SMILE - Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना के तहत ''लैंगिक अल्पसंख्यकों की कल्याण के लिए समग्र पुनर्वास' नामक उपयोजना को लागू किया गया। न्याषनल कौन्सिल फार ट्रॉसजंडर पर्सन्स (NCTP) की रचना की गई । नेशनल पोर्टल आफ ट्रॉसजेंडर पर्सन्स की रचना की गई है। 'गरिमागृह' नामक आश्रयगृह निर्मित किया जा रहा है ।

(2008) में तमिलनाडु सरकार ने लैंगिक अल्पसंख्यकों के कुशलक्षेम की अभिवृद्धि के लिए मंडली की स्थापना को यहाँ स्मरण किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक अल्पसंख्यकों की राज्यनीति 2017 को लागू किया है। इनके लिए शिक्षा प्राप्त करने, सरकारी सेवा पाने और चुनाव में स्पर्धा के लिए अवसर देने के साथ राज्य सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ।

- मंजम्मा जोगती - कर्नाटक जनपद अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत प्रथम लैंगिक अल्पसंख्यकों के समुदाय से हैं।
- शबनम मौसी - विधानसभा सदस्य के रूप में चयनित सर्वप्रथम लैंगिक अल्पसंख्यकों के समुदाय से हैं ।

7. आर्थिक असमानता: भारत में एक और महत्वपूर्ण समस्या 'तीव्र आर्थिक असमानता' है। इसे अमीर और गरीब के बीच की खाई में वृद्धि के रूप में पहचाना जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की कमियों को दूर करने की जरूरत है। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का उपयोग नगरवासी अमीर वर्ग का

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

कब्जा देख सकते हैं। गरीब जनता को ऐसी राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति फल पाना असाध्य लगता है । सबसे अधिक वेतन पाने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी, एकीकृत निगमों के संचालक, उच्च वर्ग की नौकरियाँ, लावाप्रदाता, भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है।

गरीबों और अमीरों के बीच आर्थिक अंतर को कम करना सरकार का कर्तव्य है। अभिवृद्धि योजनाएँ इस अंतर को कम करने और बहुमुखी विकास की ओर बढ़ने के लिए सहकारी होना चाहिए। गरीब और पिछड़े लोग विकास के हिस्सेदार होना चाहिए ना कि और कंगाल तथा बेघर हो । कई बार गरीब किसान, मजदूर बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, सिंचाई बाँध के कारण अपना घर खो देते हैं। ऐसे में उन्हे पर्याप्त पुनर्वास और आय के स्रोत प्रदान करने के उपचारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है।

आर्थिक समानता के लिए अच्छे आर्थिक सुधार, आयोजित वित्तीय प्रबंधन, अच्छी करविधान प्रणाली आवश्यक है। आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए लघु और ग्रामीण स्तर के कुटीर उद्योगों का विकास आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए पूरक लगता है। बड़े उद्यमों और एकाधिकार क्षेत्रों को उचित रूप से नियमित किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय आय के असमान वितरण को रोका जा सके और पूंजीवाद को मिटा सके। भूमि सुधार, श्रमिक वर्ग के प्रति धारणाएँ, सामाजिक सुरक्षा आदि क्रम द्वारा आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं ।

8. जनसंख्या विस्फोट : विश्व के अत्यधिक जनसंख्यावाले देशों में भारत एक है। विश्व का कुल 2.4 प्रतिशत भू-भाग और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.50% वाला देश है । 1991-2012 में हमारे देश की जनसंख्या 84 मिलियन करोड़ से 102.7 करोड़ तक पहुंच गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ तक पहुँची है। पिछले दशक में जनसंख्या विकास का दर लगभग 17.7 प्रतिशत है। जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं परिवार नियोजन और माँ और बच्चे की देखभाल, परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसे पूरे भारत में प्रभावी ढंग से लागू किये जा रहे है। हमारे देश में अधिकांश मध्यम और आर्थिक रूप से उच्च वर्ग के परिवार छोटे परिवार का सूत्र लागू है।

> **चर्चा करें :**
>
> देश के विकास के लिए जनसंख्या पूरक भी है और घातक भी ।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

जनसंख्या विस्फोट से होनेवाली समस्याएँ : जनसंख्या विस्फोट से बेरोजगारी, निरक्षरता, गरीबी, आवासीय सुविधा की कमी, स्वास्थ्य की समस्या, सुरक्षित पेय जल आपूर्ति आदि समस्याएँ सम्मुख हैं।

जनसंख्या विस्फोट की समस्याओं के समाधान के मार्ग : साक्षरता, तकनीकी शिक्षा, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, निर्यात में विकास, कुटीर उद्योगों की अभिवृद्धि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार के अवसर आदि जनसंख्या विस्फोट संबधी समस्याओं को हल करने के तरीके हैं।

जनसंख्या लाभांश : भारत वर्तमान में जनसंख्या लाभांश वाला देश है। जनसंख्या लाभांश का अर्थ है - देश की कुल जनसंख्या में मज़दूरी करने वाली की संख्या का अधिक होना है। भारत की कुल जनसंख्या में 62 प्रतिशत जनसंख्या मज़दूरी करने वाली है। यदि देश को जनसंख्या लाभांश का उपयोग करना है तो हमें अपने देश की जनसंख्या को भार न मानकर देश की जनता को उत्तम स्तर का स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और सामर्थ्य युक्त उत्तम मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करना होगा। इस प्रकार जनसंख्या को देश के विकास में सहायक संपत्ति मान सकते हैं ।

9. गरीबी : गरीबी या दरिद्रता भारत की एक और बड़ी समस्या है। यह भारत सरकार की सबसे व्यापक सामाजिक और आर्थिक समस्या बन गई है। लोग उचित भोजन,आवास जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित झेलने वाले मुसीबतों को गरीबी कहा जाता है। गरीबी को संपूर्ण या पारस्परिक तुलनात्मक गरीबी के रूप में पहचाना जा सकता है। भारत के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बस गई है।

गतिविधि :

गरीबी के निर्मूलन के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा रूपित योजनाओं की सूची बनाइए ।

गरीबी उन्मूलन के उपाय : स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी मिटाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने कई योजनाएँ लागू की हैं। पंचवर्षीय योजना, जवाहर रोज़गार योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग गारंटी अधिनियम (MNREGA - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान लागू हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY), (NRLM - National Rural Livelihood Mission), राष्ट्रीय नगर आजीविका अभियान लागू हुआ है । (NULM - National Urban Livelihood Mission) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA - National Food Security Act) लागू है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) लागू किया गया है ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

10. लाभप्रदता : जनता या उपयोगकर्ताओं से सबसे अधिक लाभ कमाने की मनोवृति ही लाभप्रद होता है। व्यापार में अनैतिक मार्ग से ज्यादा पैसा लूटना समाज केलिए हानिकारक है।

> **चर्चा कीजिए :**
>
> कभी-कभी प्याज की कीमत 80 रुपये होती है तो कभी 20 रुपए में उपलब्ध। क्यों ?

लाभप्रदता के कारण - एक स्वामित्व व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय निगमों का फैलाव, अस्वस्थ बाजार नियम, गैरकानूनी भंडारण,चोर-बाजारी, मूल्य पर नियंत्रणन होना आदि लाभप्रदता के प्रमुख कारण हैं ।

लाभप्रदता के दुष्परिणाम : लाभप्रदता से आर्थिक असमानता बढ़ती है । समाज में अपराध बढ़ते हैं । काले धन के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अनैतिक व्यापार व्यवहार बढ़ते हैं। दरों में वृद्धि का मार्ग खुलता है। इससे कीमतों में वृद्धि होती है। गरीबी और बढ़ती है। जनसमुदाय की आय अधिकतर सीमित धनिक वर्ग के व्यापारियों को मिलती है।

लाभप्रदता पर नियंत्रण के उपाय : समर्पक सरकारी नियम दरों पर नियंत्रण, दर सूची में समय समय पर परिशीलन, सहकारी बाज़ारों का विस्तरण, सही कर नीति, देशी बाज़ारों में सामग्रियों की कमी न होने पाये, इस दिशा में प्रयास आदि ।

11. अवैध व्यापार : 'सरकार को कोई आयात शुल्क दिए बिना विदेश से माल की आयात को तस्करी कहा जाता है'। तस्करी राष्ट्रीय हित के लिए एक गंभीर खतरा है और इससे अवांछनीय आर्थिक गतिविधि हो सकती है। तस्करी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। देश के उद्योग और बाजारों की तस्करी से बहुत नुकसान होता है। इस तस्करी को देश के भीतर वैकल्पिक सामग्री की आपूर्ति से रोका जा सकता है।

तस्करी को रोकने के क्रम : देश के आंतरिक बाजार में कीमतों पर नियंत्रण, देश में पर्याय वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति अच्छा आयात-निर्यात नीति, सख्त तटीय गश्ती अभियान, आर्थिक अपराध के लिए गंभीर दंड, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार समझौते, तस्करी को नियंत्रित करने के लिए अच्छे उपाय हैं। लोगों में यह मनोधारणा जगानी चाहिए कि तस्करी एक राष्ट्र-विरोधी और आर्थिक अपराध है, और तस्करी की वस्तुओं के सामाजिक बहिष्कार को नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत के नागरिक होने के नाते हमें देश द्वारा इन समस्याओं का सामना, केवल सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदार न मानकर इसे हमारी जिम्मेदारी भी समझना होगा। इन समस्याओं के समाधान का कार्य सरकार के साथ हमें भी जुड़कर करना होगा। इसी में सबका कल्याण है ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. राज्य के विविध प्रदेशों के प्रादेशिकवाद को __________ कहा जा सकता है ।
2. सूचना अधिकार अधिनियम __________ वर्ष में लागू हुआ ।
3. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता की मात्रा _______ थी।
4. भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला न्यायमूर्ति __________ थीं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूह में चर्चा करें और उत्तर लिखिए :

5. साम्प्रदायिकता के नियंत्रण हेतु क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं ?
6. निरक्षरता को मिटाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने चाहिए ?
7. लैंगिक असमानता दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन-कौन से हैं ?
8. जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है?
9. लैंगिक अल्पसंख्यक शब्द से क्या तात्पर्य है? इस असमानता को दूर करने के उपाय क्या हैं ?
10. गरीबी उन्मूलन के लिए लागू कार्यक्रम की सूची बनाइए ।
11. लाभप्रदता के अनेक दुष्परिणाम हैं । इस कथन का समर्थन कीजिए ।
12. तस्करी से क्या तात्पर्य है? इसे रोकने के लिए आपके सुझाव क्या हैं ?

III. गतिविधियां :

1. अपने समीप के व्यापारियों/उद्योगपतियों से मिलकर कुछ वस्तुओं के मूल्य में कभी-कभी कमी और कुछ में वृद्धि के आने के कारण को समझिए?
2. भारत के विकास में बाधक आंतरिक समस्याओं के संबंध में एक समूह चर्चा कीजिए ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 8

सामाजिक स्तरीकरण

N5A1FZ

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को समझते हैं।

- सामाजिक स्तरीकरण ।
- लोगों के बीच अंतर ।
- अस्पृश्यता एक सामाजिक समस्या है ।
- अस्पृश्यता से बचाव के उपाय ।

सामाजिक स्तरीकरण आय, शिक्षा, जाति, रंग, लिंग, व्यवसाय और बुद्धि आदि के आधार पर लोगों को ऊँच - नीच के रूप में विभाजित है। स्तरीकरण समाज द्वारा निर्मित है। उदाहरण के लिए, एक धनी परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को अच्छे पोषण, स्कूल, रोज़गार की संभावना अधिक होती है। लेकिन गरीब बच्चों को यह अवसर कम है । अमीर और गरीब के रूप में समाज के विभाजन के लिए बच्चा कारण नहीं है । लेकिन समाज के स्तरीकरण के दुष्परिणामों को शोषित वर्ग ही झेलते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण, समय-समय पर और एक देश से दूसरे देश में भिन्न- भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए - भारत में जाति व्यवस्था हजारों वर्षों से विद्यमान है। यह प्रणाली एक ऊँच-नीच की व्यवस्था है। इसलिए कुछ निचली जाति के लोगों को शूद्र, अस्पृश्य के रूप में पहचान कर, उनके भोजन, रोज़गार और आजीविका के अधिकार को चीन लिया है। सरकारों ने इस अन्याय को ठीक करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रयास किया है।

सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों में पाया जाता है । संयुक्त राज्य अमेरिका में गोरे लोग, काले चमडेवाले लोगों को गुलाम बनाकर बेच रहे थे । इसी तरह, हर जगह गरीब और अमीर जैसा भेदभाव है।

गतिविधि :

समाज के भेदभाव निर्मूलन के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी संग्रहीत कीजिए।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

सामाजिक असमानता :

सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली असमानता और भिन्नता का निर्माण करती है। उन लोगों का अपमान करती है, जिहे हीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण: काले लोग गोरे लोगों के स्कूल में नहीं जा सकते थे। भारत में अछूतों को सार्वजनिक कुँए और झील के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी ।

असमानता से निर्मित पूर्वाग्रह :

आदि कवि पंप ने बहुत पहले ही घोषित कर दिया था कि "मानव जाति केवल एक ही वलय है"। तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य एक समान है। फिर भी समाज में मनुष्यों द्वारा निर्मित जातिगत भेदभाव, लिंग भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव, अमीर और गरीब आदि भेदभाव पूर्वाग्रह के कारण हैं। पूर्वाग्रह एक पूर्व निर्धारित रवैया है जो किसी व्यक्ति या समूह के बारे में हो सकता है। यह पूर्वाग्रह, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। लेकिन भेदभाव अधीरता, अवमानना, अनादर और घृणा की भावनाएँ पैदा कर सकता है। इससे सामाजिक अंतर बढ़कर सामाजिक संघर्ष का कारण बनता है। सामाजिक असमानता मे लिंग असमानता और अस्पृश्यता प्रमुख है।

ज्ञात रहें :

धनात्मक पूर्वाग्रह : 'अपना' कहनेवाले सभी 'अच्छा' महसूस करने की प्रवृत्ति है। यह हम, हमारे, हमारी परस्पर एकता है। यह सामरस्य की स्वस्थ भावना भी पैदा करता है । अधिकता से इससे हानि भी हैं ।

अस्पृश्यता-सामाजिक कुरीति:

भारत में स्तरीकरण की व्यवस्था को जाति व्यवस्था में पहचाना जा सकता है। भारत में लोग हजारों जाति समूहों में बँटे हुए हैं। इनमें से कुछ प्रजातिकी उच्च जातियाँ हैं, जबकि अन्य निम्न हैं। जाति स्तरीकरण में अछूतों को समाज का अंतिम चरण माना जाता था।

अस्पृश्यता हमारे समाज की एक अमानुषिक प्रथा हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि "अस्पृश्यता हमारे समाज की एक शर्मनाक प्रथा है"। अस्पृश्यता की प्रथा के परिणामस्वरूप, निम्न जातियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक लाभों और अवसरों से वंचित हैं। यह स्थिति कुछ शताब्दियों तक बनी रही। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। सभी वर्गों के लिए अब संवैधानिक रूप से सभी प्रकार की

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पिछड़ी जातियों को विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। धीरे-धीरे साक्षरता बढ़ने से, सामाजिक जागरूकता बढ़ती है और अस्पृश्यता की प्रथा में कमी हो रही है। यह समाज का स्वागत योग्य विकास है। यह सामाजिक समरसता के विकास में सहायक हैं ।

आपको ज्ञात रहे :

- संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 38 और 46 में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 16(4), 320(4)में रोजगार क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की घोषणा की हैं ।
- अनुच्छेद, 330, 332, 334 के अनुसार देश के राजनीतिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है ।
- 30 वें अधिनियम के अनुसार धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यक अपनी ही शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने तथा निर्वाह करने का अधिकार रखते हैं ।
- अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी लोगों के लिए सार्वजनिक धार्मिक केन्द्र में प्रवेश के लिए मुक्त अवसर की घोषणा की हैं ।

अस्पृश्यता निर्मूलन के क्रम :

अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने के लिए ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और आदि ने बहुत प्रयास किया। हालांकि, इसे पूरी तरह से खत्म करना अभी भी संभव नहीं है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं।

संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित करता है। भारत सरकार ने 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' को 1955 में लागू किया है । उनकी कुछ त्रुटियों का सुधार कर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम' 1976 में बदलाव किया गया। इस अधिनियम के अनुसार अस्पृश्यता की प्रथा दंडनीय है। इसके अलावा सार्वत्रिक मतदान और समानता के अधिकार को देश के सभी नागरिकों को भी दिया गया है । विशेष रूप से अनुसूचित लोगों के साथ-साथ पिछड़ी जातियों के लिए शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक और रोजगार के अवसरों में आरक्षण दिया गया है । 1989 के अधिनियम अस्पृश्यता के उन्मूलन पर विशेष दायित्व राज्य सरकारों को दिया हैं । इस प्रकार, स्वतंत्र भारत अस्पृश्यता के निर्मूलन के लिए विशेष रूचि के साथ नागरिकों के लिए समान अवसर पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत की है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. 'मानव कुल एक ही वलम' इसे कहनेवाले ____________ थे।
2. अस्पृश्यता हिंदू समाज से जुड़ा एक कलंक है, इसे कहनेवाले __________ थे।
3. अस्पृश्यता की प्रथा एक दंडनीय अपराध है,इसे संविधान के ____________ अनुच्छेद द्वारा घोषणा की गयी है ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए समूहों में चर्चा करें और उत्तर दें :

4. सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या है?
5. सामाजिक स्तरीकरण कैसे होता है?
6. पूर्वाग्रह का मतलब क्या है?
7. अस्पृश्यता की रोकथाम के लिए संवैधानिक और शासनात्मक क्रम कौन-कौन से हैं?
8. अस्पृश्यता की प्रथा जैसे सामाजिक कुरीति का निर्मूलन करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?

III. गतिविधि:

1. अस्पृश्यता को खत्म करने की कोशिश करने वाले समाज सुधारकों की जीवनी पढिए।

IV. योजना:

1. अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए योजनाओं को लिखकर अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 9

परिश्रम और आर्थिक जीवन

R4F8L1

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को समझते हैं :

- श्रम विभाजन और श्रेणियों का विभाजन।
- श्रम में भेदभाव।
- बेरोज़गारी - प्रकार, कारण, प्रभाव और उपचार ।
- संघटित और असंघटित श्रमिक।

'श्रम' किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य है। कोई व्यक्ति शक्ति के व्यय से या परिश्रम से वित्तीय या भौतिक पुरस्कार प्राप्त करता है उसे 'श्रम' कहा जाता है।

श्रम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन निपटने के लिए काम जरूरी है। यह जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आर्थिक जीवन के संबंध परिश्रम का रूप और स्वरूप समाज-समाज से भिन्न होते हैं। ये समय-समय पर बदलते रहते हैं।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

श्रम विभाजन और श्रेणियाँ :

एक कार्य को लोगों की रुचियाँ, अभिरुचियाँ, योग्यताएँ, आयु, विशेषज्ञता, कौशल और लिंग भेद के आधार पर बँटकर करनेवाले श्रम को, श्रम विभाजन कहलाता है। उदाहरण के लिए - जो कपड़े हम पहनते हैं,उसे तैयार करने के लिए किसान, बुनकर, चित्रकार, व्यापारी और दर्जी सभी अलग-अलग ठिकानों पर काम करते हैं।

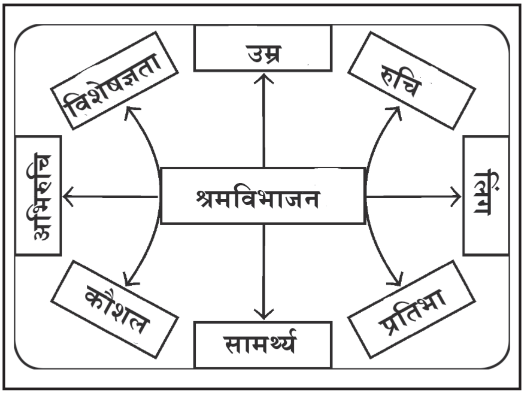

श्रम विभाजन 'विशेष विशेषज्ञता' के लिए कारण बनेगा । 'विशेष विशेषज्ञता', का अर्थ है किसी निश्चित क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता, प्रशिक्षण या कौशल पाना । श्रम विभाजन आज लोग विभिन्न क्षेत्र में परिश्रम करके आर्थिक लाभ पाने में सहायक है । आर्थिक हित और श्रम विभाजन से वर्ग व्यवस्था की सृष्टि हुई। आधुनिक समय में वर्ग व्यवस्था औद्योगीकरण के कारण होती है।

आज के औद्योगिक समाज में विशेषज्ञता अग्रणी है। यह व्यापक स्वरूप धारण कर लेने से औद्योगिक उद्योग अधिक से अधिक विकसित हो गए हैं। व्यापार वाणिज्योद्यम का विस्तार हुआ है।

मजदूरी सहित और मजदूरी रहित श्रम :

मजदूरी, वेतन, या किसी अन्य भौतिक रूप के प्रतिपल देने का शारीरिक गतिविधि, मजदूरी सहित श्रम कहलाता है । आर्थिक प्रतिफल के लिए खेत जोतना, कारखाने में काम करना, स्कूल में व्याख्यान देना, भवन बनाना, वाहनों की मरम्मत करना-आदि विभिन्न प्रकार के श्रम की गतिविधियों में लगना आजकल के संकीर्ण समाज में जीवन के लिए अनिवार्य है ।

मानव की सभी क्रियाएँ मजदूरी सहित श्रम नहीं कहलाती हैं। श्रम कभी-कभी बिना किसी आर्थिक या प्रतिफल रहित कार्य होता है। आत्म तृप्ति की दृष्टिकोण से मनुष्य द्वारा किए जानेवाले काम मजदूरी रहित श्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए - एक कलाकार आत्म-संतोष के लिए चित्र बनाने के लिए संलग्न रहना आदि । लेकिन जाति और वर्णभेद समाज में निम्न जाति और काले लोगों से जबरदस्ती मजदूरी रहित श्रम कराया जाता था।

श्रम में भेदभाव :

श्रम और श्रम के वितरण में रहे इस असमानता को श्रम भेदभाव या श्रम का भेदभाव कहा जाता है। पुरुष और महिला दोनों काम में लगे रास्ते हैं, लेकिन उनकी नौकरी एक जैसी नहीं है। भारत सहित दुनिया भर के देशों में पुरुषों को अच्छी नौकरी दी जा रही है। साथ ही अधिक जिम्मेदारी और वेतन भी दी जा रही है । लेकिन महिलाओं को निचले स्तर के रोज़गार, जिम्मेदारी, वेतन दिया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में भेदभाव बहुत दुर्लभ, असंघटित क्षेत्र में ये दिखते हैं।

स्त्री - पुरुषों के श्रम के संबंध में एक अन्य प्रकार का भेदभाव है। बढ़ते रोजगार के अवसर वर्तमान संदर्भ में बड़ी संख्या में महिलाएँ उद्योगों से जुड़ रही हैं। लेकिन केवल उनके वेतन के लिए भेदभाव किया जा रहा है । यह पुरुषों के समान काम करने के संदर्भ में भी कम वेतन देना एक तरह का शोषण ही है । इसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 'समान वेतन अधिनियम' (1976) बनाया है। इसलिए शहर के संघटित क्षेत्र में ऐसा वेतन भेदभाव न्यूनतम है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कृषिक समाज में भी लिंग, आयु और क्षमता के आधार पर काम काज को असमान रूप से बाँटता हैं और मजदूरी देने में भी भेदभाव है। जैसे-जैसे साक्षरता दर बढ़ती है, वैसे-वैसे भिन्नता घटती जाती है।

बेरोज़गारी :

भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की सबसे चिंताजनक समस्याओं में से बेरोजगारी भी एक है। अभिवृद्धिशील राष्ट्रों में से यह समस्या बहुत गंभीर बन गयी है । बेरोजगारी का अर्थ है - काम करने की आयु ,सामर्थ्य, रुचि, योग्य रहने पर भी रोज़गार न मिलने की स्थिति ।काम करने की इच्छा रहने पर भी, काम करने की आयु के पुरुष तथा स्त्री रोज़गार पाने में असफल हो तो उन्हें बेरोजगार कहते हैं।

बेरोज़गारी के कई कारण हैं, जिनमें अधिक जनसंख्या, यांत्रीकरण, सामाजिक असमानता, पूँजी की कमी, निरक्षरता -आदि को पहचाना जा सकता है।

बेरोजगारी समाज पर बुरा प्रभाव डालता है। बेरोजगारी की समस्या, गरीबी, बीमारी, भ्रष्टाचार, पारिवारिक विघटन, धोखेबाजी ,चोरी, व्यभिचार-आदि परिणाम के लिए कारण बनती है । यह एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या है।

चर्चा कीजिए:

बेरोजगारी समस्या नहीं है। हम रोजगार करने के अवसर मिलने पर भी रोजगार न करके बेरोजगार की सृष्टि कर रहे हैं।

बेरोज़गारी की समस्या का समाधान :

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। वे हैं- जनसंख्या रोकना, घरेलू उद्योग के लिए प्रोत्साहन, कृषि क्षेत्र में विकास, औद्योगिक क्षेत्र में विकास, शैक्षिक सुधार योजनाएँ, पंचवर्षीय योजनाएँ, व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास की योजनाएँ, रोजगार गारंटी योजनाएँ आदि। आजकल के वर्षों में, भारत की 'सूचना और प्रौद्योगिकी' क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई है। रोजगार देने में इस तरह की सेवा क्षेत्र का पात्र अत्यंत महत्व पूर्ण है ।

ध्यान दीजिए:

आज ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या की तुलना में उद्योगपतियों की कमी है। क्योंकि ग्रामीण युवा - युवा महिलाओं, नौकरियों की खोज में शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं । इससे ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में काम करने के लिए मजदूर लोगों के बिना कृषि गतिविधियों की कमी को देख सकते हैं । इसी तरह शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ श्रमिकों की कमी है ।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

संघटित और असंघटित श्रमिक :

संघटित श्रमिक : कानूनों और अधिनियमों का अनुपालन करनेवाले, एक निश्चित कार्यक्षेत्र में काम करनेवालों को संघटित श्रमिक कहते हैं । संघटित क्षेत्र में प्रत्येक कार्यकर्ता के काम के बारे में निश्चित नियम होते हैं ।

संघटित कार्यक्षेत्र में अधिकार का पदानुक्रम व्यवस्था रहती है। संघटित श्रमिकों को विशेष विशेषज्ञता, प्रशिक्षण, प्रतिभा, अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के अवसर होते हैं। उनका सारा काम लिखित होता हैं। उन्हें निश्चित वेतन, भत्ता, विराम वेतन, निवृत्त वेतन और निवृत्ति वेतन सुविधाएँ दिये जाते है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है। वे केवल दिन के एक निश्चित समय के लिए कार्य करते हैं ।

निजी कंपनियों, कारखानों, उद्योगों, सरकारी विभागों, स्कूल-कॉलेजों, वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों, सेना जैसे कुछ क्षेत्रों के श्रमिकों को संघटित श्रमिकों के रूप में पहचाना जा सकता है।

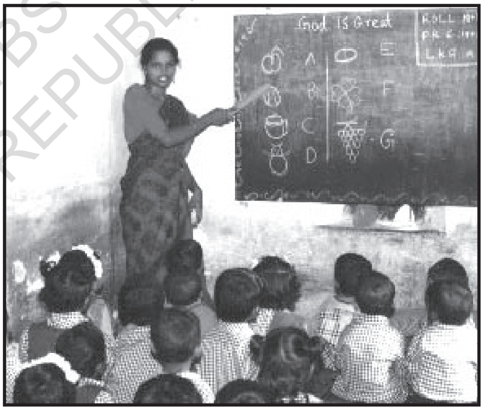

असंघटित श्रमिक : गैर-कार्यरत श्रमिक वे हैं जो किसी विशेष अधिनियम - कानून या संगठन के नियंत्रण के बिना अपने जीवन के रखरखाव के लिए दैनिक मजदूरी या किसी अन्य प्रकार के वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करनेवाले श्रमिकों को असंघटित श्रमिक कहते हैं । असंघटित श्रमिकों का कार्यक्षेत्र विशाल है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा विनियमित नहीं है।

घर के काम करनेवाले, घर बनाने वाले, खेत मजदूर, साथ ही सड़क पर सब्ज़ी बेचना, सामान बेचना, वाहनों की मरम्मत करने वाले, ठेला गाड़ियों पर, सिर पर सब्ज़ी रखकर और अन्य वस्तुओं को लेकर बेचनेवाले क्षेत्रों में असंघटित श्रमिकों को पहचाना जा सकता है ।

असंघटित श्रमिकों की समस्याएँ : असंघटित श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई निश्चित नियम, अधिनियम नहीं है । उनके काम के लिए कम मजदूरी दिया जाता है और कोई मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं है। उनके काम में सुरक्षा और निश्चित वेतन, विराम वेतन, निवृत्त वेतन और भत्ते शामिल नहीं हैं। इसी तरह, उद्योगदाताओं द्वारा विभिन्न तरीकों से उनका शोषण किए जाने की संभावना है।

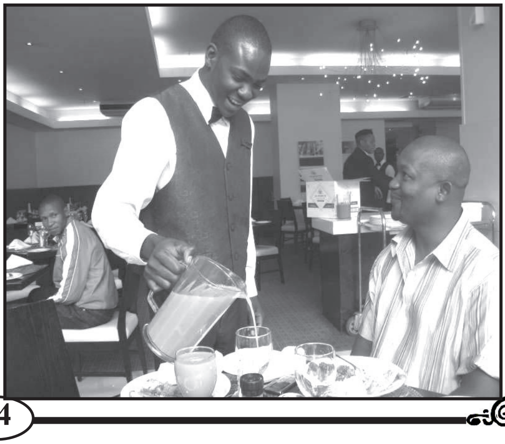

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. श्रम विभाजन ____________ का कारण बनता है।
2. विशेष प्रशिक्षण न पानेवाले श्रमिकों को _________ श्रमिक कहा जाता हैं ।
3. विशेष प्रशिक्षण, विशेषज्ञता पानेवाले श्रमिक को ____________ श्रमिक कहा जाता है ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए :

4. श्रम विभाजन का मतलब क्या है?
5. मजदूरी सहित श्रम का मतलब क्या है?
6. बेरोज़गारी का मतलब क्या है?
7. बेरोज़गारी के कारण क्या हैं?
8. बेरोज़गारी के परिणाम क्या हैं?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए समूहों में चर्चा करें और उत्तर दीजिए :

9. श्रम में भेदभाव की प्रकृति के स्वरूप का विवरण दीजिए।
10. बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के क्रम कौन-कौन से हैं? विवरण दीजिए।
11. संघटित और असंघटित श्रमिकों के बीच क्या अंतर हैं?

IV. गतिविधि:

1. जिस वातावरण में आप रहते हैं, उसमें संघटित और असंघटित श्रमिकों के नामों की सूची बनाइए।

V. परियोजना:

1. अपने क्षेत्र के असंघटित कारीगारों का साक्षात्कार कीजिए और उनकी समस्याओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय-10

भारत: भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक विशेषताएँ

D1W7G8

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को सीखेंगे।

- हमारे देश की महानता और विरासत।
- 'भारत' की पृष्ठभूमि और विविधता।
- भारत की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र, भूमि और जल सीमाएँ और पड़ोसी देश।
- भारत की प्राकृतिक विशेषताएँ।
- भारत के प्राकृतिक विभाजन।
- ऊँचे पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान, समुद्र तट।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

प्राचीन काल से ही हमारे देश में विविधता में एकता को देख सकते हैं। इस विविधता ने हमारे देश को किसी अन्य देश की तुलना में समृद्ध बनाया है। यहाँ के विभिन्न प्रकार के भू-सतह लक्षण, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और लोगों की विविधता से इसे एक 'उप महाद्वीप' कहा जा सकता है।

विश्व में भारत की स्थिति: भारत एशिय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक प्राय:द्वीप, है। इसे 'इडिया' और 'हिंदुस्तान' कहा जाता है। भारत नाम 'सिंधु' नदी से पड़ा है, 'भारत' नाम प्राचीन सम्राट भरत से आया है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। यह उत्तर में चौड़ा है और हिंद महासागर में एक संकीर्ण त्रिकोणाकृति के रुप में दक्षिण की ओर फैला हुआ है।

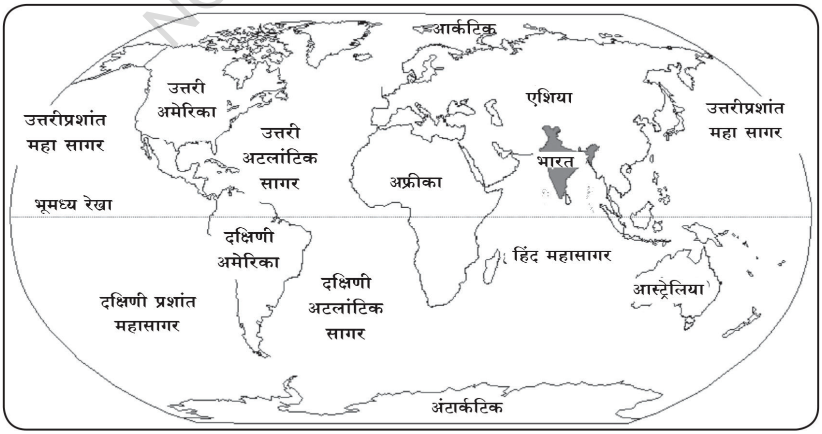

विश्व में भारत का स्थान

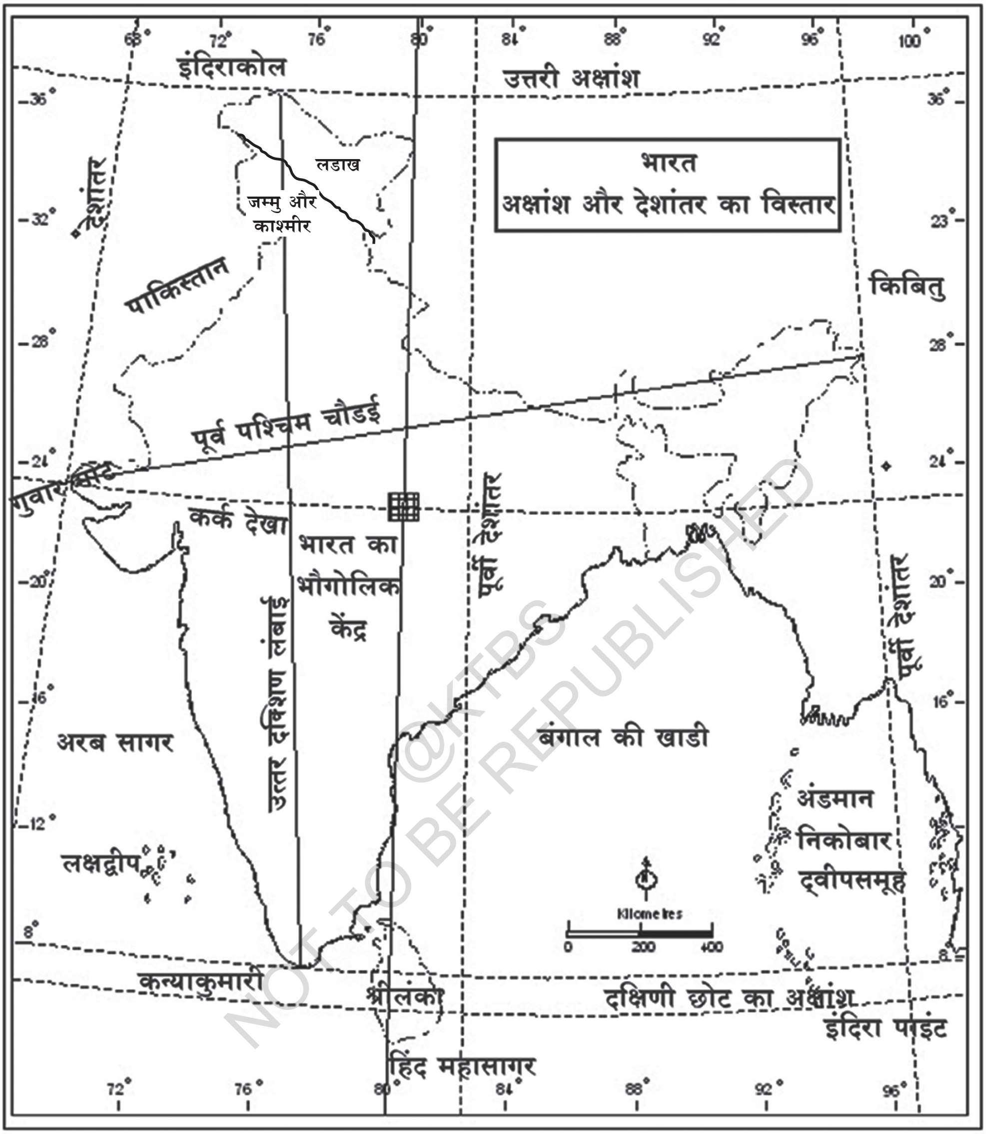

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

आकार: भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 (यानी 32.87 लाख) वर्ग किलोमीटर है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है। जिसमें विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% शामिल है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 'दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' के रूप में जाना जाता है'। (NCT - National Capital Territory) 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। यह दुनिया की आबादी का 17.50% है। प्रस्तुत भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादीवाला देश है।

आपको ज्ञात रहे -

भारत में दो राजधानियों वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश -

1. जम्मू और कश्मीर - ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर और अन्य समय जम्मू ।
2. उत्तराखंड - गीष्म ऋतु में गैरसैन, और अन्य समय देहरादून ।
3. हिमाचल प्रदेश - शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला ।

भारत की स्थिति

भारत भौगोलिक रूप से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच स्थित है। यह दक्षिणी-पूर्व एशिया को एक महत्वपूर्ण प्रायःद्वीप है। भारत की मुख्य भूमि 8^0 4′ से 37^0 6′ उत्तरी अक्षांश और 68^0 7′ से 97^0 25′ पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। उत्तरी लद्दाख में दक्षिण में कन्याकुमारी तक कुल 3214 कि.मी. लंबा भूभाग है । अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आगे भी दक्षिण में फैला हुआ है। 'इंदिरा पॉइंट' भारत का सबसे दक्षिणी छोर है । यह निकोबार द्वीप के 6^0.45′ दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इसके विपरीत लद्दाख का 'इंदिरा कोल' भारत का सबसे उत्तरी भाग है।

भारत के केंद्र भाग में कर्क संक्रांति रेखा (23^0.30′ उत्तरी अक्षांश) से होकर गुजरती है। $82\frac{1}{2}^0$ पूर्वी देशांतर (प्रयागराज/इलाहाबाद) रेखा देश के मध्य भाग (उत्तर-दक्षिण की ओर) होकर गुजरती है। यह भारत की मध्य देशांतर रेखा है, जो भारतीय मानक समय (IST- Indian Standard Time) इस देशांतर के आधार पर है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भू-सीमाएँ और पड़ोसी देश:

भारत एक प्रायःद्वीप है, जिसमें भारत 15,200 कि.मी. भू-सीमा तथा प्रमुख भू-भाग वाला लगभग 6,100 कि.मी. समुद्र तट तथा द्वीप सहित लगभग 7516.60 समुद्री तट वाला देश है ।

भारत सात देशों के साथ अपनी भौगोलिक सीमा बाँटाता है और दो राष्ट्रों के साथ जलसीमा बाँटता है । उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में मयनमार

आपको यह पता रहे
भारत के पड़ोसी देश

देश	**भारत के साथ सीमा लाइन की लंबाई**
पाकिस्तान	3310
अफ़ग़ानिस्तान	80
चीन	3917
नेपाल	1752
भूटान	587
मयनमार	1458
बांग्लादेश	4096
श्रीलंका	जलसीमा
मालदीव्स	जलसीमा
भारत	**15200** कि.मी.

(बर्मा) और बांग्लादेश हैं। इसके अलावा देश के दक्षिण में स्थित श्रीलंका और दक्षिण-पश्चिम में मालदीव्स द्वीप भी भारत के साथ जलसीमा साझा करने वाला पड़ोसी राष्ट्र हैं।

> **आपको यह ज्ञात रहे :**
> - भारत और पाकिस्तान के बीच ङ्गरैडक्लिफफ *(Radcliffe line)* रेखा है।
> - भारत और चीन के बीच ङ्गमैकमोहनफ *(McMohan line)* रेखा है।
> - भारत और अफगानिस्तान के बीच ङ्गडूरंडफ *(Durand line)* रेखा है।

प्राकृतिक विभाजन

भारत विविध प्रकार के भू-स्वरूपों से युक्त है। ये स्वरूप देश के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं। उनका भू-इतिहास विभिन्न अवधियों से बना हुआ, भू-संरचना और सतह विशेषताओं से भिन्न है। इनके आधार पर देश को चार प्रमुख भौगोलिक भागों में बाँटा जा सकता है-

1) उत्तरी पर्वत:

उत्तर में हिमालय श्रृंखला, दुनिया की सबसे ऊँची चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और हिमनदों से युक्त हैं। हिमालय पर्वत श्रृँखला पामीर पठार से प्रारंभ होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 कि.मी तक फैली हुई है। यह परतदार पर्वत श्रृंखला तीन प्रमुख श्रेणियों में बाँटा हुआ है। यह हैं- अ) शिवालिक श्रेणी (हिमालयी तलहटी), ब) हिमाचल (मध्य हिमालय), क) महामलय (हिमाद्री)

अ) शिवालिक श्रेणी : यह हाल ही में हिमालय श्रृंखला में बने हैं। यह अत्यंत दक्षिणी और सबसे कम ऊँचाई वाली श्रृंखला है। इसे हिमालय की **तलहटी** की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। यहाँ समतल छोटे मैदान हैं। इन मैदानों को 'दून्स' कहा जाता है। उदाहरण: देहरा दून, कोटा, पाटली चौकंबा, उधयपुर और कोटला। ये समुद्र से 600-1500 मीटर ऊपर हैं।

ब) हिमाचल (मध्य हिमालय) : यह महाहिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से 4500 मीटर है। ये 60 से 80 कि.मी चौड़े हैं। यहाँ कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। उदाहरण के लिए, पीरपंजाल, महाभारत श्रेणी, नागतिब्बा, मसूरी आदि। कांगड़ा और कुलू प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेट, चकरात और दार्जिलिंग आदि पहाड़ीस्थल हैं।

क) महाहिमालय (हिमाद्रि) : यह हिमालय श्रेणियों में अत्यधिक ऊँची और बहुत पुरानी श्रृंखला है। यह संपूर्ण **हिम से आच्छादित** है। इस कारण इन्हें 'हिमाद्रि' कहा

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

जाता है। यह श्रृंखलाएँ समुद्र स्तर से 6000 मी. से 8000 मी. से भी अधिक ऊँचा है। हिमालय में कुछ ऊँचे शिखर है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट(8848 मी.) जो नेपाल और तिब्बत के बीच में है। इस श्रृंखला में स्थित अन्य प्रमुख शिखर हैं- कंचन जंघा, धवलगिरि, नंदादेवी, गौरीशंकर है। यह अनेक हिमनदों से युक्त हैं। उनमें गंगोत्री प्रसिध्द है, जो गंगानदी का जन्मस्थान है। काश्मिर का बुर्जिल, जोजिला, हिमाचल प्रदेश का बारालाच ला आदि घाटी मार्ग उत्तम यातायात सेवा, पर्यटक स्थानों को प्रदान किया है।

महाहिमालय श्रृंखला के उत्तरी भाग के परत पर्वतों को बह्य हिमालय कहा जाता है। यह काराकोरम श्रेणियाँ और कैलास पर्वतों से युक्त हैं। गाड्विन आस्टिन अथवा K2 नामक भारत का ऊँचा शिखर (8611 मी) है। 'लद्दाख' पठार इसी प्रदेश में पड़ता है।

हिमालय की विशेषता: हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। यह भारत को बाह्य आक्रमणों से प्राकृतिक रक्षा तथा उत्तर एशिया की सर्द हवाओं को नियंत्रित करती हैं। कई नदियों का उद्गम स्थान है। जलऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। यह विशाल मैदानी प्रदेशों की निर्माता है। विविध वनास्पति और प्राणी वर्ग के लिए आश्रयदाता है। यह अपार खनिजों की खान युक्त है और पर्यटन तथा धार्मिक केंद्रों के लिए महत्व प्राप्त है।

2. उत्तरी महा-मैदान :

उत्तर भारत के महा मैदान को सतलज-गंगा मैदान नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत तथा प्रायःद्वीपीय पठार के बीच दिखाई देती है। यह मैदानी भाग पश्चिम में सिंधु नदी मैदान से पूर्व के ब्रह्मपुत्र घाटियों तक फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक करीबन 2400 कि.मी. लंबा यह मैदान 70 से 500 कि.मी. चौडा है। यह मैदान लगभग समतल भूमि है। उत्तर भारत का मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना एक **संचयन मैदान** है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

आपको ज्ञात रहे :

1. बबर : हिमालय की तलहटी में नदियों ने चट्टान के मोटे टुकड़े जमा कर जमीन पर ले आए हैं। इसे बबर कहते हैं ।

2. भंगर : प्राचीन काल में जमा की गई जलोढ़ मिट्टी को भंगर कहा जाता है।

3. खदर : जलोढ़ मिट्टी, जो हाल के दिनों में जमा हुई है और बनी है उसे खदर के रूप में जाना जाता है।

♦ माउंट एवरेस्ट की सही पहचान करने वाले पहले राधानाथ सिकदर हैं, जिन्हें भारत में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे द्वारा नियोजित किया गया था।

3) प्रायःद्वीपीय पठार :

प्रायःद्वीपीय पठार भारत के भू-वैज्ञानिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। साथ ही, भू-विज्ञान के अनुसार यह 'बहुत प्राचीन' है। भूवैज्ञानिकों का मत है कि यह आरंभ के भू-खंड का गोंडवाना भूराशि का एक हिस्सा है।

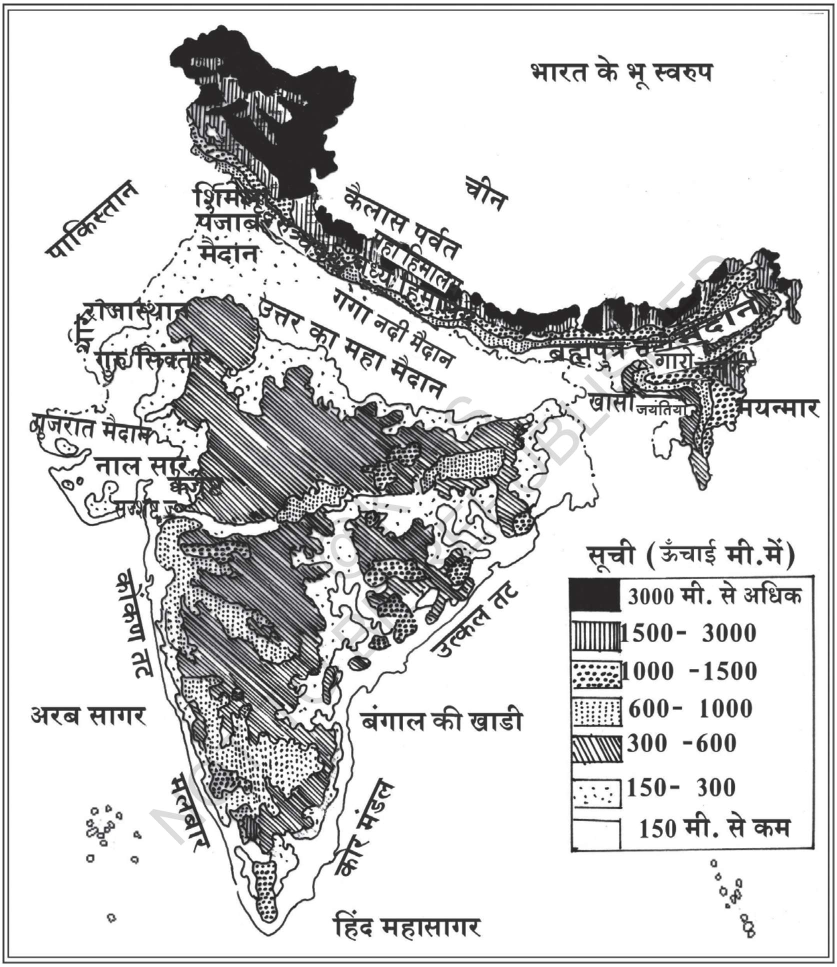

यह पठार सतलज गंगा मैदान के दक्षिण में हिंद महासागर तक में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट से पूर्व में झारखंड के राजमहल पहाड़ियों तक लगभग 1400 कि.मी चौड़ा है। यह प्रायःद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार, उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में संकरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर इसमें शामिल हैं।

इस पठार के उत्तर में मुख्य रूप से विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, मालवा पठार और छोटानागपुर पठार स्थित हैं। इनके बीच नर्मदा और तापती नदी और दामोदर नदी के अलावा कई छोटी नदियाँ हैं। इन्हें केंद्रीय पठार कहा जाता है। इसके दक्षिण में दखन पठार स्थित हैं। महादेव, मिकाल श्रेणी, अमरकंटक पहाड़ियाँ और राजमहल पहाड़ियाँ इनके उत्तर में हैं। दखन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट हैं। इन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहा जाता है। दक्षिण भारत में उच्चतम बिंदु अन्नामलाई श्रेणी की 'अनाईमुडी' (2695 मीटर) चोटी है। दखन पठार के पूर्व में पूर्वी घाट हैं। वे नीलगिरी में पश्चिमी घाट से मिलते हैं। पूर्वी घाट ऊँचे और निरंतर नहीं हैं। अरमाकोंडा और महेंद्रगिरि यहाँ की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। ये घाट नदी घाटियों से विच्छेदित हुए हैं।

यह प्रायःद्वीपीय पठार आर्थिक रूप से तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भारी खनिज संसाधन हैं। नदियों को झरनों की विशेषता है जो जलऊर्जा उत्पाद के लिए सुविधा प्रदान करते हैं।

4) तटीय मैदान :

द्वीपों को छोड़कर भारत की तटरेखा 6100 कि.मी है। यह पश्चिम में गुजरात के कच्छ क्षेत्र से पूर्व में गंगा नदी के मुहाने तक फैली हुई है। तट के किनारे पाये जाने वाले संकरे मैदान को तटीय मैदान कहा जाता है। भारत के तट को दो भागों में बाँटा गया है: 'पश्चिमी तट' और 'पूर्वी तट' ।

पश्चिमी तट अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच गुजरात के कच्छ से कन्याकुमारी भूशिखर तक लगभग 1500 कि.मी लंबा है। इसे केरल में मालाबार तट, कर्नाटक में कर्नाटक या केनारा, गोवा और महाराष्ट्र में कोंकण और गुजरात में गुजरात तट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुंबई, मरमगोवा, कोचीन, कांडला, कारवार और मैंगलोर प्रमुख बंदरगाह हैं। पूर्वी घाटियाँ कन्याकुमारी से उत्तर में गंगा नदी तक फैली हुई हैं। पूर्वी घाट और बंगाल खाडी के बीच पूर्व तट मैदान स्थित है। यह तटीय मैदान काफी चौड़ा और समतल है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का मुहाना शामिल हैं। पूर्वी तट पर समुद्री खारे पानी से बनी कुछ झीलें या लैगून हैं। इनमें उडीसा की 'चिल्का' और तमिलनाडु की 'पुलिकट' झीलें शामिल हैं। पूर्वी तट को उत्कल तट और कोरोमंडल तट के रूप में बाँटा गया है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

द्वीप समूह : भारत में 247 द्वीप हैं। इनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में हैं। मन्नार खाड़ी में कुछ मूंगे द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कठोर ज्वालामुखीय चट्टानों से बने है। लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रवाल द्वीप हैं। भारत का दक्षिणी छोर निकोबारा द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इसे 'इंदिरा पॉइंट' कहा जाता है।

अभ्यास :

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1) 'इंडिया' का नाम ______________ नदी से पड़ा है।

2) भारत कुल ______________ वर्ग की.मी तक फैला हुआ है।

3) भारत के मध्य भाग में ______________ उत्तरी अक्षांश गुजरता है।

4) भारत के प्रमुख भू-भाग युक्त तटीय प्रदेश ______________ कि.मी. हैं।

5) भारत का भू-स्वरूप ______________ प्रधान विभाग में बाँटा गया है।

6) महा-हिमालय ______________ नाम से जाना जाता है।

7) विश्व में ______________ सर्वोच्च शिखर है।

8) उत्तरी भारत का मैदान ______________ मिट्टी से बना हुआ है।

9) कर्नाटक में पश्चिमी घाट को ______________ नाम से जाना जाता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में लिखिए :

10) भारत एशियाई महाद्वीप के किस भाग में स्थित है?

11) भारत किस गोलार्ध में है?

12) भारत के भू-भाग का दक्षिणी सिरा कौन-सा है?

13) भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है?

14) हिमालय की तलहटी का दूसरा नाम क्या है?

15) हाल के दिनों में भारत के किस भू-स्वरूप विभाग का निर्माण हुआ है?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

16) हिमालय पर्वतश्रेणी से होने वाले लाभ के बारे में लिखिए।

17) प्रायःद्वीपीय पठार की सीमा का विवरण दीजिए।

18) शिवालिक श्रेणी के बारे में लिखिए।

19) उत्तरी मैदान को संचयन मैदान कहा जाता है। क्यों?

20) पश्चिमी घाट - पूर्वी घाट के बीच अंतर बताइए।

III. गतिविधियाँ:

1) भारत का एक मानचित्र बनाकर अक्षांश और देशांतर तथा केंद्र भाग में $23^0 30'$ अक्षांश रेखाओं को अंकित कीजिए।

2) भारत का मानचित्र बनाकर प्रमुख चोटियों के साथ-साथ पश्चिमी और पूर्वी घाटों को अंकित करें।

3) मंगलूरु, धर्मस्थल की सड़क यात्राओं के दौरान घाटी क्षेत्रों में देखे जानेवाले प्राकृतिक रमणीयता और अपने अनुभवों को शिक्षकों के साथ साझा करें।

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

IV. परियोजनाएँ:

1) भारत का मानचित्र बनाइए और अपने शिक्षकों की मदद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहचान कीजिए।

2) भारत का मानचित्र बनाकर और पड़ोसी देशों की पहचान कीजिए।

3) कर्नाटक के पश्चिमी घाट और मध्य कर्नाटक के मैदानी इलाकों की प्राकृतिक विविधता का संग्रह और विश्लेषण करें।

अध्याय - 11

भारत की ऋतुएँ

K9S6X5

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगे :

- भारत की ऋतुएँ के प्रमुख लक्षण।
- भारत की ऋतुओं और जलवायु की दशा।
- भारत की मौसमी वर्षा का वितरण और प्रभाव।

आपको यह पता रहे:

मानसून शब्द अरबी भाषा के 'मौसम' के प्रयोग से आया है। यह आवधिक अथवा मौसमी के अर्थ में प्रयोग होता है।

भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जैसी जलवायु हैं। इस प्रकार के ऋतुएँ में वर्षा के विभिन्न मौसमों में हवाएँ विपरीत दिशाओं में चलती है।

साल के आधे भाग में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर मानसूनी हवाएँ, शेष अवधि में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलती हैं। इसके साथ भारत की जलवायु भौगोलिक रूप से उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में बँटा हुआ है। अक्षांश, समुद्र की ऊँचाई, महासागरों से दूरी, हवाओं की दिशा, पर्वत श्रृंखलाएँ, महासागरीय धाराएँ आदि का भारत की जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भारत में वार्षिक जलवायु को चार ऋतुओं में विभाजित किया गया है।

1) **गर्मी (ग्रीष्म ऋतु)** - मार्च से मई तक

2) **दक्षिण-पश्चिम मानसून काल अथवा वर्षा ऋतु** - जून से सितंबर तक

3) **मानसूनी हवाओं का निर्गमन काल अथवा मानसून** - अक्टूबर से नवंबर तक

4) **सर्दी (शीत ऋतु)** - दिसंबर से फरवरी तक

1) ग्रीष्म ऋतु : भारत में गर्मी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर मई के अंतिम सप्ताह तक चलती है। इस समय सूर्य की लम्बवत् किरणें उत्तरी गोलार्द्ध पर पडती हैं, जिससे भारत में उष्णता अधिक होती है। लंबे दिन और समुद्र से दूर स्थित उत्तर

भारत में अधिक गर्मी होती है। राजस्थान के गंगानगर में देश के अत्यधिक तापमान 52^0 सें.ग्रे. मापा गया है। दक्षिण भारत प्राय:द्वीप होने के कारण यहाँ का तापमान 32^0 सें.ग्रे. 35^0 सें.ग्रे. तक पाया जाता है। इस अवधि में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और प्राय:द्वीप पठार में ठंडा मौसम रहता है। देश के कुछ भागों में रिमझिम वर्षा भी होती है। जहाँ-तहाँ स्थानीय उष्णता और प्रचलन प्रवाह के कारण अप्रैल और मई मास में परिसरण वर्षा होती है। ये वर्षा पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, उत्तर प्रदेश में आँधियाँ, जिसे भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश में 'आँधीस', पश्चिम बंगाल में 'काल बैसाखी' कर्नाटक में 'कॉफी तुंतुरु' और केरल में 'माविनहोइलु' कहलाता है। इस ऋतु में देश की वार्षिक वर्षा 10 प्रतिशत मात्र प्राप्त होती है।

2) दक्षिण पश्चिम मानसून कालीन वर्षा ऋतु : भारत में दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी का अर्थ वर्षा ऋतु काल है। इन्हें वर्षा मौसम की हवाएँ भी कहा जाता है। ये जलांशपूर्ण हवाएँ हैं जो भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा बरसाती हैं। यह जून से सितंबर तक चलती हैं। भारत की कुल वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत इसी मौसम में होता है। दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ भारत में दो शाखाओं में प्रवेश करती हैं। वे हैं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट द्वारा अवरुद्ध है, घाट के पश्चिम में बहुत अधिक वर्षा होती है। ये हवाएँ जैसे-जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगी, बारिश कम होती जाएगी। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वर्षा की छाया भाग कहलाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा मयन्मार (बर्मा) बांग्लादेश, भारत के उत्तरपूर्वी भाग, हिमालय और उत्तरी मैदानों में वर्षा लाती है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा कम हो जाती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश तमिलनाडु को छोड़कर अधिकांश भारत में बारिश लाती है।

3) मानसूनी हवाओं का निर्गमन काल अथवा मानसून : अक्टूबर के उत्तरार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप में बरसे वर्षा के परिणामस्वरूप तापमान में गिरावट आएगी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत् पड़ती हैं। इसलिए उत्तर गोलार्ध में तापमान कम होता है। परिणामस्वरूप यह क्षेत्र एक उच्च दबाव क्षेत्र बन जाता है। दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ अक्टूबर में वापस चलना शुरू कर देती हैं। धीरे-धीरे नवंबर अंत तक बहना बंद कर देते हैं। इसे मानसून हवाओं का प्रस्थान या पूर्वोत्तर मानसूनी हवाओं के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान भारत में 13%

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

वर्षा होती है। इस ऋतु में जब उष्णकटिबंध की आवर्ती (साइक्लोन) हवाएँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से चलती हैं। तब इनसे जान-माल का नुकसान हो सकता है। ये आवर्ति हवाएँ अत्यधिक वेग और वर्षा पूर्ण हाती हैं। लेकिन यह अंतर्देशीं को काफी वर्षा लाती है।

4) सर्दी (शीत ऋतु): भारत में सर्दी का मौसम दिसंबर से शुरू होकर फरवरी के अंत तक चलता है। इस अवधि में भारत पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसलिए गर्मी कम पड़ती है। उत्तर के लद्दाख, उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान बहुत कम पाया जाता है। कुछ स्थानों में तापमान पानी के हिमांक से कभ होता है। लेकिन दक्षिण भारत में तापमान मध्यम होता है और मौसम अनुकूल होता है। भारत में वार्षिक वर्षा की लगभग 2% मात्रा इस अवधि में मिलती है। इसलिए सर्दियों का मौसम भारत में अत्यधिक कम वर्षा काल है।

गतिविधि:

समाचार पत्रों में देश के प्रमुख शहरों के तापमान का डेटा एकत्र करें और शिक्षकों के साथ तापमान भिन्नता के बारे में चर्चा करें।

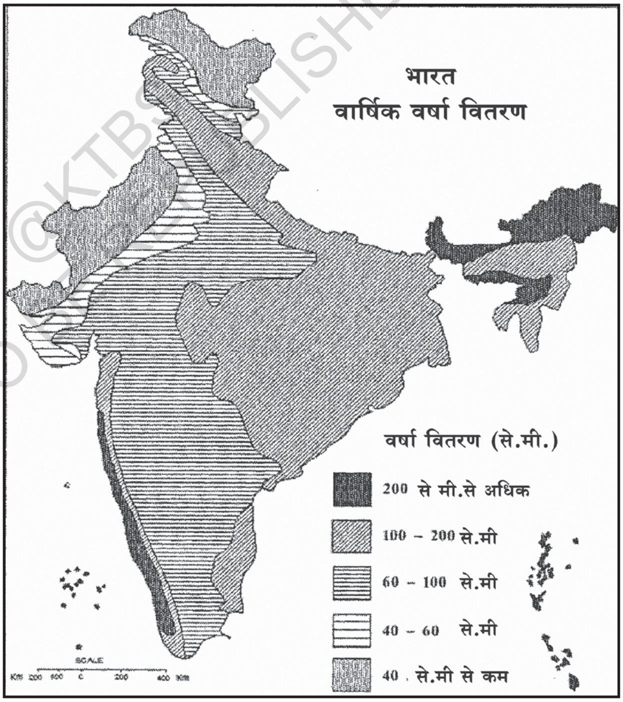

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

वर्षा का वितरण :

भारत में आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में वर्षा होती है। भारत देश में सालभर वर्षा होती है। देश का औसत वर्षा 118 से.मी है, लेकिन अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग जगहों पर वर्षा होती है। इसके अलावा वर्षा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। वर्षा वितरण के आधार पर भारत को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है-

1) कम वर्षा क्षेत्र: इस क्षेत्र में सालाना 50 से.मी से कम वर्षा होती है। राजस्थान का थार रेगिस्तान और उससे जुडो पंजाब, हरियाणा, गुजरात का कच्छ इलाका और जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र के पूर्व में, कर्नाटक का अंतर्देश कम वर्षा राला क्षेत्र है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के 'रूयली' (Ruyli) में औसत वार्षिक वर्षा 8.3 से.मी होती है। यह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है।

2) सामान्य वर्षा क्षेत्र: इस प्रदेश में वार्षिक रूप से 50 से.मी. से 250 से.मी वर्षा होती है। ये क्षेत्र बहुत कम और बहुत बरसात वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है।

> **गतिविधि:**
>
> इस वर्ष आपने तालुक में वर्षा ऋतु में होनेवाली वर्षा के परिमाण को जानिए।
>
> आपने तालुक में इस साल की जलवायु की विशेषताओं के बारे में दोस्तों से चर्चा कीजिए।

3) उच्च वर्षा क्षेत्र: वार्षिक रूप से लगभग 250 से.मी से अधिक वर्षा वाले भागों को उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, असम और अन्य पूर्वी राज्य तथा पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में शामिल हैं। मेघालय का 'मोसिनराम' देश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र दर्ज हुआ है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

देश के आर्थिक विकास पर जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत के लोगों का प्रधान व्यवसाय कृषि होने के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ एक तरह से देश की कृषि को नियंत्रित करती हैं। अगर यह वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा। बहुत अधिक वर्षा होने पर बाढ़ द्वारा प्राण हानि और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि "भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ" खेलना कहा जाता है।

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1) देश का अत्यधिक तापमान वाला स्थान ______________ है।
2) स्थानीय उष्णता और तेज़ हवा से होने वाली वर्षा __________ कहलाती है।
3) भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र ______________ है।
4) भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ______________ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा करके और उत्तर लिखिए।

5) भारत में किस प्रकार की जलवायु है?

6) मानसूनी हवाओं के निर्गमन काल में भारत में आवर्ती हवाओं के उत्पन्न होने का कारण बताइए ।

7) भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

8) भारतीय कृषि 'मानसून हवाओं के साथ खेले जानेवाला जुआ है' इस विषय पर चर्चा कीजिए।

III. जोड़कर लिखिए :

अ	ब
i) काल बैसाखी	अ) उत्तर प्रदेश
ii) आँधी	आ) कर्नाटक
iii) काफी तुंतुरू	इ) केरल
iv) माविन कोयलू	ई) राजस्थान
	उ) पश्चिम बंगाल

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

IV. गतिविधि:

1) भारत का मानचित्र बनाकर वर्षा वितरण की पहचान कीजिए।

V. परियोजना:

1) अपने शिक्षकों की सहायता से अपने क्षेत्र में ऋतुओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानें और परियोजना तैयार करें।

अध्याय-12

भारत की मिट्टियाँ

X6E1M1

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को सीखते हैं :

- भारत में निहित मिट्टी के प्रकार और वितरण।
- मिट्टी का कटाव और इस के कारण।
- मिट्टी के कटाव का प्रभाव (परिणाम) ।
- मिट्टी का संरक्षण एवं निर्वाह।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। भारत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से युक्त हैं। इसके मुख्य कारण मूल चट्टानों और जलवायु में भिन्नता है। कुछ मिट्टी, विविध कर्ताओं से आगे बढ़कर संग्रहीत है। मिट्टी, वनस्पति और जीवियों के सड़े हुए अंशों से युक्त है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के छः प्रमुख प्रकारों में विभाजित है। ये हैं - 1) जलोढ़ मिट्टी 2) काली मिट्टी 3) लाल मिट्टी 4) लैटेराइट- मिट्टी 5) रेगिस्तानी मिट्टी और 6) पर्वतीय मिट्टी

1) जलोढ़ मिट्टी : जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा उच्चभूमि से लाई गई संग्रहीत मिट्टी है। भारत में अन्य सभी मिट्टियों की तुलना में अधिक विशाल क्षेत्र में फैली है । यह मिट्टी 77 मिलियन वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैली हुई है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा आसाम राज्य के ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है । नर्मदा और तापती नदियों की घाटियाँ, साथ ही पठार के दोनों किनारों के तटीय क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। गेहूँ, धान, गन्ना, कपास और जूट इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें हैं।

2) काली मिट्टी : काली मिट्टी को 'रेगूर' मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को कपास उगाने मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि यह मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। यह लगभग 5.46 लाख वर्ग कि.मी के क्षेत्र में पायी जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र को दक्खन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण आग्नि चट्टानों के अपघटन से होता है। जिसमें चिकनी मिट्टी के कण पाए जाते हैं। यह मिट्टी उपजाऊ है और नमी धारण करने में सक्षम है। यह ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के

पश्चिमी भाग और उत्तरी कर्नाटक में है। इस मिट्टी में लोहा, चूना और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। यह सूखी खेती के लिए उपयुक्त है जो कपास, मक्का, जौं, प्याज, मिर्च, तंबाकू, तिलहन, नींबू और अंगूर जैसी फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त है।

3) लाल मिट्टीः लाल मिट्टी वैकल्पिक पठार पर सबसे व्यापक मिट्टी है। यह लगभग 5.18 लाख वर्ग कि.मी भू-प्रदेश में दिखाई देती है। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में मध्यप्रदेश की झाँसी तक, पश्चिम में गुजरात के कच्छ क्षेत्र से पूर्व में झारखंड के राजमहल पहाड़ियों तक फैली हुई है। लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें रागी, तंबाकू और तिलहन, और सींचाई कीसुविधा वाले क्षेत्रों में धान, गन्ना और कपास आदि आए जाते है।

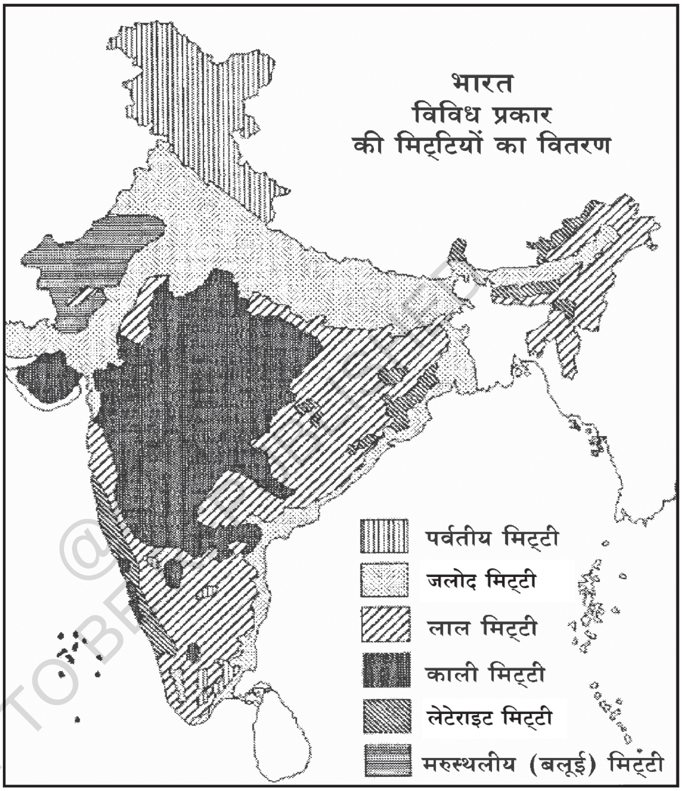

4) लैटेराइट मिट्टी : लैटेराइट मिट्टी आमतौर पर 200 से.मी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है। अत्यधिक वर्षा से मिट्टी के लवण धुल जाते हैं, जिसके ऊपर केवल लोहे (आयरन) का ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऊपरी सतह में रह जाते हैं, इससे मिट्टी लाल हो जाती है। यदि वर्षा के पानी को नमक में घोलकर घोल के रूप में पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से में पहुँचाया जाता है तो ऊपरी मिट्टी में केवल अघुलनशील लोहे का ऑक्साइड और एल्यूमीनियम पाए जाते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन/सारजनक और लवण की कमी पाई जा सकती है। यह लगभग 2.48 लाख वर्ग कि.मी में पाया जाता है। पश्चिमी घाट, विंध्य, सातपुर और राजमहल पहाड़ियों के साथ-साथ पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी फैली हुई है। यह कॉफी, चाय जैसी बागवानी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है।

5) रेगीस्तानी मिट्टी : बहुत कम वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में रेगीस्तानी मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी लाल और भूरे रंग की होती है। कणों की उच्च रंध्रता के कारण पानी रुके बिना बहता है, और आर्द्रता जल्दी कम हो जाती है। भारत में यह मिट्टी 1.4 लाख वर्ग कि.मी में फैली हुई है। बाजरा, खजूर-आदि उगा सकते हैं। यह भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में और गुजरात के कच्छ क्षेत्र और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिमी भाग में वितरित है।

6) पर्वतीय मिट्टी : इस मिट्टी में उच्च मात्रा में विघटित कार्बनिक/जैविक पदार्थ होते हैं। पहाड़ों में बनी यह मिट्टी ढलाऊ मैदान की ओर ढल जाती है। इसमें अक्सर नाइट्रोजन और जैविक अवशेष होते हैं। कॉफी, चाय, मसाले और फलों के लिए उपयुक्त है। हिमालय की तलहटी, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी वितरित है।

मिट्टी का कटाव (भूमि क्षरण) :

मिट्टी का घिसाव या भूमि क्षरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि की ऊपरी सतह में पाई जाने वाली एक ढीली परत विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों द्वारा स्थानांतर हो जाती है। भूमि क्षरण के मुख्य कारण हैं, बहते पानी और ज्वार की लहरें ।

भूमि क्षरण के कारण : भूमि क्षरण देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह हाल ही में अधिक हो रहा है। इसके मुख्य कारण हैं 1) वनों का विनाश 2) अतिचरण 3) अवैज्ञानिक खेती 4) अत्यधिक सिंचाई। 5) तेज़ी से बहनेवाला पानी और बाढ़। 6) ईंट, खपरैल, मिट्टी के बर्तन आदि की तैयारी में ऊपरी मिट्टी का अधिक उपयोग ।

भूमि क्षरण के प्रभाव: भूमि क्षरण से कई समस्याएँ हो सकती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:

1) नदियों में कीचड का संचित होना भूमि क्षरण का कारण होता है। 2) नदियों में कीचड़ भरने से नदियों की दिशा तथा आकार बदल जाते हैं 3) जलाशयों और तालाबों में कीचड़ भरने से पानी इकट्ठा करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। 4) भूमि क्षरण से प्राकृतिक फव्वारे सूख जाते हैं। भारत एक कृषि आधारित देश है, इसलिए कृषि उत्पादन पर भूमि क्षरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, उर्वरता और उत्पादन को बनाए रखने के लिए मिट्टी का कटाव (भूमि क्षरण) रोकना आवश्यक है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

मिट्टी का संरक्षण और निर्वाह :

मिट्टी निर्वाह का उद्देश्य मिट्टी-संरक्षण करके मिट्टी के कटाव को रोकना और उसकी उर्वरता को बनाए रखना, साथ ही उर्वरता को कम किए बिना सुस्थिर ढंग से निरंतरता मिट्टी से फसलों का उत्पादन करना है। देशी-कृषि से संबंधित परियोजनाओं में इसको महत्व दिया गया है। मिट्टी के कटाव को रोकने के कई तरीके हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:

1) ढलान के आर-पार जुताई।

2) तिरछी (क्रॉस) मेंडों का निर्माण।

3) सीढीयुमा कृषि क्षेत्रों का निर्माण।

4) वन विनाश को रोकना।

5) वन विकास को प्रोत्साहन देना।

6) अत्यधिक चराई को नियंत्रित करना।

7) पानी का नियोजित उपयोग।

8) छोटे बाँध (चैक डैम) आदि का निर्माण।

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

ज्ञात रहे :

- मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह देश की सबसे बड़ी संपत्ति है।
- बहुत महीन कणों वाली मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहा जाता है।
- रेतीली मिट्टी में मोटेकण होते हैं। बड़े कणों वाली मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहते हैं।
- मिट्टी के उत्पादन, बनावट, रासायनिक संरचना तथा उसका बदलाव और संशोधन के अध्ययन को भूमि विज्ञान /मिट्टी संबंधी विद्या (Pedology) कहा जाता है।

अभ्यास :

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1) नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से लाई गई संग्रहीत मिट्टी को__________कहते हैं।

2) काली मिट्टी के क्षेत्र को __________ भी कहा जाता है।

3) राजस्थान में __________ मिट्टी अधिक दिखाई देती है।

4) भारत में अत्यधिक विस्तृत प्रदेश में फैली मिट्टी __________ है।

5) रागी और तिलहन उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी __________ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा करें और उत्तर लिखिए :

6) भारत में पायी जाने वाली मिट्टी के प्रमुख प्रकार क्या है

7) मिट्टी का संरक्षण से क्या तात्पर्य है ?

8) मिट्टी के कटावा (अपरदन/क्षरण) से आप क्या समझते हैं? इसका क्या कारण है?

9) मिट्टी के कटाव से होने वाले परिणामों के बारे में लिखिए ।

10) हिमालय पर्वत श्रेणी में किस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है ?

III. गतिविधियाँ:

1) विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की सूची बनाना और उनके उपयोग के बारे में जानने के लिए अपने तालूक कृषि सहायक निदेशक के कार्यालय या किसान संपर्क केंद्र पर जाइए।

2) पालतू जानवरों के चराने से क्या मिट्टी का क्षरण संभव है? इस पर अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए ।

IV. परियोजना :

1) अपने घर या अपने खेत की कुछ मिट्टी लेकर अपने अध्यापकों की सहायता से मिट्टी परीक्षण केंद्र में जाँच करवाएँ कि यह मिट्टी कौन-सी फसल के लिए उपयुक्त है।

NOT TO BE REPUBLISHED
©KTBS

अध्याय-13
भारत की वन-संपदा

N7D3T8

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को समझते हैं :

- भारत में वनों के प्रकार, बँटवार ।
- वनों का संरक्षण,संरक्षण के विधान।
- वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान।
- जैविक संरक्षण क्षेत्र।

एक प्रदेश प्राकृतिक रूप से विकसित सभी तरह की वनस्पतियों को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। यह प्राकृतिक पर्यावरण अन्य पहलुएँ जैसे तापमान, वर्षा, भू-स्वरूप, मिट्टी-आदि से अत्यधिक प्रभावित होता है। 2021 के अनुसार अनुमानत: भारत में 7,13,789 हेक्टेयर वनाच्छादित प्रदेश हैं । यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% भाग है ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भारत विविध प्रकार के प्राकृतिक वातावरण वाला एक बहुआयामी देश है, और यहाँ कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जा सकती हैं। इन्हें छ: मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं - 1) सदा बहार वन 2) पर्णपाती मानसून वन 3) उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 4) मैंग्रोव (गरान) वन 5) रेगिस्तानी वन और 6) हिमालयी अल्पाइन वन।

1) सदा बहार वन : भारत में सदाबहार वन, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पानेवाला और 900 मीटर से कम ऊँचाईवाले क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। ये वन पश्चिमी घाट, असम के उत्तर पूर्वी राज्यों, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। भारत में सदाबहार वन 2.6 लाख हेक्टेयर में फैले हुए हैं। उन्हें अक्सर नित्य हरिद्वर्ण वन या सदा हरियाली वन कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की वनस्पति पूरे वर्ष हरी भरी रहती है।

2) पर्णपाती मानसून वन : इस प्रकार के वन भारत में सबसे व्यापक हैं। ये 75 से 250 सेंटिमीटर. वर्षा पानेवाला क्षेत्रों में व्यापक। इसमें भारत के कुल वन क्षेत्र का 65.5 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। भारत की मानसून जलवायु के कारण इस प्रकार के वन व्यापक रूप से वितरित हैं। इन्हें पर्णपाती मानसून वन कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष के शुष्क मौसम के दौरान पर्णपाती होते हैं।

3) उष्णकटिबंधीय पतझड़ के वन : भारत में 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा पानेवाले प्रदेशों में प्रमुख रूप से घास के मैदान है। यहाँ लंबी घास और कभी दुर्लभ बिखरी हुई

वनस्पतियाँ पायी जा सकती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियाँ दकन पठार के मध्य में, अरावली पर्वत के पश्चिम में सुदूर रेगिस्तानी किनारे वाले क्षेत्रों में हैं। यहाँ बबूल, शीषम, सबाई घास आदि उगते हैं। ये वन प्रदेश देश में 41,992 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हैं ।

4) मैंग्रोव (गरान) वन : समुद्र के ज्वार-भाटे के दौरान तटीय क्षेत्रों की तराई पानी से ढकी रहती है। ये वन नदी-घाटियों और नदी के किनारे के निचले इलाकों में

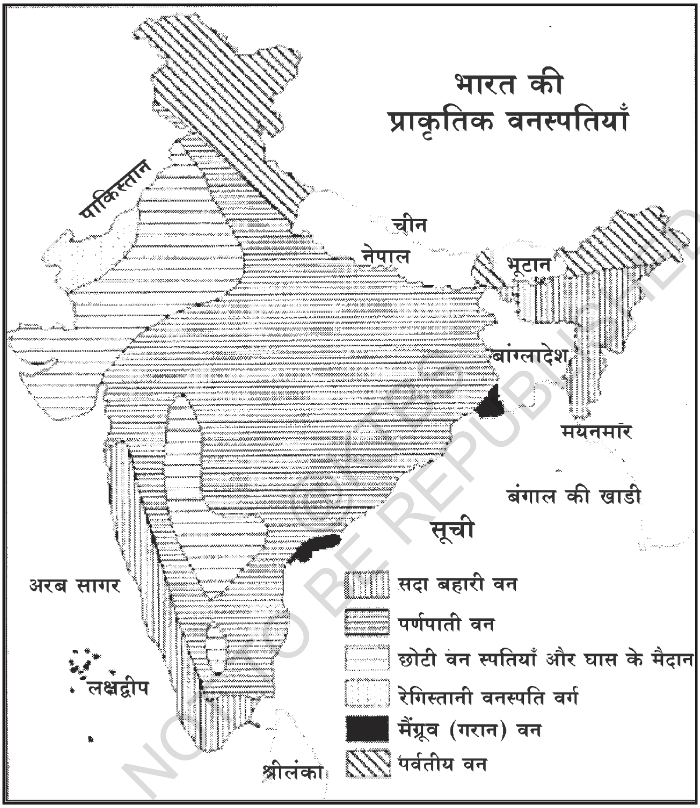

NOT TO BE REPUBLISHED

पाए जाते हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णनदी मुहाना भाग में पाए जाते हैं। गंगा के मुहाने की भूमि में सुंदर वृक्षों की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र को 'सुंदरबन' कहा जाता है। इन वनों का क्षेत्रफल लगभग 4.4 हजार वर्ग किमी है।

5) रेगिस्तानी वन : ये वन आमतौर पर 50^0 से. मी. कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान के थार रेगिस्तान से जुड़े

गतिविधि:

अपने घर के आस-पास के पेड़ों और पर्यावरण के बारे में अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त करें और आज जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें देखें।

पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में स्थित हैं। वनस्पति गहरी जड़ वाली होती है और झाड़ीदार वनस्पति काँटेदार होती है।

6) हिमालय आल्पाइन वन : हिमालय में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिक ऊँचाई के कारण इन पहाड़ों में उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु देखी जा सकती है। जलवायु के अनुसार विविध प्रकार के पौधे देख सकते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से साल, भैरा, टून, सिलवर, स्ट्रूस, लारेल आदि नुकीली पत्ते वाले वन प्रमुख हैं।

वनों का वितरण:

वैज्ञानिकों का मानना है कि 33% वन क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण के लिए है। भारत का वन विस्तार देश के कुल क्षेत्र से तुलना करें तो बहुत कम है। राज्यों के वनों का विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम स्थान पर है, जबकि हरियाणा सबसे अंतिम स्थान पर है। कर्नाटक छठवें स्थान पर है।

वनों का महत्व : वन अति उपयोगी संसाधन हैं, जो मानव तथा पर्यावरण दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। वनों के उपयोग इस प्रकार हैं -

1) शुद्ध, वायु, खाद्य तथा चारे की आपूर्ति करता है ।
2) उत्तम वर्षा लाने में सहायक है।
3) मिट्टी के कटाव (अपरदन/भूमिक्षरण) को नियंत्रित करता है ।
4) जीव-जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है ।
5) औषधीय वनस्पति/ पेड़-पौधों का आगार है ।
6) प्रवासियों का आकर्षण केंद्र है ।
7) औद्योगिक अवसर प्रदान करता है ।
8) जैविक परिसर समतुलन की रक्षा करता है ।

वन संरक्षण: वनों को मानव, पशु और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए उन्हें 'संरक्षण' कहा जाता है। भारत में वन-क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। कृषि का विस्तार, डेयरी, सड़क, रेलवे, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, दावाम्नि और खनन वन-नाश के प्रमुख कारण हैं। इसलिए वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।

संरक्षण के तरीके: दावाग्नि उत्पन्न करनेवाले रगड खानेवाले पेडों को काटना, वन जनित रोगों पर नियंत्रण, रोपण, बीज फैलाना, अवैध पेड़ काटने को नियंत्रित करना, वनों में पालतू पशुओं के चराने को नियंत्रित करना, जनता को पेड़ लगाने के लिए

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

प्रधानता करना और उनकी प्राथमिंकता के बारे में शिक्षा देकर सुरक्षा के लिए प्रेरित करना संरक्षण है। सामाजिक वन योजना को शीघ्रता से लागू करना इसका अंग है।

वन्यजीव धाम: विभिन्न जानवरों को उनके मूल स्थान पर संरक्षित करने के लिए वन्यजीव अभयारण्यों का निर्माण किया गया है। भारत में लगभग 567 वन्यजीव धाम हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:

- **तमिलनाडु :** अन्नामलाई वन्यजीव धाम, कोयंबटूर, नीलगिरि
- **पश्चिम बंगाल :** मदारीहात, जाल्दापार
- **राजस्थान :** भरतपुर, किवोल, डिवो पक्षी धाम
- **हरियाणा :** सुल्तानपुर, गुड़गाँव
- **पंजाब :** बिरमोथीबाग, पटियाला
- **आंध्र प्रदेश :** गुंटूर, नागार्जुन सागर।

राष्ट्रीय उद्यान : भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल का जिम कॉर्बेट, देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है:

1) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानवन, सिव (शिव) सागर, असम।
2) सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यानवन, 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
3) हज़ारीबाग राष्ट्रीय उद्यानवन, झारखंड ।
4) गिर राष्ट्रीय उद्यानवन, जगन्नाथ, गुजरात।
5) कान्हा राष्ट्रीय उद्यानवन, मांड्या और बालघाट मध्य प्रदेश।
6) तांडोवा राष्ट्रीय उद्यानवन, चंद्रपुरा, महाराष्ट्र।

जैविक संरक्षण क्षेत्र (Biosphere Reserves):

भारत वनस्पतियों और जीवों की विविधता की समृद्धि को समाहित करता है। इन जैविक प्रणालियों की रक्षा के लिए देश में 18 जैविक क्षेत्रों का संरक्षण किया जा रहा है। वे हैं-नीलगिरि, नंददेवी, नोक्रेक, ग्रेटनिकोबार, मन्नार अखात, मनास सुंदरवन, सिमिलिपाल, कंचनगंगा, अमरकंटक, शीत रेगिस्तान (हिमाचल प्रदेश) पन्ना और शेषचलम्। नीलगिरी जैविक संरक्षण प्रदेश ही भारत में स्थापित पहला जैविक संरक्षण प्रदेश।

आपको ज्ञात रहे :

- भारत में लगभग 567 वन्यजीव धाम हैं।
- 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- 122 वनस्पति उद्यान (बोदानिकल गार्डन) हैं।
- 525 चिड़ियाघर हैं।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

अभ्यास :

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1) असम, मेघालय में पाए जाने वाले वन का प्रकार _______________ है।
2) हिमालय में _______________ वन पाए जाते हैं।
3) गंगा की मुहाना भूमि प्रदेश _______________ नाम से जाना जाता है।
4) जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वन _______________ राज्य में है।
5) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अनुकूल पर्यावरण के लिए देश में _______________ प्रतिशत वनप्रदेश होने चाहिए ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

6) भारत में कितने वन क्षेत्र हैं?
7) भारत में वन प्रदेश का विस्तार कितना है ?
8) भारत में पाये जाने वाले वनों के प्रकार कौन-कौन से हैं ?
9) भारत में पर्णपाती वनों के लक्षण तथा उनका वितरण बताइए ?
10) वनों के महत्व को समझाइए ।
11) वन विनाश के कारणों की सूची बनाइए ।
12) वन संरक्षण का अर्थ क्या है ?
13) देश में वन संरक्षण के लिए आपके सुझाव क्या हैं ?

III. गतिविधियां :

1) आप जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम लिखिए और उस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियों और जीवों की सूची बनाइए।
2) आपके द्वारा देखे जाने वाले विभिन्न वृक्षों के नाम सूचीबद्ध कीजिए।

IV. परियोजनाएँ :

1) वन्यजीव धामों के जानवरों के चित्रों का एक एल्बम तैयार करें।
2) भारत के मानचित्र में जैविक संरक्षण क्षेत्र (बायोस्फीयर रिजर्व) की पहचान करें।

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

अध्याय 14

भारत के जलसंसाधन

G1U2S5

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे :

- सिंचाई का महत्व ।
- सिंचाई के प्रकार ।
- विविध उद्देश्यों की नदी घाटी योजनाएँ ।
- भारत के प्रमुख जल ऊर्जा योजनाएँ ।
- राष्ट्रीय विद्युत जाल ।
- वर्षा जल के संग्रहण ।

जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। यह मानव की प्रमुख माँग थीं। यह राष्ट्र की संपत्ति हैं। इसको सिंचाई, जल विद्युतशक्ति उत्पादन, औद्योगिक के लिए, घरेलू, नौकायान, मत्स्यपालन, और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता हैं । निरंतर रूप से बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताएँ और राष्ट्र के प्राकृतिक संपत्ति को न्यायसंगत उपयोग, इनकी दृष्टि से जल संसाधन का विकास के लिए आवश्यक है।

भूमि पर पानी के स्त्रोत नदियाँ और झील हैं। अंतर्जल संपदा के स्रोत हैं कुँआ और फव्वारे हैं। इनमें पानी की उपलब्ध ता प्रदेशों से प्रदेश तक, काल से काल तक भिन्न है। भारत में वर्षा की अनिश्चितता, असमानता और नियतकालिक होने के कारण कृषि करने के लिए नहर, तालाब, तथा कुँओं की सिंचाई पर निर्भर है।

आपको ज्ञात रहे

उपयोग करने योग्य सतह जल संसाधन	690BCM
उपयोग करने योग्य भूजल संसाधन का परिमाण	433BCM
उपयोग करने योग्य वार्षिक जल संसाधन का परिमाण	1123BCM
प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता	1720.29 CUM
BCM - Billion Cubic Meters CUM - Cubic Meters	

सिंचाई का अर्थ कृषि योग्य भूमि के लिए कृत्रिम नहर, कुँआ और तालाब से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था है। कम वर्षा पड़ने वाले प्रदेशों में और कृषि प्रधान प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है । सिंचाई की कृषि पद्धति ने कृषि के इतिहास

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश में उपलब्ध कुल जल संसाधन में अधिकतम 140 मिलियन एकर प्रदेश को सींची जा सकती है, पर विकसित कुल सिंचाई के क्षेत्र में सिर्फ 62.2 बिलियन एकड को व्याप्त है। भारत में आज दुनिया के अत्यधिक सिंचाई के क्षेत्र से युक्त है।

सिंचाई के प्रकार :

आपको ज्ञात रहे : भारत में विश्व का अत्यधिक सिंचाई क्षेत्र है। चीन दूसरे स्थान पर है।

भारत के प्राकृतिक परिसर की विविधता के लिए प्रसिद्ध होने के साथ-साथ जल संसाधन के वितरण में इस अंतर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कृषि के लिए आवश्यक सिंचाई के प्रमाण, वर्षा के वितरण, सतह की विशेषता, फसल उगाने, पारंपरिक कृषि-पद्धति आदि को अनुसरण करने वाले विविध प्रदेशों में विविध प्रकार की सिंचाई की पद्धति को पूरे देश में उपलब्ध है। इनको सिंचाई के स्रोत के आधार पर कुँओं की सिचाई, नहर की सिंचाई, तालाब की सिंचाई, में विभाजन कर सकते है।

1. कुँओं द्वारा सिंचाई : भारत के प्रमुख सिंचाई के स्त्रोताओं में कुँआ की सिंचाई बहुत प्रमुख है। यह देश में अत्यधिक कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधा को प्रदान करने वाला विधान है। कुँओ को खोदने से अंतर्जल को बाहर निकालकर कृषि के लिए उपयोग को कुँओ की सिंचाई कहते हैं। कुँओ की सिंचाई को कम वर्षा पड़ने वाले प्रदेशों में अधिक उपयुक्त हैं। कुँआ के निर्माण तथा निर्वाह बहुत सरल हैं। जहाँ पर तालाब, नहर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं हैं। वहाँ पर कुँओं की सिंचाई की आवश्यकता है। कुँओं को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। 1.खुले कुंए 2. नलकूप

खुले कुंए : ऐसे कुँओं को कृषि भूमि में खोदा जाता है। उनसे पानी को मानव के दैहिक बल, जानवरों से अथवा यंत्रों की सहायता से ऊपर उठाकर, जमीन सींची जाती है। आजकल डीजल तथा विद्युत से चालित यंत्रोपकरण आदि विधानों से पानी को बाहर खींचा जाता है।

नलकूप : भारत के कुँओं की सिंचाई में आज नलकूप की भूमिका बहुत प्रधान है। कुल कुँओं की सिंचाई के क्षेत्र में 59.70% तथा देश के कुल सिंचाई के क्षेत्र के 33.70% नलकूप के द्वारा सिंचाई के अधीन है।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

2. नहर सिंचाई: भारत में रूढि गत सिंचाई की पद्धतियों में नहर की सिंचाई प्रमुख है।विश्व में नहर की सिंचाई को अपनानेवाले देशों में भारत भी प्रमुख है। विस्तृत कृषि भूमि को नहर की सिंचाई को उपलब्ध कराया गया है। भारत ने लगभग 16.50 मिलीयन एकर प्रदेशों में नहर-सिंचाई क्षेत्र हैं। यह देश में कुँओं के बाद दूसरा प्रमुख सिंचाई के स्रोत है।इसमें दो प्रकार हैं 1. प्रवाहकालीन नहर 2. सार्वकालीन नहर

बाढ़ निर्मित : किसी प्रकार के बाँध को निर्माण के बिना नदियों से सीधे नहर को खोदा जाता हैं। नदियाँ भरकर बहने लगती है, तो यह नहर से पानी बहने लगती है इनको बाढ़ निर्मित नहर कहा जाता हैं।

> **गतिविधि:**
> अपने नजदीक के प्रमुख तालाबों की सूची बनाइए। तालाबों को संरक्षण करने के लिए अपनी सलाह दीजिए।

सर्वकालिक नहर: नदियों पर बाँध बनाकर, जलाशयों का निर्माण से संग्रहीत पानी को कृषि भूमि को पानी की आपूर्ति के लिए खोदे जाने वाले नहरों को 'सर्वकालिक नहर' कहा जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और बिहार राज्यों में इस नहर के जाल फैले हुए हैं।

3. तालाब सिंचाई : भारत में तालाब की सिंचाई प्राचीन काल से भी अस्तित्व में हैं। झरना, तलैया, खाई, गड्ढों, भरकर ढलानों के बीच तटबंध निर्माण कर के पानी को संग्रह करना ही तालाब है। इस तरह संग्रहीत पानी को नल द्वारा तथा छोटे नहरों द्वारा, कृषि भूमि को पहुँचाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, में तालाब सिंचाईं को देखा जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी तालाब सिंचाई देख सकते हैं।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

विविधोद्देशीय नदी घाटी योजनाएँ :

भारत ने कई नदियाँ, घाटी योजनाओं की रचना की है और इसे कार्यान्वित किया हैं। नदी घाटियों में उसकी उपनदियों के अंतर्गत कई बाँध बनाए गये है। इससे उस नदी घाटियों में जल संसाधन का अधिकतम मात्रा में उपयोग होने की संभावना है। ऐसी योजनाएँ कृषि के लिए पानी की अपूर्ति के साथ-साथ अन्य कई उद्देश्यों से युक्त हैं। इनको ही 'विविधोद्देश्यीय नदी घाटी योजना' कहते हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं - 1) सिंचाई की सुविधा का प्रावधान, 2) जल ऊर्जा की उत्पत्ति, 3) नदियों में बाढ़ को नियंत्रित करना, 4) नौकायान की सुविधाओं की व्यवस्था करना, 5) घरेलू उपयोग तथा

औद्योगों के लिए पानी की आपूर्ति, 6) मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना, 7) मत्स्य पालन का विकास करना, 8) वन संपदा की वृद्धि।

भारत की प्रमुख विविधोद्देश्यीय नदी घाटी योजनाएँ :

1) दामोदर नदी घाटी योजना : दामोदर योजना स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम विविधोद्देश्यीय नदी घाटी योजना हैं। यह बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के संयोजित योजना है। इस नदी को पश्चिम बंगाल में बाढों द्वारा जीव तथा संपत्ति को अधिक हानि होने पर इसको पश्चिम बंगाल में शोक की नदी कहा जाता है। इस नदी से होने वाली हानि को रोकने के लिए यह योजना बतायी गयी।

इस योजना के अनुसार लगभग 2495 किलोमीटर लंबा नहरों का जाल है। करीब 4.5 लाख हेक्टेर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हैं। तिलैय्या, मैथान, कोनार, और पंचेट पहाड़ों में दामोदर तथा उसकी उपनदियों के लिए बाँधों को निर्माण किया गया है। बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर, में थर्मल विद्युत केंद्रों के निर्माण किया गया है। इस योजना के लाभ झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को प्राप्त हैं।

2) भाखरा नांगल योजना : यह भारत की अत्यंत ऊँची और प्रमुख विविधोद्धेश्यीय नदी घाटी योजना है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के सहयोग से बनी योजना है। हिमाचल प्रदेश के भाखरा और नंगल में सतलज नदी पर निर्मित बाँध हैं। भाखरा बाँध एशिया में अत्यंत ऊँचा बांध (226 मीटर) यह 3402 किलोमीटर लंबाई नहरों के जाल है। 14.6 लाख हेक्टेर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध है। इस योजना से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, को सिंचाई और जल विद्युत शक्ति की सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। इस जलाशय को 'गोविंद सागर' कहते हैं। भाखरा भारत का दूसरा ऊँचा बाँध है । (टेहरी बाँध भारत का अत्यंत ऊँचा बाँध है ।)

3) कोसी योजना: इस योजना के मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना, कोसी को **'बिहार के शोक की नदी'** कहते हैं। यह भारत और नेपाल राष्ट्र की तत्वाधीन योजना है। भारत और नेपाल की सीमाओ में आने वाले 'हनुमान नगर' में कोसी नदी पर बाँध का निर्माण किया गया है। इस योजना से करीब 8.75 लाख हेक्टेर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इससे उत्पादित बिजली का 50% नेपाल दिया जाता हैं।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4) हीराकुड योजना : उड़ीसा के संबलपुर जिले से 10 किलोमीटर दूरी में महानदी पर इस बाँध को निर्माण किया गया हैं।इस नदी को उड़ीसा की शोक नदी कहा जाता हैं। हीराकुड 4801 मीटर लंबा है। भारत में यह अत्यंत लंबा बाँध हैं। यह करीब 2.54 लाख हेक्टेर भूमि की सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराता हैं। इससे उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों को सिंचाई और जल विद्युत शक्ति की सुविधा प्राप्त है।

5) तुंगभद्रा योजना : इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन था। कर्नाटक और आंध्रप्रदेश राज्यों की संयुक्त योजना हैं। इस बाँध को विजयनगर जिले के होसपेट के नजदीक मल्लापुर में तुंगभद्र नदी के लिए निर्माण किया गया था। इस जलाशय को **'पंप सागर'** कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 5.5 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई तथा बिजली उपलब्ध कराता है।

6) नागार्जुन सागर योजना : तेलंगाना के नंदीकोंड गाँव के पास कृष्णा नदी पर यह बाँध बनाया गया हैं। सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं। इससे करीब 8.30 लाख हेक्टेर भूमि के लिए सिंचाई होती है ।

7) कृष्णा ऊपरीतट योजना : यह योजना कर्नाटक के बड़ी विविधोद्देशीय योजना हैं। यह योजना कर्नाटक की बृहत् विविधोद्देशीय नदीघाटी योजना है। विजयपुर, बागलकोट, रायचूर, कलबुरगी, यादगिरि जिला के लिए सिंचाई की सुविधा तथा पीने के पानी की योजना है। इसको बीजापुर जिले के अलमट्टी के निकट कृष्णा नदी पर बाँध निर्मित किया गया है। इससे लाल बहादुर शास्त्री जलाशय निर्मित है, तथा नारायणपुर के समीप और एक बाँध का निर्माण किया गया हैं। इस जलाशय का नाम 'बसव सागर' हैं। इनसे कुल 6.47 हेक्टेर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। आजकल इससे बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है।

8) नर्मदा नदी घाटी योजना : यह योजना के प्रारंभ से ही विवादास्पद है। अतः नर्मदा नदी जल विवाद प्राधिकार की नियुक्ति की गयी। इसके द्वारा मध्यप्रदेश और गुजरात राज्यों के बीच इस नदी पर निर्मित बाँधों का जल वितरण के विवाद का फैसला किया गया है। कुल 23 बाँधों युक्त नर्मदा सिंचाई योजना में सरदार सरोवर, नर्मदा सरोवर और नर्मदा ऊपरी योजनाएँ प्रमुख हैं। इन बाँध से उत्तर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों को सिंचाई तथा बिजली की सुविधाएँ प्राप्त होती है।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

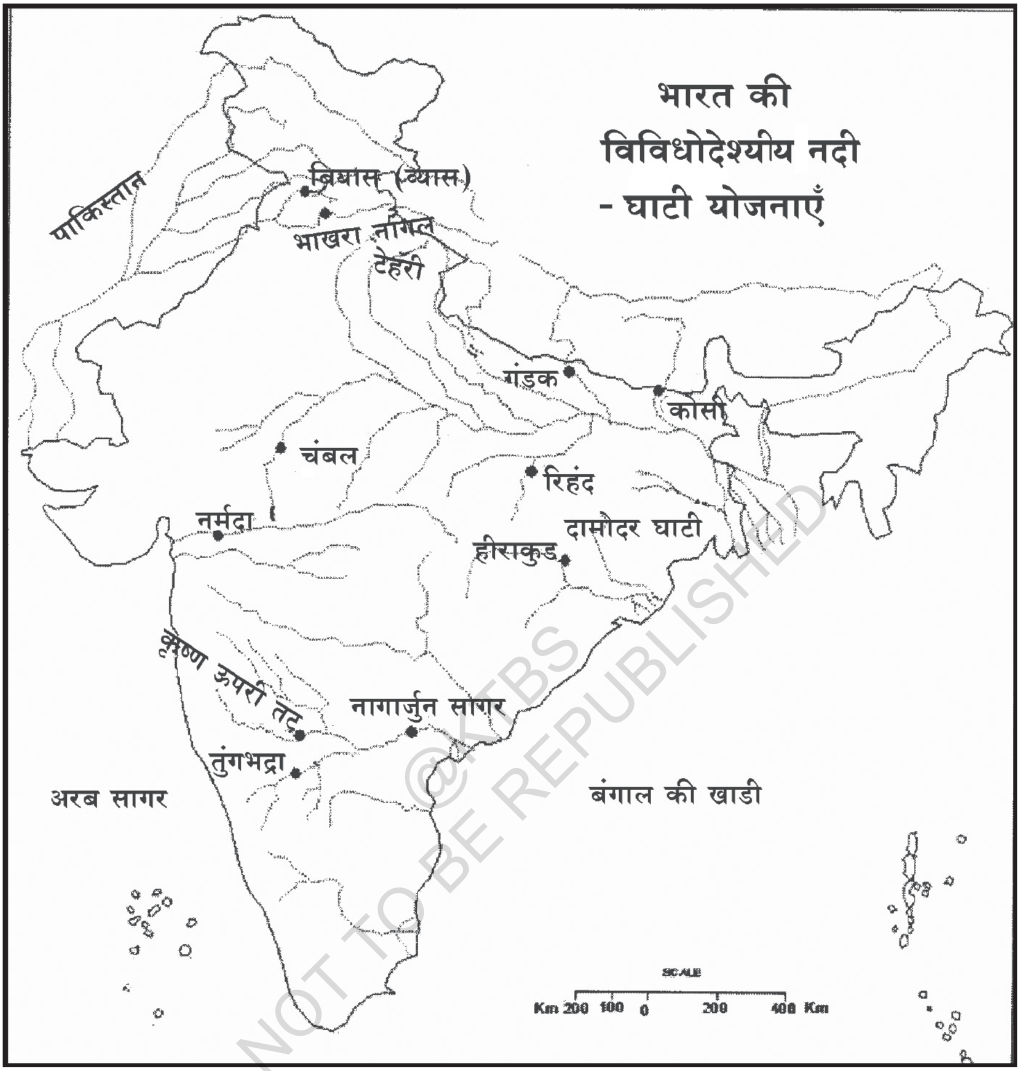

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

भारत की प्रमुख जल ऊर्जा योजनाएँ :

भारत द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के स्रोतों में जल ऊर्जा शक्ति दूसरे स्थान पर है। 2011 के अनुसार यह देश की उत्पादित ऊर्जा कुल का 13.90 प्रतिशत है। अनुमानतः भारत में करीब 410 बिलियन किलोवाट्स जल ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। पर वर्तमान में जल ऊर्जा उत्पादन सिर्फ 106.68 बिलियन किलोवाट्स हैं। निम्न राज्यों में जल ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं-

1. **कर्नाटक:** शिवनसमुद्र, तुंगभद्रा, जोग, भद्रा,अलमट्टी, काली, सूपा, कद्रा और कोडसल्ली

2. **आंध्र प्रदेश:** नागार्जुन सागर, श्रीशैलम योजना, रामपाद सागर योजना, सिलेरू योजना।

3. **तेलंगाना :** नागार्जुन सागर योजना

4. **तमिलनाडु :** मेट्टूरु योजना,पैकार ऊर्जा योजना, पेरियार योजना, कुंद्हा योजना,मोयार योजना,कोडयार योजना, आदि।

5. **मध्य प्रदेश:** बनसागर, गाँधी सागर,पंच योजना।

6. **महाराष्ट्र:** टाटा जल ऊर्जा योजना, बीरा योजना, वैतरण योजना, कोय्ना योजना।

7. **उड़ीसा:** हीराकुड योजना, कोलाज योजना, रंगाली योजना, नाराज योजना।

8. **बिहार:** कोसी योजना, सुवर्ण रेखा योजना, ताला योजना।

9. **झारखंड :** सुवर्ण रेखा योजना

10. **गुजरात:** काक्रापार योजना, काडन योजना, उकै योजना, उपर्युक्त योजनाओं के अलावा अनेक योजनाओं में कई जल ऊर्जा केंद्र दिखाई देते हैं।

    अनेक नदी घाटी योजनाओं के अतिरिक्त नदी घाटी योजनाओं में कई जलविद्युत केंद्र देखे जा सकते हैं ।

राष्ट्रीय विद्युतजाल (National Power grid) : प्रत्येक राज्य वर्ष के हर समय में पर्याप्त विद्युत की अपूर्ति नहीं कर पा रहा है। इससे अतिरिक्त विद्युत अभावपूर्ण प्रदेशों को निर्यात तथा विद्युत को संपूर्ण प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय विद्युतजाल का निर्माण किया गया। इससे देश के किसी भी भाग में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने पर भी उससे अभावपूर्ण प्रदेशों की आपूर्ति कर सकते हैं।

वर्षा जल का संचयन (Rain water harvesting) : जल अति अमूल्य है। भारत में जलसंपदा अधिक मात्रा में होने पर भी उसके वितरण में असभानता है। इसके अलावा वर्षा की अवधि कम है। अधिक वर्षा वाला प्रदेश, दीर्घ वर्षा रहित प्रदेश के

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

कारण ग्रीष्म काल पानी का अभाव दिखाई देता है। देश में जल के अभाव को सुधारने का लिए एक ही सरल मार्ग है- वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल को संग्रह करके उपयोग करना ही वर्षा जल संचयने है।

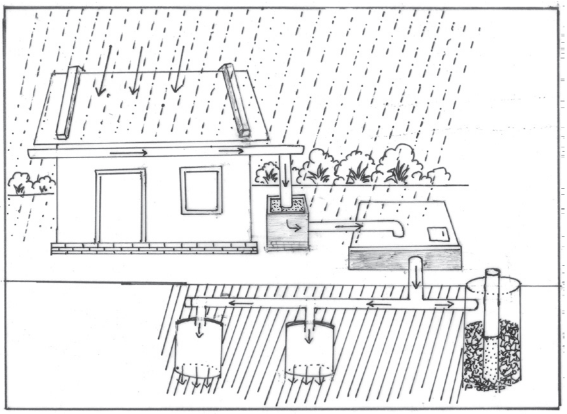

इसमें दो प्रकार है: 1) वर्षा के प्रदेश में ही पानी संग्रह करना,उदाहरण-: घर की छत 2) वर्षा पड़ने के बाद बहने वाले पानी संग्रह करना। उदाहरण:- तटबंध निर्माण करके पानी संग्रह करना ।

- घर की छत पर वर्षा जल के वहते वाले पानी का संग्रह करके दैनिक उपयोग करना। इससे सार्वजनिक जल की आपूर्ति पर निर्भरता कम होती है।
- कृषि क्षेत्रों में गड्ढे खोदकर पानी का संग्रह करना ।
- वर्षा जल को ज़मीन में बहने से रोकने के लिए और अवशोषित करने से अंतर्जल के स्तर में पुनर्भरण (Recharging) होता हैं।
- व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समुदायों में भी बहने वाले पानी को संग्रह तटबंध निर्माण करके छोटे-छोटे गड्ढे, तालाबों के रूप में कर सकते हैं।

कर्नाटक में वर्षा जल संचयन पुरातन काल से भी अस्तित्व में है। सारे राज्य में दिखाई देने वाले तालाब, तटबंध, गड्ढा, आदि वर्षा जल संग्रह के विधान हैं। इनकी उपेक्षा करने से आजकल जल के अभाव को देख सकते हैं। इनकी रक्षा, उचित रूप से निर्वाह देश में दिखाई देने वाले पानी की समस्या को सुलझा या जा सकता है।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए :

1. दामोदर नदी को बंगाल की ____________ नदी कहते हैं।
2. बिहार की शोक नदी ____________ है।
3. कर्नाटक की बहुत बड़ी विविधोद्देशीय सिंचाई योजना ____________ है।

4. कावेरी नदी के लिए __________ में विद्युत योजना का निर्माण किया गया है।

5. हीराकुड बाँध को ____________ नदी पर बनाया गया है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए समूह में चर्चा करके उत्तर लिखिए :

6. सिंचाई का अर्थ क्या है ? सिंचाई के कितने भेद है ?
7. विविधोद्देश्यीय नदी घाटी योजना किसे कहते हैं? उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं?
8. कर्नाटक के जल-ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के नाम लिखिए ।
9. वर्षा जल संग्रहण आज अनिवार्य है। क्यों?
10. राष्ट्रीय विद्युतजाल किसे कहते हैं?

III. जोड़कर लिखिए :

i) भाखरा बाँध	ए) लालबहादुर शास्त्री सागर
ii) तुंगभद्रा बाँध	बि) बसवसागर
iii) आलमट्टी बाँध	सी) पंपा सागर
iv) नारायणपुर बाँध	डी) गोविंदसागर
	इ) नर्मदा सागर

IV. गतिविधियाँ :

1. भारत के प्रमुख विविधोद्देश्यीय नदी घाटी योजना के उपयोग की तालिका बनाइए ।
2. आपके घर के समीप वर्षा जल संग्रह विधान को किस प्रकार अपनाया गया है। उस स्थान को भेंट देकर, जाँच कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए।

V. परियोजनाएँ :

1. आपके चारों ओर के प्रदेशों की सिंचाई पद्धति की तालिका बनाकर उनके उपयोग को समझिए।
2. आप के द्वारा देखे गये किसी एक सिंचाई की योजना के बारे में विवरण या रपट तैयार कीजिए।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 15

अर्थव्यवस्था और सरकार

C7W1K6

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंश समझते हैं :

- भारत में अर्थव्यवस्था और सरकार के बीच का संबंध ।
- भारत में योजना ।
- भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ और उपलब्धियाँ ।
- हरित-क्रांति

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

मानव के सभी आर्थिक गतिविधियों की एक संगठित व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का मूल लक्ष्य मानव कल्याण है। सरकार भी मानव के हित की दृष्टि से कार्य निर्वाह करती है । क्या मानव की आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए? आर्थिक विकास में सरकार की क्या भूमिका है? इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं।

19वीं शताब्दी के अंत तक, कई अर्थशास्त्रियों का मत था कि मानव की आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायपालिका और शांति व्यवस्था जैसी बुनियादी काम मात्र कर रही थीं। लेकिन 20वीं सदी में 'कल्याण राज्यों' के उदय के साथ, सरकारों के क्षेत्र का विस्तार हुआ। सरकारों ने सभी नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, संपर्क - जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आगे बढ़े । इसलिए सरकार ने लोगों की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए कदम बढ़ाया। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती गई।

विकासशील देशों में आमतौर पर बेरोज़गारी, गरीबी, कृषि का अविकसन, आय और धन का असमान वितरण जैसी समस्याएँ होती हैं। परिवहन, संपर्क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है, और कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोज़गार, निवेश, मूल्य-आदि में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है। ऐसे उतार-चढ़ाव को आर्थिक उतार-चढ़ाव कहा जाता है।

वित्तीय स्थिरता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था बिना अधिक उतार-चढ़ाव के आगे बढ़ती है। इसी तरह, देश में उत्पादित आय और धन को गरीब और अमीर, शहरी और ग्रामीण के भेदभाव के बिना समाज के सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास को प्राप्त करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है।

20वीं सदी में, सरकारों ने तीव्र आर्थिक विकास के साधनों के रूप में आर्थिक योजनाओं का इस्तेमाल किया। 1929 में सोवियत रूस पहली आर्थिक योजनाओं को लागू करके तीव्र आर्थिक प्रगति करने में सक्षम हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दुनिया के अधिकांश देशों की सरकारे अपनी आर्थिक कठिनाइयों को बाहर आने के लिए आर्थिक योजनाओं की ओर बढ़े ।

1. भारत में योजना (Planing in India) :

योजना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाना है तो संसाधनों के योजित तरीके से उपयोग करना पड़ता है, है ना? छात्र को उत्तम ज्ञान प्राप्त करने और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने समय का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना होता है। आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे खेलना है, सोने की योजना बनानी है और इसे प्रयोग में लाना है। इसी तरह, देश अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर, आवश्यक क्षेत्रों का चयन करके, एक निश्चित अवधि के भीतर प्रगति की योजना बनाता है।

'सरकार द्वारा देश के निश्चित उद्देश्य के साथ, देश के संसाधनों को समर्थ रूप से उपयोग करके लोगों के आनंद स्तर को बढाने प्रज्ञापूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से लागू करने की प्रक्रिया को 'योजना' कहते है। सरकार देश के लोगों के हित के लिए, उपलब्ध संसाधन को नजरअंदाज कर, क्या उत्पादन करना है ? कितना उत्पादन करना चाहिए? और उत्पाद को कैसे वितरित करें? यह महत्वपूर्ण निर्णय प्राथमिकता के आधार पर लेती है। इस प्रकार आर्थिक योजना देश के समग्र विकास के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है।

भारत में सर्वप्रथम आधुनिक परियोजना के बारे में विचार करनेवाले भारत रत्न सर एम. विश्वेश्वरय्या है । उन्होंने 1934 में 'भारत की योजित अर्थव्यवस्था' (Planned Economy for India) नामक पुस्तक प्रकाशित कर, भारत के आर्थिक विकास के लिए

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

योजना बनाने की आवश्यकता को बताया है । इसलिए उन्हें 'भारत की आर्थिक योजना का जनक' कहा जाता है।

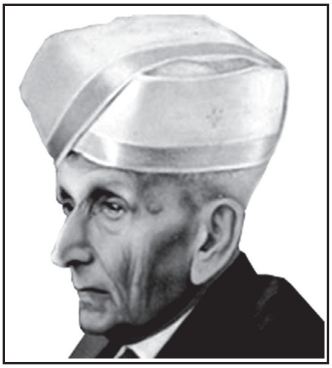

सर. एम. विश्वेश्वरय्या

आजादी के बाद भारत सरकार ने 1950 में 'योजना आयोग' (Planning Commission) की स्थापना की। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्राकृतिक और मानव संसाधनों और पूंजी का सटीक अनुमान लगाना है। इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग की योजना बनाना है। भारत में परियोजना की अवधि 5 वर्ष है, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया है।

1952 में, 'राष्ट्रीय विकास परिषद' (National Development Council) की स्थापना की गई इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य थे, जो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना के मसौदे का समर्थन करता है। सभी राज्यों को संतुलित रूप से विकसित करने में ध्यान रखता है।

2. भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ : भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई। अब तक ग्यारह पंचवर्षीय परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं। वर्तमान में, 12 वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लागू की गई है । यह 3 मार्च 2017 को पूर्ण हुआ। प्रत्येक परियोजना की अवधि में, उसकी पिछली परियोजना की तुलना में अधिक पूँजी का निवेश होता है।

भारत में योजनाएँ :

योजना	सार्वजनिक अवधि	सार्वजानिक क्षेत्र के खर्च(करोड़ रुपये)
पहली योजना।	1951-56	1.960
दूसरी योजना	1956-61	4,672
तीसरी योजना।	1961- 66	8.577
वार्षिक योजना।	1966-69	6.251
चौथी योजना।	1969-74	6.160
पाँचवीं योजना	1974-78	42,300
आवर्त योजना	1978-80	....
छठी योजना	1980-85	1,09,953
सातवीं योजना	1985-90	2,22.169
वार्षिक योजना	1990-92	--------
आठवीं योजना	1992-97	4,34.100
नौवीं योजना	1997-02	9,41,041
दसवीं योजना	2002-07	15,25,639
11 वीं योजना	2007-12	36,44,718
12 वीं योजना	2012-17	76,69,807

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सरकार ने कुछ निश्चित उद्देश्य के साथ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया है। ये उद्देश्य योजनाओं के मार्गदर्शक हैं। गरीबी भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या है। इसे खत्म करने के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की गई है। इसलिए भारत में आर्थिक योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और लोगों का जीवन स्तर को अधिकतम स्तर तक उठाना। इस मूल उद्देश्य की उपलब्धि के लिए कुछ पूरक उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। वे हैं -

1. उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. रोज़गार के अवसर बढ़ाना।
3. आर्थिक असमानता को कम करना।
4. वित्तीय स्थिरता बनाए रखना ।
5. अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण-आदि

गतिविधि :

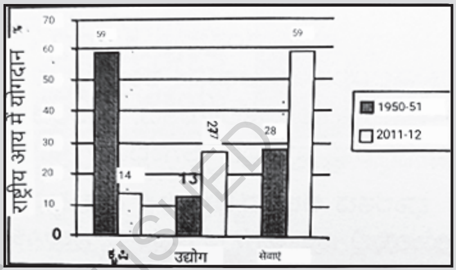

उद्योग क्षेत्र

ऊपर के स्तंभ चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. 1950-51 में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान कर्ता क्षेत्र कौन था?
2 उसी वर्ष किस क्षेत्र से कम राजस्व प्राप्त हुआ?
3. 2011-12 में ज्यादा राजस्व किस क्षेत्र से आया है?
4. 2011-12 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है?

पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान: भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू होकर 60 वर्ष बीत चुके हैं। बारह पंचवार्षीय परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इस अवधि के दौरान किस स्तर की उपलब्धि हासिल की गई है? इसकी विफलताएँ क्या है? आइए देखते हैं-

पहले राष्ट्रीय आय की वृद्धि को देखें, यदि परियोजना के पहले 20 वर्षों के दौरान हमारी राष्ट्रीय आय 3.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ती है, तो यह अगले 20 वर्षों की अवधि में वह 5 प्रतिशत बढ़ गयी है । 1991-2000 की अवधि के दौरान, औसत वार्षिक दर बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई। 2001-2010 की अवधि में प्रतिशत 7.3 दर में बढ गयी है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय आय-वृद्धि की गति धीरे-धीरे बढ़ी है। तदनुसार, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। 2001 से 2010 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक औसत 5.6 प्रतिशत दर की वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान है । परियोजना की शुरुआत में, राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र से होने वाली आय

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

का 50% से अधिक थी। किन्तु 2022-23 में इस क्षेत्र में बढ़कर 18.3% हो गयी है । शीघ्र ही राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र से अत्यधिक आय मिल रही है।

खाद्यवस्तु उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। योजना अवधि के दौरान खाद्यवस्तु का उत्पादन लगभग पाँच गुना बढ़कर, 2021-22 में 315.7 दस लाख टन हो गया है ।

औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विस्तार के साथ रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गरीबी निर्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों को लागू कर ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपार प्रगति हुई है। कृषि उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है । हमारे देश के तकनीकी सेवा विदेशों को निर्यात की जा रही हैं । भारत के निर्यात क्षेत्र में तैयारी और इंजीनियरिंग सामानों की निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती असमानता को कम करने के लिए, विकास की इस प्रक्रिया में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 'सबका विकास' (Inclusive Growth) को महत्व दिया गया था।

विकास के अन्य मानदंडों को देखने पर कॉफी सुधार हो रहा है। लोगों की अपेक्षित जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर बढ़ रही है। शिशु मृत्यु दर और माताओं की मृत्यु दर घट रही है। जानवर मरण दर कम हो रही है। जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है।

हालांकि, पंचवर्षीय योजनाएँ सभी सक्षम लोगों को रोजगार प्रदान करने में असफल हो रही हैं। गरीबी का प्रमाण कम है, यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। गरीब और अमीर के बीच असमानता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, सामाजिक न्याय, सपनों की बात बन गया है। मूल सुविधाओं की कमी बढ़ी है।

3. हरित क्रांति : (Green Revolution)

पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है 'हरित क्रांति'। जिसका अर्थ है 'तेजी से परिवर्तन या प्रगति' । 1967-70 के दौरान भारत का खाद्यवस्तु उत्पादन में सबसे तेज प्रगति में से एक 'हरित क्रांति' के रूप में पहचाना जा रहा है। 1967 में खाद्यवस्तु का उत्पादन 74 मिलियन टन था,1970 के दशक तक यह बढ़कर 108 मिलियन टन हो गया

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

था। केवल तीन वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है । यह हरे-फसलों में हुई क्रांति है, इसलिए हरित क्रांति का नाम दिया गया है ।

हरित क्रांति 'अधिक उपज वाले बीजों के उपयोग' का परिणाम है। 1960 के दशक की शुरुआत में डॉ. नॉर्मन बोरलाग नामक एक अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक द्वारा मेक्सिको में किए गए एक प्रयोग के परिणामस्वरूप गेहूँ में उच्च उपज देने वाले बीजों की खोज हुई। मेक्सिको और ताइवान, जिन्होंने बीज का इस्तेमाल किया, गेहूँ उत्पादन में सबसे अधिक प्रगति हुई ।

1965-66 के दौरान भारत में भयंकर अकाल के परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन बहुत कम हुआ। भोज्यवस्तु की कमी बहुत अधिक थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने 1966 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में गेहूँ के ज्यादा उपजवाले बीजों का इस्तेमाल किया। अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग में विशिष्ट पोषक तत्वों, नियमित पानी और बीमारी से सुरक्षा को अपेक्षा करते है। इसलिए अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के अतिरिक्त रासायनिक खादों, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। इससे गेहूँ का उत्पादन बढ़ा है। कृषि उत्पादन में उपयोग की जाने वाली इस उन्नत तकनीक को 'फसल-पूर्व तकनीक' (pre-harvest Technology) कहा जाता है। भारत की कृषि में सुधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग करने में डॉ. स्वामिनाथन की भूमिका प्रमुख है। इसलिए वे भारत की 'हरित क्रांति' के जनक हैं। दिनांक 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। कृषि क्षेत्र में इनकी देन सदा स्मरणीय है। 1987 में स्वामिनाथन को प्रथम 'विश्व खाद्य पुरस्कार' देकर सम्मानित किया गया ।

डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

हरित क्रांति की शुरुआत में, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल केवल गेहूँ की खेती में किया जाता था। लेकिन सफलता से संचालित सरकार ने धान, ज्वार, रागी और गन्ना जैसी फसलों में अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। सभी फसलों में उन्नत तकनीक का उपयोग करने की माँग की गई। इसके अलावा, इसका विस्तार पूरे देश में किया गया है। इससे कृषि उत्पादन में भारी प्रगति हुई। 80 के दशक तक भारत भोज्यवस्तु उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया ।

हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े और धनी किसानों तक ही पहुँचा है। हर जगह सुनने में आया कि गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि गरीब किसानों के पास उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने की शामते नहीं है। इस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। सरकार ने तब छोटे और गरीब किसानों को बेहतर तकनीक से लाभान्वित करने में मदद करने के लिए एक 'सहायता कोष' लागू किया। सरकार अधिक सहाय धन के साथ बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यंत्रोपकरण-आदि को कम दाम में देने आगे बढ़ी । इसके अलावा किसानों को बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कम ब्याज दर पर उधार देने के लिए आगे बढ़े। इससे सुधारित कृषि विधान सभी वर्गों के किसानों के लिए उन्नत कृषि विधियों का उपयोग करना संभव बना दिया।

गतिविधि :

कृषि उपजों के प्रोत्साहन देने वाले दाम के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करें और किसानों के साथ बातचीत कीजिए।

कृषि उत्पादन की वृद्धि से कृषि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे किसानों के लिए नुकसान की चिंता पैदा हो गई है। किसानों की उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने की अनिवार्यता पैदा हुई। किसानों की उत्पन्नों के लिए उत्तम दाम दिलवाने कृषि संबंधित बाजारों को सुधार करना पडा । अतिरिक्त उत्पादों को संसाधित करने और उनसे विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अतिरिक्त उत्पन्नों को संग्रह करने के लिए गोदाम और शैत्यागार (शीतलगार) बनाने की आवश्यकता थी। इस तरह कृषि उत्पादों की खरीद, संस्करण और वितरण में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक को 'कटाई के बाद की तकनीक' (Post harvest Technology) कहा जाता है। फसल काटने से पहले और फसल काटने के बाद की दोनों प्रौद्योगिकी हरित क्रांति के लिए प्रेरक शक्ति थीं।

ज्ञात रहे :

इंद्र धनुष क्रांतिः

किसान, कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पकड़ने और रेशम की खेती आदि कृषि संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के उत्पादन में इतनी भारी वृद्धि को इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। इंद्रधनुष क्रांति कई क्रांतियों से युक्त है। वे जिस से संबंधित हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे ।

1. हरित क्रांति - खाद्यवस्तु का उत्पादन
2. नीली क्रांति- मत्स्य उत्पादन
3. पीली क्रांति - तिलहन उत्पादन
4. सफेद क्रंति- दुध उत्पादन
5. चांदी क्रांति - अंडा उत्पादन
6. स्वर्ण क्रांति - फल-फूल उत्पादन
7. लाल क्रांति -माँस उत्पादन

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सरकार किसानों को कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के रूप में जैविक खेती का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रासायनिक खाद की जगह जैविक खादों को जैविक कीट नाशकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि में सभी प्रकार की परिसर स्नेही प्रयोग कर कृषि उत्पादन को दुगना करने का प्रयास किया जाता है। इसे दूसरी हरित क्रांति या सदैव हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। कुछ उत्साही किसान जैविक खेती और शून्य निवेश खेती जैसे पर्यावरण के अनुकूल और सुस्थिर कृषि पद्धतियों को अपनाने से लाभान्वित हो रहे हैं।

नीति आयोग :

भारत में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था की स्थापना जनवरी 1, 2015 में भारतीय योजना आयोग के बदले की गाई।

नीति आयोग निम्न स्तर का मार्ग उपयोग करता है। इस उद्देश्य में 15 साल का मार्ग मानचित्र, 7 साल का दूरदर्शी योजना और कार्य योजना शामिल है। देश के प्रधानमंत्री ने इसका नेतृत्व लिया हैं। लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रशासन का निर्वाह उपाध्यक्ष करते हैं ।

उद्देश्य:

1) भारत सरकार के सर्वोच्च सार्वजनिक नीति विचारकों के मंच के रूप में कार्य निर्वाह करना और आर्थिक विकास में तेजी लाने का कार्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य निर्वाह करना।

2) निम्न-स्तरीय संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक नीति-निर्माण की प्रक्रिया में भारत में राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

विशेषताएं : नीति आयोग तेजी से कार्य निर्वाह करने के लिए अनुसंधान और नवाचार में सरकार एक व्यूहात्मक नीति दृष्टिकोणों प्रदान करने के लिए और अनियंत्रित समस्याओं को निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक कला संसाधन केंद्र के रूप में स्वयं को विकसित करता है । अटल नवीन मिशन और अभिवृद्धि निगरानी, मूल्यांकन संस्था और निजी संस्था ,कार्मिक अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास की राष्ट्रीय संस्था नामक दो संलग्न कचहरी इसे प्रोत्साहन देते हैं ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

नीति आयोग की सभी गतिविधियों को निम्नलिखित चार मुख्य वर्गों में देखा जा सकता है।

1) नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा ।

2) सहकारी संघ प्रणाली ।

3) निगरानी और मूल्यांकन ।

4) विचारकों का समूह और ज्ञान तथा नवाचार समूह।

अभ्यास :

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. 20वीं सदी में सरकारों ने आर्थिक विकास की साधना के रूप में ____________ को लागू किया ।
2. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को संगठन करनेवाली संस्था ____________।
3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ____________ को प्रामुखता दिया गयी है ।
4. भारत की हरित क्रांति के जनक ____________ ।
5. परिसर स्नेही तथा सुस्थिर कृषि के लिए सरकार किसान को ____________ तरीका उपयोग के लिए प्रोत्साहन दे रहा है ।
6. 'नीति आयोग' ____________ में स्थापित की गई थी।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

7. वित्तीय योजना का अर्थ बताइए।
8. भारत की 'आर्थिक योजना के पिता' कौन हैं?
9. पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी कौन-सा संगठन देता है?
10. हरित क्रांति क्या है?
11. कटाई के बाद की तकनीक क्या है?
12. नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच-छः वाक्यों में लिखिए :

13. कल्याणकारी राज्यों में सरकारों के कार्यस्थल का विस्तार कैसे होता है?
14. पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य लिखिए ।
15. पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों की सूची बनाइए ।
16. हरित क्रांति को प्रेरित करने वाले अंश कौन - कौन से हैं ?
17. कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान क्या- क्या हैं?
18. नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं?

IV. गतिविधियाँ :

1. अपने आसपास में उपयोगी विदेशी वस्तुओं को पहचानकर सूची बनाइए ।
2. इंटरनेट की सहायता से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों की सूची बनाइए।
3. नीति आयोग के कार्यो को एकत्रित करके, चर्चा कीजिए।

V. परियोजना :

1. अपने आस-पास में प्रगतिशील किसानों के रूप में पहचाने जाने वाले किसान के खेत और उद्यानों का दौरा करें, उनके द्वारा पालन की जाने वाली कृषि पद्धतियाँ, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली फसल-कटाई और कटाई के बाद की तकनीकों पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

व्यावहारिक अध्ययन

अध्याय - 16

बैंक संबंधी व्यवहार

S3N3G1

आप को इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे :

- बैंक का अर्थ।
- बैंकों की विशेषताएँ।
- आर्थिक लेन-देन में बैंकों और डाक-घरों की भूमिका।
- बैंकों में खोले जानेवाले विभिन्न प्रकार के खाते ।
- बैंको में खातों को खोलने की पद्धति ।
- बैंक खातों के उपयोग ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भूमिका :

लगभग दो सौ साल पहले बैंकों की तरक्की हुई। बैंकों का स्वरूप समय चक्र के अनुसार बदलता गया। 'बैंक' शब्द आर्थिक व्यवहारों से संबंध रखता है। बैंक वित्त संबंधी संस्थाएँ हैं। ग्राहक सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं और जरुरत पड़ने पर उसे वापस लेते हैं। बैंक ग्राहकों को कर्ज देते हैं और उस पर सूद वसूल करते हैं। बैंक दूसरे देशों की मुद्रा के विनिमय का काम भी करते हैं। किसी भी देश की तरक्की, उस देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करती है। समाज की उन्नति के आवश्यक अंग हैं - कृषि, उद्योग-धंधे तथा व्यापार, वाणिज्य इन को बैंक आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करता है। देश की आर्थिक स्थिति को शीघ्र गति से सुधारने में मदद करता है।

बैंक से क्या तात्पर्य है?

'बैंक' नामक शब्द इटली भाषा के "बेंको" (BANCO) अथवा फ्रेंच भाषा के "बेंको" (Banque) शब्द से निकला है। 'बैंक' शब्द का अर्थ है - मेज़ अथवा पैसे का विनिमय करने का मेज़ है।

बैंक अपने पास ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन को दूसरों को कर्ज देने का काम करते हैं। इस प्रकार पैसे की लेन-देन का व्यवहार करना ही बैंकों का मुख्य काम है। बैंक एक आर्थिक संस्था है। बैंक व्यक्तियों से, विविध संस्थाओं से जमा-पूँजी इकट्ठा करते

हैं। फिर जरूरतमंद व्यक्तियों तथा संस्थाओं को कर्ज देने का काम करते हैं। बैंक संबंधी सेवाओं का लाभ उठाना एवं पैसे की लेन-देन का व्यवहार करने को ही बैंकिंग व्यवस्था कहते हैं। बैंक सार्वजनिक जमा-पूँजी को ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य रूपों के द्वारा अदा करते हैं।

बैंकों की विशेषताएं :

1. **धन का निर्वाह :** बैंक वित्तीय संस्थाएँ हैं। ये जनता के पैसों की लेन-देन का काम करते हैं।

2. **व्यक्ति/संस्था/कंपनी :** बैंक एक व्यक्ति हो सकता है, अथवा संस्था कंपनी हो सकता हैं। आर्थिक व्यवहारों का काम करने वाली संस्था को ही बैंक कहते हैं।

3. **जमा-पूँजी का संग्रह :** बैंक जनता से जमा-पूँजी इकट्ठा करते हैं। यह रकम एक निर्दिष्ट अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। जमानत की अवधि के पूरे हो जाने पर, पूरे पैसे सूद के साथ जमा करने वाले को वापस किये जाते हैं। बैंक इस जमा-रकम की सुरक्षा करता है। बैंक ग्राहकों की जमा-पूँजी का संरक्षक कहलाता

4. **कर्ज देना :** बैंक उद्योग-धंधे, कृषि, शिक्षा, गृह-निर्माण आदि अवसरों के लिए उधार देता है।

5. **पावती और वापसी :** बैंक पैसा जमा करनेवालों को चेक अथवा हुंडी के द्वारा धन की पावती करता है। अपनी जमा-राशी वापस पाने की सुविधा प्रदान करता

6. **एजेंट अथवा एजेंट की नियुक्ति तथा आवश्यक सेवाएँ :** बैंक अपने ग्राहकों की उपयोगी सेवाएँ प्रदान करता है।

7. **लाभ और सेवा की भावना:** बैंक सेवा की भावना से लाभ प्राप्त करने वाली संस्था है।

8. **निरंतर विकास :** बैंक अपने कार्यकलापों का विकास दिन-ब-दिन करनेवाली संस्था है। बैंक का कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल और गतिशील है।

9. **संबंध जोड़ने की कड़ी :** बैंक पैसा जमाकरनेवालों और ऋण प्राप्त करनेवालों के बीच की एक कड़ी है। यह ग्राहकों से जमा-राशी इक्ट्ठा करके, अन्य ग्राहकों की जरुरतों की पूर्ति करता है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

10. बैंकिंग व्यवहार : बैंक का प्रधान कार्य वित्त या धन से संबंधित है। इसका अन्य कार्यों से कोई संबंध नहीं होता है।

11. नाम की पहचान : हर एक बैंक का एक प्रत्येक नाम होता है। इस नाम के साथ बैंक शब्द का जुड़ना अनिवार्य है। उदा: स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ मैसूर, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कर्नाटक बैंक, यूनियन बैंक वगैरह । इस कारण से यह मालूम होता है कि ग्राहक का खाता किस बैंक में है।

बैंको के काम :

1. जनता से अथवा अन्य लोगों एवं संस्थाओं से जमा-राशि स्वीकार करना।
2. जनता तथा संघ-संस्थाओं को ऋण देना।
3. धन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना।
4. चेक डॉफ्ट, बिल तथा हुंडी पर पैसा वसूल करना।
5. हुंडी पर छूट देना।
6. सुरक्षा-अलमारियों को किराये पर देना।
7. विदेशी विनिमय व्यवहारों का निर्वाह करना।
8. कीमती चीज़ों को सुरक्षा संदूकों में रखना।
9. ऋण तथा गारंटी (भरोसा) संबंधी पत्र जारी करना।
10. केन्द्र तथा राज्य सरकारों से वित्तीय व्यवहार करना।

साहूकारों तथा ग्राहकों के आपसी संबंध :

साहूकारों तथा ग्राहकों के परस्पर संबंधों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं।

1. साधारण संबंध
2. विशेष संबंध

1. साधारण संबंध : इसे तीन भागों में बाँट सकते हैं।

- प्राथमिक संबंध (लेनेवाले और देनेवाले का रिश्ता)
- सहाकारी संबंध (न्यासी तथा लाभ पानेवाले के बीच का रिश्ता)
- एजेंट (प्रतिनिधि) और मुखिया का संबंध ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. विशेष संबंध :

> **कार्यकलाप :** पास के बैंक में जाकर उच्च शिक्षा पाने के कर्ज के बारे में जानकारी पाइये।

- चेकों को स्वीकार करने की शिष्टता दिखाना।
- ग्राहकों के खातों को गोपनीय रखने का भरोसा देना ।

बैंकों से मिलनेवाली सेवाएँ :

1. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुविधा ।
2. निजी ऋण ।
3. गृह निम्रण तथा वाहन संबंधी ऋण ।
4. आपसी निधि (फंड) ।
5. वाणिज्य संबंधी ऋण ।
6. सुरक्षा संदूक या अल्मारी ।
7. डेबिट कार्ड
8. विश्वासपूर्ण सेवाएँ ।
9. ई-बैंकिग सेवाएँ ।

बैंकिंग व्यवहार :

बैंक और डाक घर :

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

किसी बैंक खाते में होनेवाले धन संबंधित व्यवहारों को बैंकिंग व्यवहार कहते हैं। धन से संबंधित लेन-देन के व्यवहारों को चलानेवाली संस्थाओं को बैंक कहते हैं। बैंक ग्राहकों से पैसा लेकर उसे उसके खाते में डाल लेता है। इस प्रकार बैंक हज़ारों लाखों लागों से जमा की हुई रकम को जरुरतमंदों की कर्ज या ऋण के रूप में देते हैं। इन कर्जे को बैंक ऋण या कर्ज कहते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को कर्ज देकर उसपर सूद वसूल करते हैं। बैंक कर्जदार से सूद वसूल कर उसका एक अंश जमा किए हुए मूल व्यक्ति को देते हैं। पैसा जमा करने वालों को यह सूद आय के रूप में मिलती है। बैंक अपने ग्राहकों की धन-राशि को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग-धंधों में लगाकर लाभ पाते हैं और अपनी निधि बैंक को समृद्ध करते हैं या बढ़ाते हैं।

भारत देश के सारे व्यवहारों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आर बी आई) का नियंत्रण रहता है। इसे 'बैंकों का बैंक' अथवा बैंक की माँ कहा जाता है। यह भारत का केंद्र बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित आर्थिक विधि विधानों का पालन भारत के सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता हैं। आज हमारे देश में स्टेट बैंक का समुदाय है। 12 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा 21 निजी बैंक हैं। 46 विदेशी बैंक हैं। इस नेटवर्क से

1,62,904 उपशाखाओं से कार्य करता है । ग्रामीण बैंक, राज्य सरकारी तथा गैर-सरकारी बैंक भी इस जाल-सूत्र से जुड़ हुए हैं।

बैंकिंग उद्योग के विकास का अगला कदम यह है कि डाकघरों को अपने क्षेत्र में शामिल करना। भारतीय डाक घर विभाग ने भारतीय डाक प्राप्तिपत्र (रसीद) बैंक के जाल को लगभग 1.55 लाख डाक कार्यालय के साथ पूरे देश में प्रारंभ करने की योजना बनायी है। इनमें 90 प्रतिशत ग्रामीण तथा समीप के छोटे नगरों में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हैं। डाक घर विभाग कई तरह की आर्थिक सेवाएँ जनता को दे रहा है। जैसे डाक घर बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नेशनल सेविंग्स पत्र, मासिक आवर्ती जमा (Monthly Recurring Deposit) डाक विभागीय बीमा, पेंशन की अदायगी, धन का स्थानांतरण आदि। डाक घर विभाग इस योजना के अमल करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की लागत की योजना बना रहा है। यह विभाग डाक घर विभाग के अधीन में काम करेगा।

कार्यकलाप : आप डाक घर जाकर वहाँ के बैंक के निर्वाह की जानकारी पाइये।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

बैंक के प्रकार :

बैंक के कई प्रकार हैं। हर एक बैंक अपनी-अपनी विशेष योजनाओं के अमल करने में प्रयत्नशील है और अपना खास स्थान बना रहा है।

बैंकों के कुछ विशेष प्रकार इस तरह हैं :

- केन्द्र बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ।
- वाणिज्य बैंक।
- उद्योग विकास बैंक ।
- भू-अभिवृद्धि बैंक ।
- स्थलीय बैंक । (लेन-देनदार या साहूकार)
- सहकारी बैंक ।

(बैंकों के बारे में आप विस्तृत रूप से पिछली कक्षा के अर्थशास्त्र संबंधी पाठ मे पढ़ चुके हैं।

बैंक खातों के प्रकार (Types of Bank Accounts)

सामान्य रुप से बैंक में चार तरह के खाते खोल सकते हैं। वे इस प्रकार हैं -

1. बचत खाता (Savings Account)
2. चालू खाता (Current Account)
3. आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Account)
4. अवधि जमा खाता (Fixed Deposit Account)

बैंकों मे मिलनेवाले इस प्रकार के खातों द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए - 1) बचत खाता 2) चाल् खाता 3) आवर्ती जमाखाता

1. बचत खाता (Savings Account)**:** सामान्यत: वेतन पानेवाले अथवा निश्चित आमदनी पानेवाले ग्राहक बैंकों में इस खाते को खोलते हैं। विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens) पेंशन पानेवाले-आदि यह खाता खोलते हैं। इस योजना के द्वारा पैसे की बचत तथा धन-राशि की बचत करने में ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाता है। हर महीना किसी निश्चित राशि को जमा करने की जरूरत नहीं है। ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा कर सकता है। ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक मनचाही रकम को अपने खाते से चेक या वापसी - पत्र (Withdrawal Slip) के द्वारा वापस ले सकता हैं।

2. चालू खाता (Current Account) : नियमित रूप से बड़ी मात्रा में लेनदेन करने वाले व्यापारी अथवा उद्योगपति चालू खाता खोलते हैं। पैसा जमा करना, वापस लेना, विपरीत परिस्थिति में अधिक ऋण लेना, इस योजना की सुविधाएँ हैं। एक दिन में ग्राहक चाहे कितनी बार ही सही पैसा जमा कर सकता है और पैसा वापस भी ले सकता है। सामान्य रूप से बैंक इस खाते को खोलने वालों को जमाराशी पर ब्याज नहीं देते। परन्तु अपनी सेवा के लिए निश्चित रकम वसूल करते हैं।

3. आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Account) : इस खाते से ग्राहकों को भविष्य में बड़ी मदद मिलती है। भविष्य में होनेवाले खर्चीले व्यवहारों को सँभालने के लिए ग्राहक यह खाता खोलते हैं। इसमें वे हर महीने एक निश्चित धन राशि निश्चित अवधि तक जमा है। ग्राहकों को शादी-ब्याह, गृह-निर्माण तथा बच्चों की उच्च शिक्षा के अवसरों पर इस खाते से मिलनेवाली रकम काम आती है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. निश्चित अवधि जमा-खाता (Term Deposit Account) : इस खाते में एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि तक रखी जाती है। यह अवधि एक महीना, छः महीने, एक साल, पाँच साल अथवा दस साल तक हो सकती है। निश्चित अवधि के पूरा होने के बाद जमाकर्ता को वह राशि सूद के साथ वापस कर दी जाती है। सूद-दर अवधि के अनुसार बदलती रहती है।

कार्यकलाप

50,000 रुपये जमा करने पर 8% सालाना सूद के अनुसार एक साल में मिलने वाली राशि का पता लगाइए।

बैंक खातों को खोलने की कार्य-प्रणाली (Opening of Bank Account) :

गतिविधि-

अपने-पास के कोई बैंक में जाकर उसके व्यवहारों को जानिए।

वर्तमान युग में बैंक अत्यंत आवश्यक तथा मुख्य आर्थिक सँस्थाएँ माने जाते हैं। बैंक गाहकों के लिए बहुत ही जवाबदेह तथा सुरक्षित माने जाते हैं। इतना ही नहीं नौकरीपेशा, ग्राहकों तथा उद्योग धंधे करनेवालों को अपनी तरक्की के लिए बैंक खाते का होना बहुत आवश्यक है। बैंक में खाता खोलना कोई कठिन काम नहीं, बल्कि सरल है। बैंक में खाता खोलने की सात सोपान हैं :

1. किस प्रकार का खाता खोलना है, इसका निर्णय करना : बैंको में कई तरह के खाते होते हैं। बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, निश्चित अवधि का जमा-खाता आदि। बैंक में खाता खोलने के पहले ग्राहक को यह सोचना जरूरी है कि किस तरह का खाता उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

2. अपने अनुकूल बैंक के अधिकारी से संपर्क करना : पहले ग्राहक किस प्रकार का खाता खोलना है, इसका निर्णय कर लेता है तो उसे अपने घर या दफ़तर के पास वाले बैंक को चुनना है तब उस बैंक के अधिकारी से संपर्क करना है।

ज्ञात रहेः

दो या दो से अधिक लोग यदि एक ही बैंक खाता खोलें तो उसे 'संयुक्त खाता' कहते हैं।

3. प्रस्तावना आवेदन पत्र खाता खोलने का नमूना-पत्र पूरी तरह से भरें : आप को इस आवेदन पत्र के सभी अंशों को पूरी तरह से पढ़कर अवश्य भरना चाहिए। ग्राहक को अपना नाम, पता, व्यवसाय, उम्र इत्यादि पूछे गये सभी प्रश्नों का विवरण देना है। अर्जी के साथ अपने दो या तीन हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षर-पत्र पर लिखकर बैंक में

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

प्रस्तुत करना है। आप को बैंक के साथ लेन-देन करते समय ज़रूरी तौर पर उसी तरह हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि आपके हस्ताक्षर में कभी भी बदलाव दिखाई देता है, तो फिर एक बार मूल रूप की तरह हस्ताक्षर करना पड़ता है। हाल ही के नियमों के अनुसार ग्राहक को खाता खोलते समय दो या तीन पासपोर्ट फोटो देने पड़ते हैं। अगर दो या तीन व्यक्ति मिलकर संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं तब सब के भावचित्रों के साथ नमूने के हस्ताक्षर भी लिख कर देना है।

4. परिचितों का उल्लेख/संदर्भ देना : आप जिस बैंक में खाता खोलना चाहते हैं, उस बैंक के ग्राहक का या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम व्यवसाय आदि विवरणों के साथ अर्जीपत्र में देकर उनके हस्ताक्षर भी पाना आवश्यक हैं। बैंक के अन्य ग्राहक के द्वारा आपका परिचित कराना बैंक की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

5. बैंक-खाता खोलने के नमूना-पत्र को बैंक में जमा करना : बैंक खाता खोलने के पत्र को पूरी तरह भरने के बाद, संबंधित पहचान पत्र (I.D.Card), पान कार्ड, आधार कार्ड, एपिक कार्ड, रेशन कार्ड आदि कागज़ो। को संलग्न करके बैंक में जमा करना चाहिए।

6. अधिकारी की सम्मति : आवेदक के आवेदन-पत्र तथा आवश्यक जानकारी की पूरी तरह से परीक्षण, खाता खोलने के लिए आवश्यक पत्रों को स्वीकार करने को बाद अर्जीदार को बैंक में खाता खोलने की अनुमति दी जाती है।

7. प्रारंभिक जमा-रकम : आवेदन पत्र की पूरी जाँच करने के बाद, बैंक का अधिकारी आवेदक (Applicant) को बैंक में प्रारंभिक निर्धारित रकम जमा करने की अनुमति देता है। इस राशी को जमा करने के लिए ग्राहक को एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है जिसे चालान कहा जाता है। अगर ग्राहक एक निश्चित रकम नियमानुसार जमा करना चाहता है तो प्रणाली के अनुसार, उसे एक और आवेदन-पत्र भरना पड़ता है। आवर्त खाते के लिए खाता नंबर की पास-बुक दी जाती है। बचत खाता अथवा चालू खाते से रकम वापस लेने की सुविधा के लिए चेक बुक दी जाती है।

बैंक-खाता खोलने से लाभ :

- बैंक में खाता खोलने से आपकी धन-राशि सुरक्षित रहती है।
- बैंक में खाता रहने के कारण आप तरह-तरह के शुल्क और कर आसानी से और सुरक्षित रूप से भर सकते हैं।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

- बैंक - खाता पैसा वसूल करने में मदद करता है।
- बैंक खाता रखनेवाले बैंक से कर्ज पा सकते हैं।
- बैंक खाता रखने के कारण सभी आर्थिक व्यवहारों में सुविधा होती है।
- बैंक खाता रखनेवाले बैंक में सुरक्षा-संदूक पाने के योग्य होते हैं।

बैंक लेन-देन :

बैंक निम्नलिखित प्रमुख लेन-देन का प्रबंधन करता है।

- बचत खाता खोलता है, और ग्राहकों के बीच बचत का समर्थन करता है।
- बैंक बचत को एकत्रित करता है और ऋण प्रदान करता है।
- बैंक में पैसा जमा करने की कोई सीमा नहीं है दस रुपए से कम मूल्य की रकम को बैंकों में स्वीकार नहीं किया जाता है।
- बैंक केवल खातेदारों के नाम से उनके खाते में क्रॉस चेक और चेक जमा करेगा और अन्य बैंकों से उनके नाम वाले चेक या हुंडी (निवेश पत्र) को अन्य बैंकों से वसूल करता है।
- पैसा, चेक या बैंक के निर्दिष्ट वाउचर द्वारा निकाला जा सकता है। यदि नकद वापस प्राप्त करने की आवश्यकता है तो जमाकर्ता खुद बैंक जाकर पासबुक दिखाकर, वाउचर के द्वारा पैसा वापस पा सकते हैं। पैसे वापस पाने के लिए आजकल - **ATM -** (AUTOMATED TELLER MACHINE) डेबिट और क्रेडिट कार्ड उपयोग में लाया जा रहा है।
- खातेदार बैंक के एक निश्चित आदेश के माध्यम से आवादी भुगतान का आवाधिक भुगतान का आदेश दे सकता है जैसे: बीमा प्रीमियम भुगतान, आयकर भुगतान, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि। यह भुगतान खाताधार के खाते में से खर्च किए जाते हैं।
- खातेदार नियत दर पर खाते में दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज जमा किया जाता है। यह ब्याज आमतौर पर साल में एक बार अप्रैल और अक्टूबर में या फरवरी और जुलाई में दिया जाता है।।
- खाताधारकों के आदेश पर बैंक खातों को उसी बैंक की अन्य शाखाओं में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

- बैंक में खातों को समाप्त करने के अवसर हैं। ऐसा करते समय सकारण सहित अनुरोध करना पड़ता है। इस तरह समाप्त करते हुए पासबुक, शेष चेक शीट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. 'बैंक' नामक शब्द फ्रेंच भाषा के ____________ शब्द से आया है।
2. ____________ को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
3. राष्ट्रीकृत बैंक का उदाहरण ____________ है।
4. राष्ट्रीय बचत पत्र ____________ विभाग प्रदान करता है।
5. बैंक के ________ खाते से दिन में कई बार लेन-देन का व्यवहार किया जाता है।
6. जमा-राशि निश्चित अवधि तक ____________ खाते में रखी जा सकती है।

II. इन प्रश्नों को समूह में चर्चा करके उत्तर दीजिए :

7. बैंक का क्या अर्थ है ?
8. बैंक व्यवहारों में ध्यान देने योग्य विशेषताओं की सूची बनाइए ।
9. बैंको के क्या-क्या काम हैं ?
10. बैंक और ग्राहकों के संबंध को बताइए ।
11. बैंको में बचत खाता खोलनेवाले ग्राहकों की संख्या अत्यधिक है? इसका कारण क्या है?
12. बैंक-खाता खोलने के क्या-क्या लाभ हैं ?

III. कार्य-कलाप :

1. कुछ बैंकों की सूची बनाइए ।
2. बैंक जाकर निश्चित रकम खाता खोलने के बारे में तथा ब्याजदर वापस लेने के बारे में जानकारी पाइए।

IV. योजना :

1. बैंक जाकर, व्यवस्थापक से भेंट कर बैंक खाता खोलने के बारे में जानकारी पाइए। जरूरत हो तो, बैंक में खाता खोलिए ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED